

MAA OMWATI DEGREE COLLEGE

HASSANPUR (PALWAL)

राजनीति-शास्त्र

Subject :- B.A 5th SEM

तुलनात्मक राजनीति

UNIT-1

तुलनात्मक राजनीति - परिभाषा, क्षेत्र

तुलनात्मक राजनीति (Comparative Politics) राजनीति विज्ञान की एक प्रमुख और अत्यंत महत्वपूर्ण शाखा है। सरल शब्दों में कहें, तो इसके अंतर्गत विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणालियों, सरकारों, संस्थाओं, व्यवहारों और प्रक्रियाओं का आपस में तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है।

यहाँ तुलनात्मक राजनीति की भूमिका (Role) और महत्व को सरल और व्यवस्थित रूप से समझाया गया है:

1. तुलनात्मक राजनीति की मुख्य भूमिका (Role & Significance)

तुलनात्मक राजनीति केवल यह नहीं बताती कि किस देश में कैसी सरकार है, बल्कि यह उसके पीछे के "क्यों" और "कैसे" को समझने में मदद करती है। इसकी मुख्य भूमिकाएँ निम्नलिखित हैं:

- **राजनीतिक व्यवस्थाओं को गहराई से समझना:** इसके माध्यम से हम विभिन्न देशों (जैसे- भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन) की राजनीतिक व्यवस्थाओं, संविधानों और कार्यप्रणालियों को करीब से समझ सकते हैं।
- **सिद्धांतों का निर्माण (Theory Building):** दुनिया भर के राजनीतिक डेटा और अनुभवों की तुलना करके राजनीति विज्ञानी ऐसे सामान्य नियम या सिद्धांत बनाते हैं जो सार्वभौमिक रूप से लागू हो सकें। उदाहरण के लिए: "क्या लोकतंत्र हमेशा आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है?"
- **शासन प्रणालियों का मूल्यांकन:** यह समझने में मदद मिलती है कि कौन सी राजनीतिक प्रणाली (जैसे- संसदात्मक या अध्यक्षतात्मक) किस परिस्थिति में बेहतर काम करती है।
- **राजनीतिक व्यवहार का विश्लेषण:** मतदाता क्यों और कैसे वोट देते हैं, विभिन्न देशों में जन आंदोलन कैसे आकार लेते हैं और राजनीतिक दलों की भूमिका क्या होती है, इन सब का वैज्ञानिक अध्ययन तुलनात्मक राजनीति के ज़रिए ही संभव है।

भविष्यवाणी और सुधार: विभिन्न देशों के अनुभवों को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि किसी देश में यदि कोई विशेष नीति लागू की जाए, तो उसके क्या परिणाम होंगे। इससे देशों को अपने प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचे में सुधार करने में मदद मिलती है। तुलनात्मक राजनीति को और स्पष्ट रूप से समझने के लिए, राजनीति विज्ञान के प्रमुख विद्वानों द्वारा दी गई इसकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ (Definitions) नीचे दी गई हैं:

प्रमुख विचारकों के अनुसार परिभाषाएँ

- **एडवर्ड ए. फ्रीमैन (Edward A. Freeman) के अनुसार:**

"तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संस्थाओं और सरकारों के विभिन्न रूपों का तुलनात्मक विश्लेषण है।"

(सरल शब्दों में: यह अलग-अलग देशों की सरकारों और उनकी संस्थाओं की आपस में तुलना करती है।)

- **जी. के. रॉबर्ट्स (G. K. Roberts) के अनुसार:**

"तुलनात्मक राजनीति का संबंध केवल देशों की सीमाओं के भीतर की राजनीतिक व्यवस्थाओं या उनके तत्वों की तुलना से नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत राजनीतिक व्यवहार, प्रक्रियाओं और अन्य गैर-शासकीय तत्वों का भी तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है।"

- **जी. ए. आलमंड (G. A. Almond) के अनुसार:**

"तुलनात्मक राजनीति राष्ट्रीय सरकारों की केवल संस्थागत (Institutional) तुलना ही नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था (Political System) का अध्ययन है, जिसमें अनौपचारिक संगठन और राजनीतिक संस्कृति भी शामिल हैं।"

- **एम. कर्टिस (M. Curtis) के अनुसार:**

"राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक व्यवहार का मूल्यांकन और वर्गीकरण ही तुलनात्मक राजनीति है।"

तुलनात्मक राजनीति (Comparative Politics) राजनीति विज्ञान की एक प्रमुख और अत्यंत महत्वपूर्ण शाखा है। इसके अंतर्गत विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणालियों, संस्थाओं, व्यवहारों और प्रक्रियाओं का गहराई से अध्ययन और तुलना की जाती है।

तुलनात्मक राजनीति के **स्वरूप (Nature)** को समझने के लिए इसके मुख्य लक्षणों और विशेषताओं को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है:

1. वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक प्रकृति (Scientific and Analytical)

आधुनिक तुलनात्मक राजनीति केवल सरकारों के प्रकारों का वर्णन नहीं करती, बल्कि यह **वैज्ञानिक पद्धति** पर आधारित है।

- यह 'क्या है' (What is) का अध्ययन करती है, न कि 'क्या होना चाहिए' (What ought to be) का।
- इसका उद्देश्य राजनीतिक घटनाओं के पीछे के कारणों को खोजना, परिकल्पनाएं (Hypotheses) बनाना और उनका परीक्षण करना है।

2. विस्तृत क्षेत्र)Broad Scope)

पहले तुलनात्मक राजनीति केवल पश्चिमी देशों (जैसे- अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस) और उनकी औपचारिक संस्थाओं (संविधान, संसद, न्यायपालिका) तक सीमित थी। लेकिन आज इसका स्वरूप बेहद व्यापक हो चुका है:

- **गैर-पश्चिमी देश:** अब इसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों की राजनीतिक प्रणालियों को भी शामिल किया जाता है।
- **अनौपचारिक तत्व:** यह केवल लिखित संविधानों को नहीं पढ़ती, बल्कि राजनीतिक दल, दबाव समूह (Pressure Groups), जनमत, और मतदान व्यवहार जैसे अनौपचारिक तत्वों का भी अध्ययन करती है।

3. अंतः) अनुशासनात्मक दृष्टिकोण-Interdisciplinary Approach)

तुलनात्मक राजनीति का स्वरूप पूरी तरह से एकाकी (Isolated) नहीं है। राजनीति को सही ढंग से समझने के लिए यह अन्य सामाजिक विज्ञानों की मदद लेती है:

- **राजनीतिक समाजशास्त्र (Political Sociology):** समाज और राजनीति के अंतर्संबंधों को समझने के लिए।
- **राजनीतिक अर्थशास्त्र (Political Economy):** आर्थिक नीतियों का राजनीति पर प्रभाव जानने के लिए।
- इसके अलावा इतिहास, मनोविज्ञान और मानवशास्त्र (Anthropology) के सिद्धांतों का भी उपयोग किया जाता है।

4. मूल्य) मुक्त अध्ययन-Value-Free Study)

परंपरागत राजनीति विज्ञान जहां 'मूल्यों' (Values), नैतिकता और आदर्शों पर जोर देता था, वहीं आधुनिक तुलनात्मक राजनीति 'तथ्यों' (Facts) पर आधारित है। यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करती है कि कोई व्यवस्था वास्तव में कैसे काम कर रही है, चाहे वह लोकतांत्रिक हो या अधिनायकवादी।

5. अनुभवजन्य अनुसंधान)Empirical Research)

इसका स्वरूप व्यावहारिक और जमीनी स्तर के अनुभवों पर टिका है। राजनीति विज्ञानी केवल किताबों में लिखी बातों को नहीं मानते, बल्कि वे:

- फील्ड वर्क (Field work) करते हैं।
- डेटा (Data) इकट्ठा करते हैं।
- सांख्यिकी (Statistics) और व्यावहारिक सर्वेक्षणों के माध्यम से निष्कर्ष निकालते हैं।

तुलनात्मक राजनीति (Comparative Politics) राजनीति विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है, जिसमें विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणालियों, संस्थाओं, व्यवहारों और प्रक्रियाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है।

तुलनात्मक राजनीति की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

1. विश्लेषणात्मक और आनुभविक अध्ययन (Analytical and Empirical Study)

यह केवल विभिन्न देशों की सरकारों का वर्णन नहीं करता, बल्कि उनके पीछे के कारणों का विश्लेषण करता है। यह 'क्या होना चाहिए' (आदर्शवाद) के बजाय '**क्या है**' (यथार्थवाद) पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं।

2. विस्तृत क्षेत्र (Wider Scope)

आधुनिक तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसमें केवल औपचारिक सरकारी संस्थाओं (जैसे- संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका) का ही नहीं, बल्कि **अनौपचारिक तत्वों** (जैसे- राजनीतिक दल, दबाव समूह, जनमत, मतदान व्यवहार और नागरिक समाज) का भी अध्ययन किया जाता है।

3. विकासशील समाजों के अध्ययन पर बल (Emphasis on Developing Societies)

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से तुलनात्मक राजनीति में एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका के विकासशील देशों की राजनीतिक प्रणालियों के अध्ययन को विशेष महत्व दिया जाने लगा है। इससे यह विषय केवल पश्चिमी देशों (यूरोप और अमेरिका) तक सीमित नहीं रहा।

4. अंतर) अनुशासनात्मक दृष्टिकोण-Inter-disciplinary Approach)

राजनीतिक प्रक्रियाओं को ठीक से समझने के लिए तुलनात्मक राजनीति अन्य सामाजिक विज्ञानों की मदद लेती है। इसमें **समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान और इतिहास** के सिद्धांतों और पद्धतियों का खुलकर उपयोग किया जाता है (जैसे- राजनीतिक समाजशास्त्र या राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन)।

5. वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग)Use of Scientific Method)

आधुनिक तुलनात्मक राजनीति में अध्ययन को अधिक सटीक और वैज्ञानिक बनाने के लिए नए दृष्टिकोणों और तकनीकों का उपयोग किया जाता है। जैसे:

- **व्यवस्था सिद्धांत (System Theory)**
- **संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक विश्लेषण (Structural-Functional Analysis)**
- **व्यवहारवादी दृष्टिकोण (Behavioral Approach)**

6. मूल्य) मुक्त अध्ययन-Value-Free Study)

परंपरागत राजनीति विज्ञान जहाँ नैतिक मूल्यों, आदर्शों और 'क्या अच्छा है' पर जोर देता था, वहीं आधुनिक तुलनात्मक राजनीति **मूल्य-निरपेक्ष (Value-Free)** रहने का प्रयास करती है। इसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक प्राथमिकताओं को तय करना नहीं, बल्कि राजनीतिक यथार्थ को निष्पक्ष रूप से समझना है।

तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र (Scope of Comparative Politics) अत्यंत व्यापक और गतिशील है। परंपरागत रूप से जहाँ इसके अंतर्गत केवल विभिन्न देशों की सरकारों और उनके कानूनी ढांचों का अध्ययन किया जाता था, वहीं आधुनिक समय में इसमें उन सभी औपचारिक और अनौपचारिक तत्वों को शामिल कर लिया गया है जो मानव के राजनीतिक जीवन को प्रभावित करते हैं।

तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र को हम मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत समझ सकते हैं:

1. औपचारिक राजनीतिक संरचनाओं का अध्ययन)Study of Formal Political Structures)

इसके अंतर्गत विभिन्न देशों के संविधानों और सरकारी अंगों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है।

- **व्यवस्थापिका (Legislature):** जैसे कानून बनाने की प्रक्रिया, संसदों की संरचना और उनकी शक्तियाँ।
- **कार्यपालिका (Executive):** जैसे राष्ट्रपति शासन प्रणाली बनाम संसदीय शासन प्रणाली।
- **न्यायपालिका (Judiciary):** जैसे न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) और न्यायपालिका की स्वतंत्रता।

2. अनौपचारिक संरचनाओं और गैर) सरकारी तत्वों का अध्ययन-Study of Informal Structures)

आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार, सरकार के बाहर की संस्थाएं भी राजनीति को गहराई से प्रभावित करती हैं। इसलिए इसके क्षेत्र में शामिल हैं:

- **राजनीतिक दल (Political Parties):** एक-दलीय, द्वि-दलीय और बहु-दलीय व्यवस्थाओं का प्रभाव।
- **दबाव समूह और हित समूह (Pressure Groups):** ये संगठन सरकारों पर अपनी माँगों मनवाने के लिए कैसे दबाव डालते हैं।
- **जनमत और मीडिया (Public Opinion & Media):** सूचना के माध्यम राजनीतिक चेतना को कैसे बदलते हैं।

3. राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन)Study of Political Behavior)

केवल संस्थाओं को पढ़ना काफी नहीं है, बल्कि यह देखना भी जरूरी है कि लोग उस व्यवस्था में कैसा व्यवहार करते हैं। इसमें शामिल हैं:

- **मतदान व्यवहार (Voting Behavior):** लोग वोट देते समय किन बातों (जाति, धर्म, विकास, विचारधारा) से प्रभावित होते हैं।
- **राजनीतिक सहभागिता (Political Participation):** जनता राजनीति में कितनी सक्रिय भूमिका निभाती है।

4. राजनीतिक आधुनिकीकरण और विकास)Political Modernization & Development)

विशेषकर एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका के विकासशील देशों (Third World Countries) के स्वतंत्र होने के बाद यह क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण हो गया।

- इसमें अध्ययन किया जाता है कि पारंपरिक समाज कैसे आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं की ओर बढ़ते हैं।
- विभिन्न देशों में राजनीतिक स्थिरता, लोकतांत्रिकीकरण (Democratization) और राजनीतिक पतन के क्या कारण हैं।

5. राजनीतिक संस्कृति और समाजीकरण)Political Culture & Socialization)

- **राजनीतिक संस्कृति:** किसी देश के नागरिकों के मन में अपनी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति क्या मूल्य, विश्वास और दृष्टिकोण हैं। (जैसे- क्या लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं या तानाशाही में?)

- **राजनीतिक समाजीकरण:** वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से राजनीतिक विचार और मूल्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं (जैसे- परिवार, स्कूल, मीडिया के जरिए)।

6. अंतः) अनुशासनात्मक अध्ययन-Inter-disciplinary Scope)

तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र केवल राजनीति विज्ञान तक सीमित नहीं है। राजनीतिक घटनाओं को समझने के लिए यह **अर्थशास्त्र (Economic factors)**, **समाजशास्त्र (Social structures जैसे जाति, वर्ग)** और **मनोविज्ञान (Psychology)** के सिद्धांतों को भी अपने भीतर समेटता है।

निष्कर्ष: सीधे शब्दों में कहें तो तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में "वह सब कुछ शामिल है जो राजनीतिक है"—चाहे वह देश का लिखित संविधान हो, या किसी गाँव के चौराहे पर होने वाली राजनीतिक चर्चा।

तुलनात्मक राजनीति – परम्परागत एवं आधुनिक विषय क्षेत्र

तुलनात्मक राजनीति का **परंपरागत दृष्टिकोण (Traditional Approach)** वह शुरुआती नजरिया है जिसके तहत 20वीं सदी के मध्य (विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध) से पहले राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता था। अरस्तू से लेकर मॉटेस्क्यू और ब्राइस जैसे विद्वानों ने इसी पद्धति का उपयोग किया।

इस दृष्टिकोण की मुख्य पद्धतियाँ (Methods) और विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

परंपरागत दृष्टिकोण की मुख्य पद्धतियाँ

परंपरागत विद्वान राजनीति को समझने के लिए मुख्य रूप से चार पद्धतियों पर निर्भर रहते थे:

1. दार्शनिक पद्धति)Philosophical Method)

- इसमें 'क्या होना चाहिए' (What ought to be) पर ध्यान दिया जाता है, न कि इस पर कि वास्तव में 'क्या है'।
- यह पद्धति आदर्श राज्य, न्याय, नैतिकता और मूल्यों की बात करती है। प्लेटो और थॉमस मूर जैसे विचारकों ने इसका बहुत उपयोग किया।

2. ऐतिहासिक पद्धति (Historical Method)

- इस पद्धति के अनुसार, किसी भी राजनीतिक संस्था (जैसे- संसद या कानून) को समझने के लिए उसके इतिहास और विकास को जानना जरूरी है।
- विद्वान अतीत की घटनाओं का विश्लेषण करके वर्तमान की राजनीतिक समस्याओं को समझने का प्रयास करते थे।

3. कानूनी या वैधानिक पद्धति (Legal Method)

- इसमें राजनीति को केवल 'कानून' और 'संविधान' के चश्मे से देखा जाता है।
- यह पद्धति इस बात पर जोर देती है कि किसी देश का संविधान क्या कहता है, अदालतों की शक्तियाँ क्या हैं, और कानूनी रूप से सरकार कैसे काम करती है।

4. संस्थागत पद्धति (Institutional Method)

- इसमें केवल औपचारिक और सरकारी संस्थाओं के ढांचे के अध्ययन पर जोर दिया जाता था।
- जैसे- कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, और नौकरशाही की बनावट कैसी है। इसके तहत सरकार के बाहर के तत्वों (जैसे दबाव समूह या जनता के व्यवहार) को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जाता था।

परंपरागत दृष्टिकोण की मुख्य विशेषताएँ (और कमियाँ)

- **अति-वर्णनात्मक (Highly Descriptive):** यह दृष्टिकोण केवल विभिन्न देशों के संविधानों और संस्थाओं का वर्णन (Description) करता था, उनके गहरे कारणों का विश्लेषण (Analysis) नहीं।
- **संकीर्ण या प्रादेशिक (Parochial/Western-Centric):** यह अध्ययन केवल पश्चिमी देशों (यूरोप और अमेरिका) की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं तक सीमित था। एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका के विकासशील समाजों को इसमें कोई जगह नहीं दी गई थी।
- **प्रधानतः गैर-तुलनात्मक (Mainly Non-Comparative):** नाम तुलनात्मक राजनीति था, लेकिन विद्वान अक्सर अलग-अलग देशों की प्रणालियों को अगल-बगल रखकर बस उनका विवरण लिख देते थे। वास्तविक तुलना (जैसे- दोनों प्रणालियों के बीच गहरे अंतर्संबंधों को खोजना) बहुत कम होती थी।
- **स्थैतिक (Static):** यह केवल कानूनी ढांचों को देखता था, इसलिए यह बदलती हुई राजनीतिक गतिकी और क्रांतियों को समझने में असमर्थ था।

बदलाव की वजह: द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब एशिया और अफ्रीका के नए देश आजाद हुए, तो वहां की राजनीति को समझने में यह कानूनी और ऐतिहासिक पद्धति नाकाम साबित हुई। इसी कमी को दूर करने के लिए बाद में '**आधुनिक या व्यवहारवादी दृष्टिकोण**' (Modern/Behavioral Approach) का जन्म हुआ।

आधुनिक तुलनात्मक राजनीति (Modern Comparative Politics) का उदय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। परंपरागत दृष्टिकोण की कमियाँ—जैसे केवल कानूनी ढांचों का अध्ययन, पश्चिमी देशों तक सीमित रहना और अति-वर्णनात्मक होना—को दूर करने के लिए राजनीति विज्ञानियों (विशेषकर अमेरिकी विद्वानों) ने इस नए दृष्टिकोण को विकसित किया।

आधुनिक दृष्टिकोण का मुख्य लक्ष्य राजनीति को एक **सच्चा विज्ञान** बनाना है।

आधुनिक तुलनात्मक राजनीति की मुख्य विशेषताएँ और अध्ययन के तरीके निम्नलिखित हैं:

1. आनुभविक और वैज्ञानिक अध्ययन)Empirical and Scientific Study)

आधुनिक दृष्टिकोण कल्पनाओं या 'क्या होना चाहिए' पर आधारित नहीं है। यह '**क्या है**' (What is) पर आधारित है। इसमें डेटा (आंकड़े), सर्वेक्षण और वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह तथ्यों को परखने और मापने पर जोर देता है।

2. अनौपचारिक तत्वों और व्यवहार पर जोर)Focus on Informal Elements & Behavior)

यह दृष्टिकोण केवल संविधान या सरकारी पदों तक सीमित नहीं है। यह उन वास्तविक शक्तियों का अध्ययन करता है जो सरकार को चलाती हैं।

- इसमें **राजनीतिक व्यवहार (Political Behavior)**—जैसे लोग वोट क्यों देते हैं, नेता कैसे फैसले लेते हैं—का गहराई से अध्ययन किया जाता है।
- राजनीतिक दल, दबाव समूह, मीडिया और जनमत की भूमिका को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है।

3. विकासशील देशों का समावेश)Inclusion of Developing Nations)

आधुनिक तुलनात्मक राजनीति ने अपना दायरा यूरोप और अमेरिका से बाहर निकाला। इसने **एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका** के नव-स्वतंत्र और विकासशील देशों (Third World) की राजनीतिक प्रणालियों, उनकी समस्याओं, और उनके राजनीतिक आधुनिकीकरण का गहन अध्ययन शुरू किया।

4. अंतः) अनुशासनात्मक दृष्टिकोण-Inter-disciplinary Approach)

आधुनिक विद्वानों का मानना है कि मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार उसके सामाजिक और आर्थिक जीवन से अलग नहीं है। इसलिए राजनीति को समझने के लिए **समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, और अर्थशास्त्र** के सिद्धांतों का खुलकर इस्तेमाल किया जाने लगा।

5. मूल्य) निरपेक्षता-Value-Free Study)

आधुनिक राजनीति विज्ञानी अपने शोध में खुद के विचारों या नैतिक मूल्यों (जैसे अच्छा-बुरा, उचित-अनुचित) को शामिल नहीं करते। वे एक वैज्ञानिक की तरह एकदम निष्पक्ष होकर राजनीतिक यथार्थ का अध्ययन करते हैं।

आधुनिक तुलनात्मक राजनीति के प्रमुख सिद्धांत) उपागम /Major Approaches)

आधुनिक अध्ययन को वैज्ञानिक बनाने के लिए कुछ नए मॉडल विकसित किए गए, जिनमें सबसे प्रमुख हैं:

- **व्यवस्था सिद्धांत (System Theory):** डेविड ईस्टन द्वारा दिया गया यह सिद्धांत राजनीति को एक 'मशीन' या 'जीव' की तरह देखता है, जिसमें समाज से माँगें (Input) आती हैं और सरकार फैसले (Output) के रूप में उन्हें पूरा करती है।
- **संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक उपागम (Structural-Functional Approach):** गेब्रियल आमंड द्वारा विकसित यह सिद्धांत देखता है कि कोई राजनीतिक संस्था (संरचना) क्या काम (प्रकार्य) कर रही है।
- **राजनीतिक संस्कृति और विकास (Political Culture & Development):** यह समाज की मान्यताओं और राजनीतिक बदलावों के अध्ययन पर आधारित है।

आधुनिक तुलनात्मक राजनीति का महत्व (Significance of Modern Comparative Politics)

आज के वैश्विक युग में अत्यधिक बढ़ गया है। जहाँ परंपरागत राजनीति केवल सरकारों के कागजी ढांचे तक सीमित थी, वहीं आधुनिक दृष्टिकोण हमें वैश्विक स्तर पर घट रही राजनीतिक घटनाओं के गहरे कारणों और उनके प्रभावों को समझने में मदद करता है।

इसके महत्व को हम निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं के अंतर्गत समझ सकते हैं:

1. राजनीतिक यथार्थ को समझने में सहायक)Understanding Political Reality)

आधुनिक तुलनात्मक राजनीति केवल संविधानों के आदर्शों को नहीं पढ़ती, बल्कि यह बताती है कि जमीन पर वास्तविक राजनीति कैसे चल रही है।

- उदाहरण के लिए, दो देशों में एक जैसा लोकतांत्रिक संविधान होने के बावजूद एक देश में लोकतंत्र सफल और दूसरे में विफल क्यों हो जाता है? इसका जवाब आधुनिक दृष्टिकोण ही दे पाता है।

2. वैज्ञानिक सिद्धांतों का निर्माण)Formulation of Scientific Theories)

इस दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य राजनीति को एक विज्ञान बनाना है। विभिन्न देशों के राजनीतिक व्यवहार, मतदान पद्धतियों और व्यवस्थाओं की तुलना करके ऐसे **सामान्य नियम और सिद्धांत** बनाए जाते हैं जो पूरी दुनिया पर लागू हो सकें। यह राजनीति विज्ञान को केवल 'विवरण' (Description) से ऊपर उठाकर 'विश्लेषण' (Analysis) के स्तर पर ले जाता है।

3. विकासशील देशों की समस्याओं का सही मूल्यांकन)Evaluating Developing Nations)

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आजाद हुए एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका के देशों (तीसरी दुनिया) को समझने में यह दृष्टिकोण सबसे कारगर रहा है। इन देशों में जाति, धर्म, कबीले और गरीबी राजनीति को कैसे प्रभावित करते हैं, इसका अध्ययन आधुनिक पद्धतियों (जैसे राजनीतिक विकास और आधुनिकीकरण) द्वारा ही संभव हो पाया है।

4. नीति निर्माण और शासकों के लिए उपयोगी)Helpful in Policy Making)

आज के समय में सरकारें कोई भी नीति (Policy) बनाने से पहले दूसरे देशों के अनुभवों को देखती हैं।

- यदि किसी देश को अपनी चुनाव प्रणाली में सुधार करना है, या भ्रष्टाचार पर लगाम लगानी है, तो वह आधुनिक तुलनात्मक अध्ययन के जरिए यह देख सकता है कि अन्य देशों में कौन सी नीतियाँ सफल रहीं और कौन सी विफल।

5. अंतः) विषयक समझ बढ़ाना-Broadening Inter-disciplinary Understanding)

यह दृष्टिकोण राजनीति को समाज, अर्थव्यवस्था और मानव मनोविज्ञान से जोड़कर देखता है। इससे न केवल राजनीति विज्ञान समृद्ध होता है, बल्कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र जैसे अन्य

विषयों को भी एक नई दृष्टि मिलती है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि आर्थिक बदलाव (जैसे वैश्वीकरण) किसी देश की घरेलू राजनीति को कैसे बदल देते हैं।

6. लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों का सुदृढ़ीकरण)Strengthening Democracy)

विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना करके यह स्पष्ट होता है कि नागरिक स्वतंत्रता, मानव अधिकार और कानून का शासन किन परिस्थितियों में सबसे बेहतर काम करते हैं। यह तानाशाही या अधिनायकवादी व्यवस्थाओं की कमियों को उजागर करके लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने में मदद करता है।

निष्कर्ष: आज के वैश्वीकरण और सूचना क्रांति के दौर में, जब दुनिया भर की राजनीतिक व्यवस्थाएं एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं, आधुनिक तुलनात्मक राजनीति हमें वैश्विक स्तर पर आ रहे राजनीतिक बदलावों (जैसे लोक-लुभावन राजनीति या पॉपुलिज़्म, राष्ट्रवाद, और लोकतांत्रिक पतन) को समझने का सबसे सटीक और वैज्ञानिक चश्मा प्रदान करती है।

व्यवहारवाद एवं उत्तर-व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान के आधुनिक युग में **व्यवहारवाद (Behavioralism)** और **उत्तर-व्यवहारवाद (Post-Behavioralism)** दो सबसे महत्वपूर्ण क्रांतियाँ और मील के पत्थर हैं। इन दोनों आंदोलनों की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिकों (विशेषकर शिकागो स्कूल और डेविड ईस्टन) द्वारा की गई थी।

इन दोनों को समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि **व्यवहारवाद एक 'वैज्ञानिक क्रांति' थी**, और **उत्तर-व्यवहारवाद उस क्रांति में किया गया 'सुधार' था**।

1. व्यवहारवाद (Behavioralism)

व्यवहारवाद परंपरागत राजनीति विज्ञान की रूढ़िवादी, कानूनी और दार्शनिक पद्धतियों के खिलाफ एक विद्रोह था।

मुख्य विचार इसका मानना था कि हमें संस्थाओं (जैसे संसद या संविधान) के कागजी अध्ययन को छोड़कर, राजनीति के मूल तत्व—**मानव के राजनीतिक व्यवहार (Human Political Behavior)** का अध्ययन करना चाहिए।

* **नारा:** इसका मुख्य नारा था—**"शुद्ध विज्ञान" (Pure Science)**।

व्यवहारवाद की मुख्य विशेषताएँ (डेविड ईस्टन के अनुसार 8 बौद्धिक आधारशिलाएँ):

1. **नियमितताएँ (Regularities):** मानव के राजनीतिक व्यवहार में कुछ ऐसी समानताएँ होती हैं, जिनके आधार पर नियम बनाए जा सकते हैं।
2. **सत्यापन (Verification):** एकत्रित किए गए आंकड़ों को दोबारा जांचा और परखा जा सकता है।
3. **तकनीक (Techniques):** अध्ययन के लिए गणितीय, सांख्यिकीय और वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग।
4. **परिमाणीकरण (Quantification):** तथ्यों और आंकड़ों को मापने योग्य बनाना।
5. **मूल्य-निरपेक्षता (Value-Free):** अध्ययन में शोधकर्ता की पसंद-नापसंद या नैतिक मूल्यों (जैसे अच्छा-बुरा) का कोई स्थान नहीं होना चाहिए।
6. **क्रमबद्धीकरण (Systematization):** सिद्धांत और शोध एक-दूसरे से जुड़े होने चाहिए।
7. **शुद्ध विज्ञान (Pure Science):** राजनीति को भौतिक या प्राकृतिक विज्ञान की तरह एक शुद्ध विज्ञान बनाना।
8. **एकीकरण (Integration):** राजनीति विज्ञान को अन्य सामाजिक विज्ञानों (समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र) से जोड़ना।

कमी/आलोचना:

व्यवहारवाद तकनीक और आंकड़ों को इकट्ठा करने में इतना खो गया कि वह समाज की वास्तविक समस्याओं (जैसे गरीबी, युद्ध, नस्लवाद) से कट गया। वैज्ञानिकों ने कहा कि व्यवहारवादी "प्रासंगिक (Relevant) होने के बजाय शुद्ध होना" ज्यादा पसंद करते हैं।

2. उत्तर-व्यवहारवाद (Post-Behavioralism)

1960 के दशक के अंत में, खुद व्यवहारवाद के जनक **डेविड ईस्टन** ने महसूस किया कि व्यवहारवाद में कुछ बड़ी कमियाँ हैं। उस समय अमेरिका वियतनाम युद्ध, नागरिक अधिकार आंदोलनों और परमाणु खतरे से जूझ रहा था, लेकिन व्यवहारवादी कंप्यूटरों में बैठकर डेटा विश्लेषण कर रहे थे। इसके विरोध में उत्तर-व्यवहारवाद का जन्म हुआ।

* **मुख्य विचार:** यह व्यवहारवाद का विरोधी नहीं था, बल्कि उसमें एक सुधार था। इसका मानना था कि तकनीक और विज्ञान जरूरी हैं, लेकिन समाज की समस्याओं के समाधान के लिए **मूल्य और कर्म (Action)** भी उतने ही जरूरी हैं।

* **नारा:** इसका मुख्य नारा था—**"प्रासंगिकता और कर्म" (Relevance and Action)**।

उत्तर-व्यवहारवाद के दो मुख्य स्तंभ:

1. ****तकनीक से पहले सार तत्व (Substance before Technique):**** वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी वह विषय या समस्या है जिस पर शोध हो रहा है। उद्देश्यहीन शोध का कोई फायदा नहीं।
2. ****सामाजिक परिवर्तन पर बल (Emphasis on Social Change):**** राजनीति विज्ञान का काम केवल समाज को समझना नहीं, बल्कि समाज की समस्याओं को दूर कर उसमें सकारात्मक बदलाव लाना है।

इसकी मुख्य विशेषताएँ:

- * ****मूल्यों की वापसी:**** इसने माना कि राजनीति विज्ञान पूरी तरह से मूल्य-निरपेक्ष नहीं हो सकता। विचारकों को मानवीय मूल्यों (न्याय, स्वतंत्रता, समानता) का समर्थन करना चाहिए।
- * ****बुद्धिजीवियों की भूमिका:**** राजनीतिक वैज्ञानिकों को समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और संकट के समय मूकदर्शक नहीं बने रहना चाहिए।
- * ****कर्म-निष्ठ विज्ञान:**** शोध ऐसा होना चाहिए जिसका समाज के विकास और नीतियों के निर्माण में व्यावहारिक उपयोग हो सके।

तुलनात्मक तालिका (Quick Comparison)

विशेषता | व्यवहारवाद (Behavioralism) | उत्तर-व्यवहारवाद (Post-Behavioralism) |

| ****समय**** | 1950 का दशक (द्वितीय विश्व युद्ध के बाद) | 1960 का दशक (अंत) |

| ****मुख्य नारा**** | शुद्ध विज्ञान (Pure Science) | प्रासंगिकता और कर्म (Relevance & Action) |

| ****मुख्य जोर**** | तकनीक और अध्ययन की पद्धतियों पर | समाज की वास्तविक समस्याओं के समाधान पर |

| ****मूल्य (Values)**** | पूरी तरह मूल्य-निरपेक्ष (Value-Free) | मूल्य-सापेक्ष (Values को स्वीकार किया) |

| ****लक्ष्य**** | केवल ज्ञान और सिद्धांत का निर्माण करना | ज्ञान का उपयोग सामाजिक सुधार के लिए करना |

आधुनिक तुलनात्मक राजनीति का महत्व (Significance of Modern Comparative Politics)

आज के वैश्विक और अंतः-निर्भर युग में अत्यधिक बढ़ गया है। पारंपरिक दृष्टिकोण जहाँ केवल पश्चिमी देशों के कागजी संविधानों तक सीमित था, वहीं आधुनिक तुलनात्मक राजनीति हमें दुनिया भर की राजनीतिक व्यवस्थाओं के व्यावहारिक और वास्तविक स्वरूप को समझने में मदद करती है।

इसके महत्व को हम निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं के अंतर्गत समझ सकते हैं:

1. राजनीतिक यथार्थ (Ground Reality) को समझने में सहायक

आधुनिक तुलनात्मक राजनीति केवल यह नहीं देखती कि किसी देश के संविधान में क्या लिखा है, बल्कि यह देखती है कि जमीन पर वास्तविक राजनीति कैसे चल रही है।

- **उदाहरण के लिए:** दो देशों में एक जैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था और लिखित संविधान होने के बावजूद, एक देश में लोकतंत्र मजबूत क्यों होता है और दूसरे में सैनिक तानाशाही या अस्थिरता क्यों आ जाती है? इसका वास्तविक कारण (जैसे- सामाजिक संरचना, आर्थिक कारक, या राजनीतिक संस्कृति) आधुनिक तुलनात्मक अध्ययन ही उजागर करता है।

2. वैज्ञानिक सिद्धांतों का निर्माण)Formulation of Scientific Theories)

आधुनिक दृष्टिकोण का मुख्य लक्ष्य राजनीति विज्ञान को एक 'सच्चा विज्ञान' बनाना है। विभिन्न देशों के राजनीतिक व्यवहार, मतदान पद्धतियों, और संस्थाओं की व्यापक तुलना करके ऐसे सामान्य नियम और सिद्धांत बनाए जाते हैं जो वैश्विक स्तर पर प्रासंगिक हों। यह विषय को केवल कहानियों या विवरणों से ऊपर उठाकर गहरे विश्लेषण (Analysis) के स्तर पर ले जाता है।

3. विकासशील देशों)Third World) को समझने का सटीक जरिया

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका के दर्जनों देश आजाद हुए। इन देशों की राजनीति को पश्चिमी देशों के पुराने चश्मे से नहीं समझा जा सकता था। आधुनिक तुलनात्मक राजनीति ने इन समाजों में जाति, धर्म, कबीले, गरीबी, और भाषाई विविधता जैसी अनौपचारिक शक्तियों का अध्ययन किया, जिससे विकासशील देशों की राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझने में मदद मिली।

4. नीति निर्माण)Policy Making) में व्यावहारिक उपयोगिता

आज दुनिया भर की सरकारें कोई भी बड़ी नीति या कानून बनाने से पहले दूसरे देशों के अनुभवों का तुलनात्मक अध्ययन करती हैं।

- यदि किसी देश को अपनी चुनाव प्रणाली में सुधार करना है, भ्रष्टाचार पर लगाम लगानी है, या स्वास्थ्य-शिक्षा नीतियों को बेहतर बनाना है, तो वह यह देखता है कि अन्य देशों में कौन से मॉडल सफल रहे और कौन से विफल। इस प्रकार यह शासकों और नीति-निर्माताओं के लिए एक गाइड का काम करता है।

5. बदलते वैश्विक रुझानों)Global Trends) की पहचान

आज के दौर में लोक-लुभावनवाद (Populism), उग्र राष्ट्रवाद, लोकतांत्रिक पतन (Democratic Backsliding), और सोशल मीडिया का राजनीति पर प्रभाव जैसी चुनौतियाँ वैश्विक रूप ले चुकी हैं। आधुनिक तुलनात्मक राजनीति शोधकर्ताओं को यह समझने में मदद करती है कि ये प्रवृत्तियाँ अलग-अलग देशों में कैसे और क्यों फैल रही हैं, और इनके क्या परिणाम हो सकते हैं।

6. अंतः) विषयक दृष्टिकोण-Inter-disciplinary Enrichment)

यह दृष्टिकोण राजनीति को समाज, अर्थशास्त्र और मानव मनोविज्ञान से जोड़ता है। इसके महत्व के कारण ही आज हम राजनीतिक समाजशास्त्र (Political Sociology) और राजनीतिक अर्थशास्त्र

(Political Economy) जैसे नए क्षेत्रों को पढ़ पाते हैं, जो किसी भी देश के संपूर्ण विकास को समझने के लिए जरूरी हैं।

निष्कर्ष: संक्षेप में कहें तो आधुनिक तुलनात्मक राजनीति हमारे दृष्टिकोण को संकीर्णता से बाहर निकाल कर वैश्विक (Global) बनाती है। यह हमें एक ऐसी अंतर्दृष्टि देती है जिससे हम न केवल दूसरे देशों की व्यवस्थाओं को निष्पक्ष रूप से समझ सकते हैं, बल्कि उनके साथ अपने देश की तुलना करके अपनी व्यवस्था को भी अधिक मजबूत और सुदृढ़ बना सकते हैं।

व्यवहारवाद (Behavioralism) का मुख्य उद्देश्य राजनीति विज्ञान को परंपरागत सीमाओं (जैसे केवल कानून, इतिहास और दर्शन के अध्ययन) से बाहर निकालकर एक **सच्चा, आधुनिक और व्यावहारिक विज्ञान** बनाना था।

सरल शब्दों में, इसका उद्देश्य राजनीति के अध्ययन को वैसी ही सटीकता प्रदान करना था जैसी भौतिक विज्ञान (Physics) या जीव विज्ञान (Biology) में होती है।

डेविड ईस्टन और अन्य व्यवहारवादियों के अनुसार, इसके मुख्य उद्देश्यों को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है:

1. मानव के वास्तविक राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना

परंपरागत राजनीति विज्ञान केवल संस्थाओं (संसद, संविधान, न्यायालय) के कागजी और कानूनी ढांचे को देखता था। व्यवहारवाद का मुख्य उद्देश्य यह जानना था कि **इन संस्थाओं के भीतर और बाहर इंसान (नेता, मतदाता, अधिकारी) वास्तव में कैसा व्यवहार करते हैं।**

- **जैसे:** संविधान में मतदान का अधिकार लिखना एक बात है, लेकिन एक मतदाता वोट देते समय जाति, धर्म या पैसे से प्रभावित हो रहा है या विकास से—इस वास्तविक व्यवहार को खोजना व्यवहारवाद का उद्देश्य था।

2. राजनीति विज्ञान को एक 'शुद्ध विज्ञान' (Pure Science) बनाना

व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान को केवल कला या दर्शन का विषय नहीं मानते थे। उनका उद्देश्य राजनीति में प्राकृतिक विज्ञानों की तरह **सटीकता, प्रमाणिकता और निश्चितता** लाना था, ताकि राजनीतिक घटनाओं की भविष्यवाणी (Prediction) की जा सके।

3. वैज्ञानिक और आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करना

अध्ययन को विश्वसनीय बनाने के लिए पुरानी पद्धतियों के स्थान पर नई वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाना इसका बड़ा उद्देश्य था। इसके तहत:

- **सांख्यिकी (Statistics) और गणितीय मॉडल** का प्रयोग।
- **समीक्षा, फील्ड सर्वे (Field Surveys), और साक्षात्कार (Interviews)** के जरिए सीधे जनता से डेटा इकट्ठा करना।

4. मूल्य) मुक्त या निष्पक्ष अध्ययन-Value-Free Research)

परंपरागत अध्ययन इस बात पर जोर देता था कि "क्या होना चाहिए" (जैसे एक आदर्श राजा या आदर्श राज्य कैसा हो)। व्यवहारवाद का उद्देश्य इस नैतिकता और आदर्शवाद को हटाकर "**क्या है**" (What is) पर ध्यान केंद्रित करना था। शोधकर्ता को अपनी व्यक्तिगत पसंद-नापसंद या मूल्यों को छोड़कर, एक वैज्ञानिक की तरह एकदम निष्पक्ष होकर तथ्यों का अध्ययन करना था।

5. सामान्य सिद्धांतों का निर्माण करना)Theory Building)

व्यवहारवाद का अंतिम उद्देश्य केवल आंकड़े इकट्ठा करना नहीं था, बल्कि दुनिया भर के राजनीतिक व्यवहारों की तुलना करके ऐसे **सार्वभौमिक नियम और सिद्धांत (Universal Theories)** बनाना था जो हर जगह लागू हो सकें (जैसे मतदान व्यवहार या राजनीतिक स्थिरता के नियम)।

6. अंतः) अनुशासनात्मक एकता-Inter-disciplinary Unity)

मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार उसके सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक जीवन से जुड़ा होता है। इसलिए, व्यवहारवाद का उद्देश्य राजनीति विज्ञान की दीवारों को तोड़कर उसे **समाजशास्त्र (Sociology), अर्थशास्त्र (Economics), और मनोविज्ञान (Psychology)** के साथ जोड़ना था, ताकि मानव व्यवहार को संपूर्णता में समझा जा सके।

व्यवहारवाद (Behaviorism) मनोविज्ञान और राजनीतिक विज्ञान दोनों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण दृष्टिकोण (Approach) है। यह मुख्य रूप से अमूर्त सिद्धांतों या केवल विचारों के बजाय **मानव के वास्तविक, प्रत्यक्ष और मापने योग्य व्यवहार** के अध्ययन पर जोर देता है।

अलग-अलग संदर्भों (मनोविज्ञान और राजनीति शास्त्र) के आधार पर इसके मूल लक्षण थोड़े भिन्न हो सकते हैं, लेकिन इसके **सार्वभौमिक मूल लक्षण (Core Characteristics)** निम्नलिखित हैं:

1. व्यवहार पर ध्यान)Focus on Behavior)

- व्यवहारवाद का मुख्य आधार यह है कि अध्ययन का विषय ऐसा होना चाहिए जिसे बाहर से देखा और मापा जा सके।
- यह मनुष्य की आंतरिक भावनाओं, आत्मा, या केवल कागजी कानूनों के बजाय **व्यक्ति या समूह के वास्तविक व्यवहार** को समझने पर जोर देता है।

2. वैज्ञानिक पद्धति और सत्यापन)Scientific Method and Verification)

- इसके अंतर्गत किसी भी निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है।
- जो भी ज्ञान या डेटा प्राप्त किया जाए, उसका पुनः **परीक्षण (Re-verification)** और **सत्यापन** संभव होना चाहिए।

3. मूल्य) निरपेक्षता-Value-Free Study)

- व्यवहारवादी अध्ययन को 'मूल्य-निरपेक्ष' (Value-Free) रखना चाहते हैं।
- इसका मतलब है कि अध्ययन करते समय शोधकर्ता को अपनी व्यक्तिगत पसंद-नापसंद, नैतिकता या "क्या होना चाहिए" को दूर रखकर केवल "**क्या है**" (Facts) पर ध्यान केंद्रित करना होता है।

4. प्रमाणीकरण और मापन)Quantification and Measurement)

- व्यवहारवाद में तथ्यों और आंकड़ों को शुद्धता से मापने के लिए **सांख्यिकी (Statistics)** और **गणितीय पद्धतियों** का प्रयोग किया जाता है।
- शोध को स्पष्ट और सटीक बनाने के लिए डेटा को तालिका, ग्राफ और चार्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

5. अंतः) अनुशासनात्मक दृष्टिकोण-Interdisciplinary Approach)

- मानव व्यवहार को पूरी तरह समझने के लिए व्यवहारवाद अन्य सामाजिक विज्ञानों (जैसे- समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान) की खोजों और पद्धतियों को अपनाने पर जोर देता है।

6. नियमितताएँ)Regularities)

- व्यवहारवादियों का मानना है कि मानव व्यवहार में कुछ ऐसी नियमितताएं या समान पैटर्न होते हैं जिन्हें खोजा जा सकता है। इन समानताओं के आधार पर भविष्य के व्यवहार की भविष्यवाणी की जा सकती है।

7. क्रमबद्धीकरण)Systematization)

- इसके तहत शोध कार्य पूरी तरह से व्यवस्थित और योजनाबद्ध होना चाहिए। सिद्धांतों का निर्माण तथ्यों के संकलन के बाद ही होना चाहिए, न कि पहले से मान ली गई धारणाओं के आधार पर।

संक्षेप में: व्यवहारवाद का मूल मंत्र है—**"तथ्य, वैज्ञानिकता, प्रत्यक्ष अवलोकन और निष्पक्षता।"** चाहे वह राजनीति में मतदाता का व्यवहार हो या मनोविज्ञान में किसी जीव की प्रतिक्रिया, यह केवल उसी को सच मानता है जिसे वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया जा सके।

क्या आप व्यवहारवाद के इन लक्षणों को **राजनीति विज्ञान (David Easton के 8 बौद्धिक आधारस्तंभ)** के संदर्भ में विस्तार से समझना चाहते हैं या **मनोविज्ञान (J.B. Watson) के संदर्भ में**?

व्यवहारवाद के **मूल सिद्धांत (Core Principles)** इसके लक्षणों से ही जुड़े हुए हैं, जो इसके काम करने के तरीके और इसकी विचारधारा को परिभाषित करते हैं।

यदि हम डेविड ईस्टन (David Easton) द्वारा राजनीति विज्ञान में दिए गए व्यवहारवाद के **8 बौद्धिक आधारशिलाओं (Intellectual Foundation Stones)** को देखें, तो इन्हें ही व्यवहारवाद के सबसे प्रामाणिक मूल सिद्धांत माना जाता है।

ये 8 मूल सिद्धांत निम्नलिखित हैं:

1. नियमितताएँ (Regularities)

व्यवहारवाद का पहला सिद्धांत है कि मानव के राजनीतिक या सामाजिक व्यवहार में कुछ ऐसी **समानताएँ या नियम** पाए जाते हैं, जिन्हें रेखांकित किया जा सकता है। इन नियमितताओं के आधार पर इंसानी व्यवहार को समझा जा सकता है और उसके भविष्य के कदमों की भविष्यवाणी की जा सकती है।

2. सत्यापन (Verification)

इस सिद्धांत के अनुसार, जो भी ज्ञान या निष्कर्ष निकाला जाए, उसका **पुनः परीक्षण (Re-testing) संभव होना चाहिए**। किसी भी ऐसी धारणा को स्वीकार नहीं किया जाता जिसे प्रत्यक्ष व्यवहार और आंकड़ों के माध्यम से सिद्ध न किया जा सके।

3. तकनीक (Techniques)

व्यवहारवादी केवल सही तथ्यों को ही जरूरी नहीं मानते, बल्कि उन्हें इकट्ठा करने के **तरीके (Methods) को भी शुद्ध बनाना** चाहते हैं। इसके लिए वे वैज्ञानिक उपकरणों, सर्वेक्षण (Surveys), साक्षात्कार (Interviews) और सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं ताकि डेटा पूरी तरह सटीक हो।

4. प्रमाणीकरण या परिमाणीकरण (Quantification)

इकट्ठा किए गए तथ्यों और आंकड़ों को केवल शब्दों में लिखना काफी नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार, सभी डेटा को **मापा और तोला (Measure)** जाना चाहिए। इसके लिए गणितीय और सांख्यिकीय पद्धतियों का उपयोग करके निष्कर्षों को अंकों या ग्राफ में बदला जाता है।

5. मूल्य) निरपेक्षता-Values / Value-Free)

व्यवहारवाद का एक सबसे कड़ा सिद्धांत यह है कि शोध को **मूल्य-मुक्त (Objective)** होना चाहिए। शोधकर्ता को अपनी व्यक्तिगत विचारधारा, पसंद, नैतिकता या "क्या अच्छा है/क्या बुरा है" की भावना को अपने अध्ययन से पूरी तरह अलग रखना चाहिए। उसे केवल 'क्या है' पर ध्यान देना होता है।

6. क्रमबद्धीकरण)Systematization)

इस सिद्धांत का मानना है कि अनुसंधान (Research) हमेशा व्यवस्थित और क्रमबद्ध होना चाहिए। सिद्धांत और तथ्य एक-दूसरे से जुड़े होने चाहिए। बिना किसी ठोस थ्योरी के केवल तथ्य जुटाना बेकार है, और बिना तथ्यों के केवल थ्योरी बनाना भी व्यर्थ है।

7. शुद्ध विज्ञान)Pure Science)

व्यवहारवादी अपने अध्ययन को प्राकृतिक विज्ञानों (जैसे भौतिकी या रसायन विज्ञान) की तरह ही एक 'शुद्ध विज्ञान' बनाना चाहते हैं। उनका मानना है कि सामाजिक विज्ञान के सिद्धांतों में भी वही सटीकता होनी चाहिए जो विज्ञान के नियमों में होती है।

8. एकीकरण या समग्रता)Integration)

इस सिद्धांत के अनुसार, मानव का राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक व्यवहार एक-दूसरे से अलग नहीं है। मनुष्य का व्यवहार एक **समग्र इकाई (Whole)** है। इसलिए, राजनीति को समझने के लिए समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान के सिद्धांतों को आपस में जोड़कर (Interdisciplinary Approach) देखना अनिवार्य है।

संक्षेप में: व्यवहारवाद के ये मूल सिद्धांत वैज्ञानिक शुद्धता, निष्पक्षता और इंसानी व्यवहार के सटीक मापन पर टिके हुए हैं।

क्या आप इनमें से किसी विशिष्ट सिद्धांत को उदाहरण के साथ और गहराई से समझना चाहते हैं?

व्यवहारवादी दृष्टिकोण ने राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान को वैज्ञानिक आधार तो दिया, लेकिन इसकी अत्यधिक कठोरता और वैज्ञानिक बनने की सनक के कारण इसकी तीखी आलोचना भी हुई। खुद डेविड ईस्टन ने बाद में इसकी कमियों को स्वीकार करते हुए **उत्तर-व्यवहारवाद (Post-Behavioralism)** की शुरुआत की थी।

व्यवहारवादी दृष्टिकोण की प्रमुख आलोचनाएँ निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत समझी जा सकती हैं:

1. अत्यधिक मूल्य(अमानवीय दृष्टिकोण) निरपेक्षता-

- **आलोचना:** व्यवहारवादियों ने 'मूल्य-मुक्त' (Value-Free) अध्ययन पर इतना जोर दिया कि उन्होंने समाज की नैतिक समस्याओं, न्याय, स्वतंत्रता और लोकतंत्र जैसे महत्वपूर्ण मूल्यों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया।
- **असर:** आलोचकों का कहना है कि यदि कोई अध्ययन समाज की बुराइयों को दूर करने या सही-गलत का फैसला करने में मदद नहीं कर सकता, तो ऐसा अध्ययन निरर्थक (उद्देश्यहीन) है।

2. तकनीकों पर अत्यधिक जोर (सत्य की बलि)

- **आलोचना:** व्यवहारवाद में तथ्यों को मापने के लिए जटिल गणितीय और सांख्यिकीय तकनीकों (Techniques) पर इतना ध्यान दिया गया कि अध्ययन का मुख्य उद्देश्य ही पीछे छूट गया।
- **कहावत:** आलोचकों ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि व्यवहारवादियों के लिए "यह महत्वपूर्ण नहीं था कि शोध किस विषय पर हो रहा है, बल्कि यह महत्वपूर्ण था कि शोध किस तकनीक से हो रहा है।"

3. मानव व्यवहार की जटिलता (मनुष्य कोई मशीन नहीं है)

- **आलोचना:** प्राकृतिक विज्ञानों (जैसे भौतिकी या रसायन शास्त्र) के विपरीत, मनुष्य का व्यवहार बहुत जटिल, परिवर्तनशील और अप्रत्याशित होता है।
- **असर:** किसी प्रयोगशाला के रसायनों की तरह इंसानी दिमाग और उसकी राजनीतिक प्राथमिकताओं का 100% सटीक मापन या भविष्यवाणी करना असंभव है।

4. राजनीति विज्ञान का बनना "उत्पाद-उप"

- **आलोचना:** अन्य सामाजिक विज्ञानों (जैसे मनोविज्ञान और समाजशास्त्र) से इतनी ज्यादा पद्धतियां उधार ले ली गईं कि राजनीति विज्ञान की अपनी मौलिक पहचान और स्वायत्तता खतरे में पड़ गई। इसे राजनीति का 'मनोवैज्ञानिकरण' या 'समाजशास्त्रीयकरण' कहा जाने लगा।

5. केवल वर्तमान स्थिति का समर्थन (रूढ़िवादिता)

- **आलोचना:** चूंकि व्यवहारवाद केवल "क्या है" (Facts) का अध्ययन करता है और "क्या होना चाहिए" (Values) को छोड़ देता है, इसलिए यह अनजाने में मौजूदा व्यवस्था का समर्थन करने लगता है। यह समाज में बड़े क्रांतिकारी बदलावों या सुधारों का मार्ग प्रशस्त नहीं करता।

6. खर्चीली और समय लेने वाली पद्धति

- **आलोचना:** बड़े पैमाने पर डेटा इकट्ठा करना, सर्वेक्षण करना, इंटरव्यू लेना और फिर सांख्यिकीय विश्लेषण करना बेहद खर्चीला काम है। इसके लिए भारी फंड और समय की आवश्यकता होती है, जो विकासशील देशों या व्यक्तिगत शोधकर्ताओं के लिए व्यावहारिक नहीं है।

निष्कर्ष (व्यवहारवाद का उदय-उत्तर)

इन्हीं कमियों के कारण 1960 के दशक के अंत में **उत्तर-व्यवहारवाद (Post-Behavioralism)** आया, जिसने नारा दिया: "**सार्थकता और क्रिया**" (Relevance and Action)। उन्होंने माना कि तकनीक जरूरी है, लेकिन सामाजिक प्रासंगिकता और मूल्य उससे भी ज्यादा जरूरी हैं।

तर-व्यवहारवाद (Post-Behavioralism) व्यवहारवादी क्रांति की कमियों और उसकी अत्यधिक तकनीकी कठोरता के खिलाफ एक **सुधारात्मक आंदोलन** था। 1960 के दशक के अंत में (विशेषकर 1969 में), व्यवहारवाद के जनक माने जाने वाले **डेविड ईस्टन (David Easton)** ने ही खुद इसके खिलाफ बिगुल फूँका ईस्टन ने महसूस किया कि व्यवहारवादी 'शुद्ध विज्ञान' बनने की होड़ में समाज की वास्तविक समस्याओं (जैसे—वियतनाम युद्ध, परमाणु खतरे, नागरिक अधिकार आंदोलन, गरीबी और नस्लवाद) से पूरी तरह कट चुके थे।

उत्तर-व्यवहारवाद का मुख्य नारा था: "**प्रासंगिकता और क्रिया**" (Relevance and Action)।

उत्तर-व्यवहारवाद के दो प्रमुख नारे (Two Main Credos)

- **प्रासंगिकता (Relevance):** हमारे शोध और ज्ञान का समाज के लिए कोई न कोई अर्थ या महत्व होना चाहिए। यदि राजनीतिक सिद्धांत समाज की तत्कालीन समस्याओं को हल करने में मदद नहीं कर सकता, तो वह बेकार है।

- **क्रिया/कर्म (Action):** राजनीतिक वैज्ञानिकों को केवल विश्वविद्यालय के कमरों में बैठकर डेटा का विश्लेषण नहीं करना चाहिए, बल्कि समाज को सुधारने और पुनर्निर्माण करने के लिए सक्रिय भूमिका (Action) निभानी चाहिए।

डेविड ईस्टन के अनुसार उत्तर-व्यवहारवाद की 7 विशेषताएं (Credo of Relevance)

डेविड ईस्टन ने उत्तर-व्यवहारवाद के सात प्रमुख सिद्धांत या आधार स्तंभ बताए हैं, जिन्हें 'प्रासंगिकता का सिद्धांत' कहा जाता है:

1. तकनीक से पहले सार)Substance before Technique)

व्यवहारवाद कहता था कि तकनीक सबसे महत्वपूर्ण है। उत्तर-व्यवहारवाद ने इसे उलट दिया। उन्होंने कहा कि "तकनीक से ज्यादा महत्वपूर्ण वह विषय या समस्या है जिस पर शोध किया जा रहा है।" वैज्ञानिक उपकरणों के चक्कर में समाज की मुख्य समस्याओं की अनदेखी नहीं की जा सकती।

2. सामाजिक परिवर्तन पर बल)Emphasis on Social Change)

व्यवहारवाद केवल वर्तमान स्थिति (Status quo) को मापने में लगा था, जिससे वह रूढ़िवादी बन गया था। उत्तर-व्यवहारवाद ने कहा कि राजनीति विज्ञान का काम केवल तथ्यों को गिनना नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाना भी है।

3. वास्तविकताओं से संपर्क (Ground Realities) व्यवहारवादियों का शोध अमूर्त और व्यावहारिक दुनिया से दूर होता जा रहा था। उत्तर-व्यवहारवाद ने मांग की कि राजनीति विज्ञान को समकालीन युग के संकटों, तनावों और मानवीय दुखों को दूर करने का माध्यम बनना चाहिए।

4. मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका)Value-Restoration)

व्यवहारवाद ने मूल्यों (Values) को पूरी तरह बाहर निकाल दिया था। उत्तर-व्यवहारवाद ने मूल्यों को राजनीति विज्ञान में वापस स्थापित किया। उन्होंने माना कि बिना किसी उद्देश्य या मूल्य (जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता) के कोई भी ज्ञान समाज के लिए कल्याणकारी नहीं हो सकता।

5. बुद्धिजीवियों की भूमिका)Role of Intellectuals)

उत्तर-व्यवहारवाद के अनुसार, राजनीतिक वैज्ञानिक समाज के बुद्धिजीवी हैं। उनका काम केवल डेटा इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि समाज की सभ्यता और मानवीय मूल्यों की रक्षा करना है। यदि वे तटस्थ (Neutral) रहेंगे, तो वे अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे होंगे।

6. कर्म) उन्मुख विज्ञान-Action-oriented Science)

ज्ञान को क्रियात्मक (Action-oriented) होना चाहिए। शोध का परिणाम ऐसा होना चाहिए जिसका उपयोग समाज की भलाई और नीति-निर्माण (Policy making) में किया जा सके।

7. व्यवसाय का राजनीतिकरण)Politicization of the Profession)

सभी शैक्षणिक संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और शोधकर्ताओं को समाज के संघर्षों और समस्याओं को सुलझाने में खुलकर सामने आना चाहिए। वे समाज से अलग-थलग होकर काम नहीं कर सकते।

व्यवहारवाद बनाम उत्तर-व्यवहारवाद: मुख्य अंतर

बिंदु	व्यवहारवाद)Behavioralism)	उत्तर) व्यवहारवाद-Post-Behavioralism)
मुख्य जोर	केवल तकनीक और पद्धति पर।	समस्या और उसकी सामाजिक प्रासंगिकता पर।
दृष्टिकोण	मूल्य) मुक्त-Value-free) — केवल 'क्या है' का अध्ययन।	मूल्य) युक्त-Value-laden) — 'क्या होना चाहिए' भी जरूरी है।
समाज में भूमिका	यथास्थितिवादी जो व्यवस्था है), उसे मापो।(	परिवर्तनवादी ।(समाज में सुधार लाओ)
नारा	वैज्ञानिक शुद्धता और मापन।	प्रासंगिकता और सामाजिक क्रिया)Relevance & Action)

उत्तर-व्यवहारवाद का मूल्यांकन (Evaluation of Post-Behavioralism) करते समय हमें यह देखना होता है कि इस आंदोलन ने राजनीति विज्ञान को क्या दिया (इसका महत्व क्या है) और इसमें क्या कमियाँ या सीमाएँ रह गईं।

संक्षेप में कहें तो, उत्तर-व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान के इतिहास में एक **संतुलनकारी आंदोलन (Balancing Movement)** था, जिसने व्यवहारवाद की वैज्ञानिकता और पारंपरिक दृष्टिकोण के मूल्यों का एक सुंदर समन्वय (Synthesis) किया।

नीचे इसके सकारात्मक योगदान और सीमाओं का विस्तृत मूल्यांकन दिया गया है:

1. सकारात्मक योगदान और महत्व (Positive Contributions)

* राजनीति विज्ञान को प्रासंगिक बनाया (Relevance)

व्यवहारवादी केवल डेटा और आंकड़ों में उलझे थे, जिससे राजनीति विज्ञान समाज की वास्तविक समस्याओं (जैसे युद्ध, गरीबी, नस्लवाद) से कट चुका था। उत्तर-व्यवहारवाद ने इसे दोबारा जमीन पर उतारा और **"प्रासंगिकता" (Relevance)** का सिद्धांत देकर इसे समाज के लिए उपयोगी बनाया।

* मूल्यों और तथ्यों का समन्वय (Synthesis of Facts and Values)

इस आंदोलन ने राजनीति विज्ञान के सबसे बड़े विवाद को सुलझाया। इसने सिद्ध किया कि राजनीति को पूरी तरह समझने के लिए **तथ्य (Facts - वैज्ञानिकता)** और **मूल्य (Values - नैतिकता)** दोनों जरूरी हैं। बिना तथ्य के राजनीति अंधा है, और बिना मूल्य के राजनीति दिशाहीन है।

* "क्रिया) और सामाजिक जिम्मेदारी पर जोर (Action-oriented)

इसने राजनीतिक वैज्ञानिकों को 'अकादमिक कमरों' से बाहर निकालकर समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी का अहसास कराया। इसने विद्वानों को नीति-निर्माण (Policy-making) और सामाजिक सुधारों में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया।

* अध्ययन क्षेत्र का विस्तार)Broadened the Scope)

उत्तर-व्यवहारवाद के कारण राजनीति विज्ञान का दायरा केवल स्थापित संस्थाओं या मतदाता व्यवहार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें तीसरी दुनिया (Developing Countries) के संकट, पर्यावरण, परमाणु खतरे और मानवाधिकारों जैसे व्यापक वैश्विक मुद्दों का अध्ययन भी शामिल हो गया।

2. सीमाएँ और आलोचनाएँ (Limitations and Criticisms)

भले ही उत्तर-व्यवहारवाद एक प्रगतिशील कदम था, लेकिन आलोचकों ने इसमें भी कुछ कमियाँ खोजीं:

* अंतर्विरोधों से भरा दृष्टिकोण)Internal Contradictions)

आलोचकों का मानना है कि उत्तर-व्यवहारवाद एक ही समय में दो विपरीत नावों पर सवार होने की कोशिश करता है। यह वैज्ञानिक पद्धतियों (व्यवहारवाद) को भी बनाए रखना चाहता है और मूल्यों (परंपरावाद) को भी शामिल करना चाहता है। कई बार शोध में इन दोनों के बीच संतुलन बनाना बहुत कठिन हो जाता है।

* वैज्ञानिक शुद्धता में कमी का डर कुछ आलोचकों (विशेषकर कट्टर व्यवहारवादियों) का कहना था कि मूल्यों को दोबारा प्रवेश देने से राजनीति विज्ञान फिर से व्यक्तिपरक (Subjective) बन सकता है, जिससे इसकी वैज्ञानिक शुद्धता और निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है।

* केवल एक "सुधारात्मक आंदोलन", नया सिद्धांत नहीं

कुछ विद्वानों के अनुसार, उत्तर-व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान का कोई मौलिक या नया सिद्धांत नहीं था। यह केवल व्यवहारवाद की कमियों को दूर करने के लिए पेश किया गया एक "संशोधन" या "प्रतिक्रिया" मात्र था।

निष्कर्ष (Conclusion)

यदि समग्र रूप से मूल्यांकन किया जाए, तो उत्तर-व्यवहारवाद की कमियाँ बहुत छोटी हैं और इसका योगदान अत्यंत व्यापक है। इसने राजनीति विज्ञान को रूढ़िवादिता और केवल आंकड़ों की बाजीगरी बनने से बचा लिया।

डेविड ईस्टन ने इसके माध्यम से राजनीति विज्ञान को एक ऐसा रूप दिया जो वैज्ञानिक भी है और मानवीय भी। आज का राजनीति विज्ञान जिस व्यावहारिक और बहु-विषयक (Interdisciplinary) रूप में काम कर रहा है, उसकी नींव उत्तर-व्यवहारवाद ने ही रखी थी।

तुलनात्मक विधि (Comparative Method) राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों में अध्ययन और अनुसंधान की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्राचीन पद्धति है। इसका सरल शब्दों में अर्थ है—दो या दो से अधिक राजनीतिक व्यवस्थाओं, संस्थाओं, प्रक्रियाओं या व्यवहारों की आपस में तुलना करके उनके बीच की समानताओं और असमानताओं का पता लगाना और उनके आधार पर सामान्य नियम या सिद्धांत बनाना।

अरस्तू (Aristotle) को तुलनात्मक विधि का जनक माना जाता है, जिन्होंने अपने समय में 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करके अपने राजनीतिक विचार दिए थे।

तुलनात्मक विधि के प्रमुख मूल लक्षण (Core Characteristics)

1. दो या दो से अधिक इकाइयों का अध्ययन

- इस विधि की पहली शर्त यह है कि इसमें अध्ययन के लिए कम से कम दो इकाइयाँ होनी चाहिए। यह तुलना दो देशों के बीच (जैसे: भारत और अमेरिका के संविधान की तुलना) या एक ही देश के अलग-अलग समयकाल के बीच हो सकती है।
- 2. समानताओं और असमानताओं की खोज तुलनात्मक विधि का उद्देश्य केवल यह देखना नहीं है कि दो व्यवस्थाएँ कितनी अलग हैं, बल्कि यह भी देखना है कि उनमें क्या समानताएँ हैं और उन समानताओं या भिन्नताओं के पीछे क्या सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक कारण हैं।

3. वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण

- आधुनिक समय में तुलनात्मक विधि केवल कागजी कानूनों या संस्थाओं के ढांचे की तुलना नहीं करती, बल्कि यह बहुत गहरे जाकर राजनीतिक व्यवहार और प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण करती है।

4. सिद्धांत निर्माण (Theory Building)

- तुलनात्मक विधि का अंतिम लक्ष्य केवल जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि तुलना के माध्यम से ऐसे सामान्य निष्कर्ष या सिद्धांत निकालना है जो वैश्विक स्तर पर लागू हो सकें।

तुलनात्मक विधि के प्रमुख प्रकार (Types of Comparative Approach)

आमतौर पर तुलनात्मक विधि को दो बड़े दृष्टिकोणों में बांटा जाता है:

क) पारंपरिक दृष्टिकोण (Traditional Approach)

- यह पुराना दृष्टिकोण है जो मुख्य रूप से संस्थागत और कानूनी तुलना पर जोर देता था।
- इसके तहत विभिन्न देशों की केवल औपचारिक संस्थाओं (जैसे—कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और संविधान) की ऊपरी तुलना की जाती थी।
- यह मुख्य रूप से वर्णनात्मक (Descriptive) और पश्चिमी देशों तक सीमित था।

ख) आधुनिक दृष्टिकोण (Modern Approach)

- द्वितीय विश्व युद्ध और व्यवहारवाद (Behavioralism) के आने के बाद यह दृष्टिकोण बदला।
- अब तुलना केवल संविधानों की नहीं, बल्कि राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक संस्कृति, दबाव समूहों, राजनीतिक दलों और विकासशील देशों (तीसरी दुनिया) की व्यवस्थाओं की भी होने लगी। यह दृष्टिकोण अधिक वैज्ञानिक, विश्लेषणात्मक और व्यापक है।

तुलनात्मक विधि का महत्व (Importance)

- **वास्तविक समझ:** यह किसी एक देश की व्यवस्था को संकीर्ण नजरिए से देखने के बजाय वैश्विक संदर्भ में समझने में मदद करती है।
- **विकल्पों का ज्ञान:** तुलना के माध्यम से हमें पता चलता है कि अन्य देशों ने अपनी समस्याओं (जैसे गरीबी, प्रशासनिक सुधार) को कैसे सुलझाया, जिससे हम अपनी व्यवस्था में सुधार कर सकते हैं।

- **वैज्ञानिक वैधता:** राजनीति विज्ञान में भौतिक विज्ञान की तरह प्रयोगशालाएँ नहीं होतीं। इसलिए, तुलनात्मक विधि को ही राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला माना जाता है जहाँ विभिन्न व्यवस्थाओं का परीक्षण किया जाता है।

तुलनात्मक विधि की सीमाएँ/चुनौतियाँ (Limitations)

- **विभिन्न परिस्थितियाँ:** दुनिया के सभी देशों की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ अलग होती हैं, इसलिए उनकी हूबहू तुलना करना और एक जैसा नियम बनाना बहुत कठिन होता है।
- **तथ्यों की विशालता:** आधुनिक तुलनात्मक अध्ययन के लिए बहुत बड़े पैमाने पर डेटा और निष्पक्ष जानकारी की आवश्यकता होती है, जिसे जुटाना काफी जटिल काम है।
- **व्यक्तिपरकता (Bias):** कई बार शोधकर्ता अपने देश या अपनी विचारधारा के चश्मे से दूसरे देशों की तुलना करने लगता है, जिससे निष्कर्ष निष्पक्ष नहीं रह जाते।

निष्कर्ष: कमियों के बावजूद, आज के वैश्वीकरण के दौर में तुलनात्मक विधि राजनीति विज्ञान का सबसे अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है। इसके बिना वैश्विक राजनीतिक व्यवस्थाओं और प्रवृत्तियों को समझना असंभव है।

UNIT-2

प्रणाली दृष्टिकोण (Systems Approach), जिसे हिंदी में 'प्रणाली उपागम' या 'प्रणाली दृष्टिकोण' कहा जाता है, किसी भी संगठन, समाज, या विषय को एक पूरी "प्रणाली" (System) के रूप में देखने और समझने का एक तरीका है।

साधारण शब्दों में कहें तो यह मानता है कि कोई भी चीज़ अकेले काम नहीं करती; वह कई छोटे-छोटे हिस्सों (Sub-systems) से मिलकर बनी होती है, और वे सभी हिस्से आपस में जुड़े होते हैं।

प्रणाली दृष्टिकोण के मुख्य तीन पहलू होते हैं:

1. **आदान (Input):** जो चीज़ें बाहर से सिस्टम के अंदर आती हैं (जैसे कच्चा माल, जानकारी, या ऊर्जा)।
2. **रूपांतरण प्रक्रिया (Transformation Process):** जहाँ इनपुट्स पर काम करके उन्हें बदला जाता है।
3. **प्रदान (Output):** जो परिणाम या उत्पाद बाहर निकल कर आता है।

इसे अलग-अलग क्षेत्रों में इस तरह समझा जा सकता है:

1. लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान)Public Administration & Political Science)

डेविड ईस्टन (David Easton) ने राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए इस दृष्टिकोण का बहुत बड़ा उपयोग किया। उनके अनुसार:

- **Input:** जनता की माँगें (Demands) और उनका सरकार को समर्थन (Support)।
- **Process:** सरकार (विधायिका और कार्यपालिका) इन माँगों पर विचार करती है और निर्णय लेती है।
- **Output:** सरकार की नीतियां और कानून (Policies & Laws)।
- **Feedback:** इन कानूनों का जनता पर क्या असर हुआ, वह फीडबैक के रूप में वापस इनपुट बन जाता है।

2. व्यवसाय और प्रबंधन)Business & Management)

एक कंपनी या संगठन को एक प्रणाली माना जाता है। अगर कंपनी का एक विभाग (जैसे सेल्स या प्रोडक्शन) ठीक से काम नहीं करेगा, तो पूरी कंपनी प्रभावित होगी। यह दृष्टिकोण प्रबंधकों (Managers) को केवल एक विभाग पर ध्यान देने के बजाय पूरे बिजनेस को एक समग्र रूप (Whole) में देखने में मदद करता है।

मुख्य बात: प्रणाली दृष्टिकोण का सबसे बड़ा सिद्धांत यह है कि "संपूर्ण अपने हिस्सों के योग से बड़ा होता है" (The whole is greater than the sum of its parts)। यानी सभी हिस्से मिलकर जो कमाल कर सकते हैं, वे अकेले-अकेले नहीं कर सकते।

डेविड ईस्टन (David Easton) का प्रणाली दृष्टिकोण (Systems Approach) राजनीतिक विज्ञान और लोक प्रशासन में एक क्रांतिकारी विचार था। 1950 और 1960 के दशक में उन्होंने राजनीति को एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीके से समझने के लिए यह ढांचा तैयार किया था।

ईस्टन का मानना था कि राजनीति को अलग-अलग घटनाओं के रूप में नहीं, बल्कि एक पूरी 'जीवंत व्यवस्था' (Living System) के रूप में देखा जाना चाहिए, जो अपने पर्यावरण (Environment) के साथ लगातार लेन-देन करती है।

उन्होंने राजनीति को परिभाषित करते हुए कहा था: "राजनीति समाज के लिए मूल्यों का आधिकारिक आवंटन (Authoritative Allocation of Values) है।" यानी, समाज में संसाधनों, अधिकारों और पुरस्कारों का ऐसा बंटवारा जिसे सब मानने के लिए बाध्य हों।

इस व्यवस्था को समझने के लिए ईस्टन ने एक **फ्लो-मॉडल (Flow Model)** दिया, जिसके मुख्य चार भाग हैं:

1. निवेश या आगत (Inputs)

पर्यावरण (समाज या जनता) से जो चीजें राजनीतिक व्यवस्था के भीतर आती हैं, उन्हें 'निवेश' कहा जाता है। ये दो प्रकार की होती हैं:

- **मांगें (Demands):** जनता की सरकार से अपेक्षाएं (जैसे- बेहतर सड़कें, सुरक्षा, टैक्स में छूट, या नए कानून)।
- **समर्थन (Support):** जनता का व्यवस्था पर भरोसा। यह टैक्स देने, कानूनों का पालन करने, या चुनाव में वोट देने के रूप में हो सकता है। (बिना समर्थन के कोई भी सरकार काम नहीं कर सकती)।

2. रूपांतरण प्रक्रिया (Transformation Process)

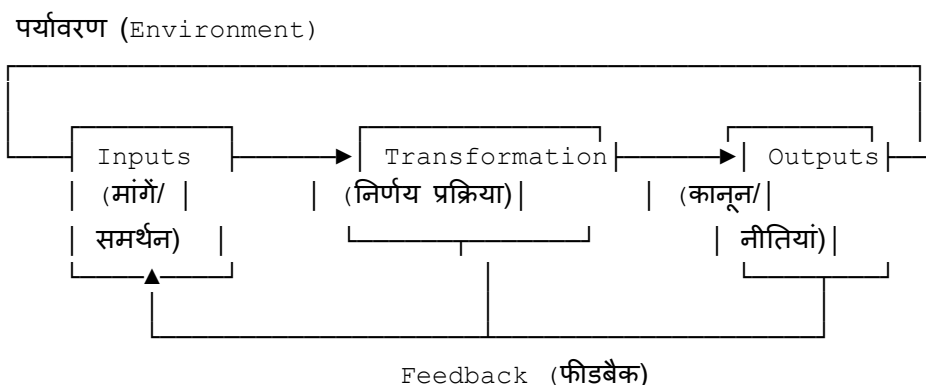
जब जनता की मांगें और समर्थन राजनीतिक व्यवस्था (जैसे- संसद, सरकार, न्यायपालिका) के पास पहुंचते हैं, तो वहां इन पर विचार-विमर्श होता है। सरकार तय करती है कि किस मांग को पूरा करना है और किसे नहीं। इस निर्णय लेने की प्रक्रिया को ही 'रूपांतरण' कहते हैं।

3. निकास या निर्गत (Outputs)

रूपांतरण प्रक्रिया के बाद सरकार जो निर्णय लेती है, उन्हें 'निकास' कहा जाता है। ये मुख्य रूप से सरकार की नीतियां, कानून, योजनाएं और निर्णय होते हैं।

4. पुनर्निवेश या फीडबैक (Feedback Loop)

यह इस मॉडल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकार ने जो कानून या नीतियां (Outputs) बनाईं, उनका समाज पर क्या असर हुआ? क्या जनता संतुष्ट हुई? जनता की यह प्रतिक्रिया (Feedback) फिर से नई मांगों या नए समर्थन के रूप में 'इनपुट' बनकर व्यवस्था में वापस आती है। यह चक्र लगातार चलता रहता है।



यह दृष्टिकोण क्यों महत्वपूर्ण है?

- **गतिशीलता (Dynamism):** यह दिखाता है कि राजनीति कोई थमी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि एक गतिशील (Dynamic) प्रक्रिया है।
- **तुलना में आसान:** इसके जरिए हम दुनिया की किसी भी राजनीतिक व्यवस्था (चाहे वह लोकतंत्र हो या तानाशाही) की तुलना कर सकते हैं कि वहां इनपुट और आउटपुट कैसे काम करते हैं।

डेविड ईस्टन (David Easton) के प्रणाली दृष्टिकोण का मूल्यांकन (Evaluation) करने का अर्थ है इसके गुणों (महत्व) और इसके दोषों (आलोचनाओं) की जांच करना। राजनीति विज्ञान को एक आधुनिक और वैज्ञानिक रूप देने में इस मॉडल का बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन इसके बावजूद कई विचारकों ने इसकी कड़ी आलोचना भी की है।

आइए इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को समझते हैं:

1. सकारात्मक पक्ष) महत्व और गुण :Merits)

- **राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक बनाना:** ईस्टन से पहले राजनीति विज्ञान में केवल औपचारिक संस्थाओं (जैसे संविधान, संसद, अदालत) का अध्ययन होता था। ईस्टन ने 'व्यवहारवादी क्रांति' लाकर राजनीति को एक सामाजिक और वैज्ञानिक ढांचा दिया।
- **व्यापक और सार्वभौमिक (Universal):** यह मॉडल इतना लचीला है कि इसे दुनिया की किसी भी राजनीतिक व्यवस्था (जैसे- अमेरिका का लोकतंत्र, चीन का साम्यवाद, या किसी कबीले की राजनीतिक व्यवस्था) को समझने के लिए लागू किया जा सकता है।
- **गतिशीलता (Dynamism):** ईस्टन ने राजनीति को स्थिर (Static) नहीं माना। 'फीडबैक लूप' के जरिए उन्होंने दिखाया कि राजनीति एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो समाज के बदलने के साथ बदलती रहती है।
- **अंतःविषय दृष्टिकोण (Interdisciplinary Approach):** उन्होंने जीव विज्ञान (Biology) और समाजशास्त्र (Sociology) के सिद्धांतों को राजनीति में शामिल किया, जिससे राजनीतिक विश्लेषण का दायरा बड़ा हुआ।

2. नकारात्मक पक्ष) आलोचनाएं :Criticisms)

कई प्रमुख विचारकों (जैसे सी. राइट मिल्स) ने ईस्टन के मॉडल में निम्नलिखित कमियां निकाली हैं:

- **यथास्थितिवादी (Status Quoist):** आलोचकों का मानना है कि ईस्टन का पूरा ध्यान इस बात पर है कि व्यवस्था कैसे बची रहे (Survival and Stability)। यह मॉडल समाज में होने वाली क्रांतियों, बड़े बदलावों या उथल-पुथल को समझाने में नाकाम रहता है। यह केवल व्यवस्था को बनाए रखने का समर्थन करता है।

- **अत्यधिक अमूर्त और जटिल (Too Abstract):** ईस्टन की भाषा और उनकी शब्दावली (जैसे- Input, Output, Gatekeeping) इतनी जटिल और सैद्धांतिक है कि इसे जमीन पर असल राजनीति या चुनावी राजनीति को समझने में लागू करना बहुत मुश्किल होता है।
- **विचारधारा और मूल्यों की उपेक्षा:** ईस्टन ने राजनीति को एक 'मशीन' या 'कंप्यूटर' की तरह पेश किया (इनपुट डालो, प्रोसेस होगा, आउटपुट निकलेगा)। इसमें उन्होंने मानवीय भावनाओं, विचारधारा (Ideology) और नैतिक मूल्यों को नजरअंदाज कर दिया।
- **विकासशील देशों के लिए कम उपयोगी:** यह मॉडल पश्चिमी देशों (विशेषकर अमेरिका) की स्थिर व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया था। भारत या अन्य विकासशील देशों में जहाँ जाति, धर्म और गरीबी के कारण राजनीति में अचानक बड़े बदलाव आते हैं, वहाँ यह मॉडल पूरी तरह सटीक नहीं बैठता।
- **आंतरिक शक्तियों की अनदेखी:** ईस्टन का मॉडल बाहरी पर्यावरण (जनता की मांगों) पर बहुत ज्यादा ध्यान देता है, लेकिन कभी-कभी सरकार या व्यवस्था के अंदर बैठे लोग (जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या सेना) खुद बिना किसी बाहरी मांग के बड़े फैसले ले लेते हैं (जैसे आपातकाल या कोई बड़ा सुधार)। ईस्टन का मॉडल इस आंतरिक शक्ति को कम आंकता है।

निष्कर्ष)Conclusion)

निष्कर्षतः, यह सच है कि डेविड ईस्टन का मॉडल जटिल है और यह बड़े क्रांतिकारी बदलावों को समझाने में थोड़ा कमजोर साबित होता है। लेकिन राजनीति विज्ञान के इतिहास में इसके महत्व को कम नहीं किया जा सकता। उन्होंने राजनीति को केवल 'कानूनों के अध्ययन' से बाहर निकालकर 'मानव व्यवहार और सामाजिक व्यवस्था' के अध्ययन से जोड़ा। आज भी तुलनात्मक राजनीति (Comparative Politics) को समझने के लिए ईस्टन का प्रणाली दृष्टिकोण एक मजबूत आधारशिला माना जाता है।

डेविड ईस्टन के प्रणाली दृष्टिकोण के महत्व (Significance / Importance) को अगर हम बिंदुवार समझें, तो राजनीति विज्ञान के विकास में इसके निम्नलिखित मुख्य योगदान हैं:

1. विषय को आधुनिक और वैज्ञानिक स्वरूप देना

ईस्टन से पहले, राजनीति विज्ञान में केवल ऐतिहासिक घटनाओं, संविधान की धाराओं और कानूनी संस्थाओं (जैसे संसद, न्यायालय) का अध्ययन होता था। ईस्टन ने इस पारंपरिक तरीके

को बदलकर राजनीति को एक वैज्ञानिक, व्यवस्थित और व्यावहारिक (Empirical) रूप दिया। उन्होंने राजनीति को 'संस्थाओं' के बजाय 'मानव व्यवहार' और 'प्रक्रिया' से जोड़ा।

2. एक सार्वभौमिक (Universal) ढांचे का निर्माण

इस दृष्टिकोण का सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह किसी एक देश या विचारधारा तक सीमित नहीं है। ईस्टन ने एक ऐसा सामान्य ढांचा (General Framework) तैयार किया, जिसके जरिए दुनिया की किसी भी राजनीतिक व्यवस्था—चाहे वह अमेरिका का लोकतंत्र हो, चीन का साम्यवाद हो, या अफ्रीका का कोई विकासशील देश—का तुलनात्मक अध्ययन आसानी से किया जा सकता है।

3. राजनीति की गतिशीलता (Dynamism) को रेखांकित करना

ईस्टन ने राजनीति को एक जड़ या रुकी हुई चीज़ नहीं माना, बल्कि उसे एक 'जीवंत और गतिशील व्यवस्था' के रूप में देखा। 'फीडबैक लूप' (Feedback Loop) की अवधारणा के माध्यम से उन्होंने यह सिद्ध किया कि राजनीति निरंतर बदलती रहती है; सरकार के फैसले जनता को प्रभावित करते हैं और जनता की प्रतिक्रिया फिर से सरकार के फैसलों को बदलती है।

4. अंतःविषयी अध्ययन (Interdisciplinary Approach) को बढ़ावा

ईस्टन ने राजनीति विज्ञान की दीवारों को तोड़कर उसे अन्य विज्ञानों से जोड़ा। उन्होंने जीव विज्ञान (Biology) से 'प्रणाली' और 'अनुकूलन' (Adaptation) का विचार लिया और समाजशास्त्र व अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को शामिल किया। इससे राजनीति विज्ञान का दायरा बहुत व्यापक हो गया।

5. जटिल राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझने में सहायक

यह मॉडल हमें यह समझने की एक स्पष्ट दृष्टि देता है कि समाज की मांगें (Demands) कानून या नीतियों (Outputs) में कैसे बदलती हैं। यह राजनीतिक व्यवस्था के भीतर 'गेटकीपिंग' (Gatekeeping - मांगों को छानने की प्रक्रिया) और 'तनाव प्रबंधन' (Stress Management) जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने में मदद करता है।

संक्षेप में: डेविड ईस्टन का महत्व इस बात में है कि उन्होंने राजनीति विज्ञान को "क्या होना चाहिए" (आदर्शवाद) के जाल से निकालकर "वास्तव में क्या हो रहा है" (यथार्थवाद) की जमीन पर

लाकर खड़ा कर दिया। इसी कारण उन्हें आधुनिक राजनीति विज्ञान के संस्थापकों में गिना जाता है।

गैब्रियल आमंड और बिंगम पावेल (Gabriel Almond and Bingham Powell) का व्यवस्था दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान में डेविड ईस्टन के मॉडल का एक अगला और अधिक व्यावहारिक चरण माना जाता है। इसे "**संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण**" (Structural-Functional Approach) भी कहा जाता है।

आमंड और पावेल का मानना था कि ईस्टन का मॉडल बहुत सैद्धांतिक (Abstract) है। उन्होंने विकासशील देशों (जैसे भारत, अफ्रीका के देश) की राजनीति को समझने के लिए ईस्टन के मॉडल में सुधार किया। उनका कहना था कि हर राजनीतिक व्यवस्था में कुछ **संरचनाएं** (Structures/Institutions) होती हैं और वे कुछ निश्चित **कार्य** (Functions) करती हैं।

आइए इनके मॉडल को विस्तार से समझते हैं:

दो मुख्य आधारसंरचना और कार्य :

1. **संरचना (Structure):** इसका मतलब है व्यवस्था के अंग या संस्थाएं, जैसे—राजनीतिक दल (Political Parties), संसद, न्यायालय, दबाव समूह (Pressure Groups) आदि।
2. **कार्य (Function):** इन संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले काम। आमंड के अनुसार, व्यवस्था को जिंदा रखने के लिए इन संरचनाओं को कुछ काम करने ही पड़ते हैं।

आमंड और पावेल द्वारा बताए गए राजनीतिक व्यवस्था के कार्य

उन्होंने कार्यों को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा: **निवेश कार्य** (Input Functions), **निकास कार्य** (Output Functions) और **व्यवस्था अनुरक्षण कार्य**।

1. **निवेश कार्य (Input Functions)** — यह मुख्य रूप से समाज:जनता के स्तर पर होते हैं/

- **राजनीतिक सामाजीकरण और भर्ती (Political Socialization & Recruitment):** नागरिकों को राजनीति के प्रति जागरूक करना, उनमें राजनीतिक मूल्यों को भरना और नए नेताओं या कार्यकर्ताओं को व्यवस्था में शामिल करना।

- **हित प्रकटीकरण (Interest Articulation):** जनता द्वारा अपनी मांगों को सरकार के सामने रखना। यह काम आमतौर पर दबाव समूह (Pressure Groups) या छात्र संगठन आदि करते हैं।
- **हित समूहन (Interest Aggregation):** समाज की हज़ारों तरह की अलग-अलग मांगों को इकट्ठा करके कुछ मुख्य मुद्दों या नीतियों का रूप देना। यह काम मुख्य रूप से राजनीतिक दल (Political Parties) करते हैं।
- **राजनीतिक संचार (Political Communication):** जनता की बात सरकार तक और सरकार की बात जनता तक पहुंचाना (जैसे- मीडिया, प्रेस, सोशल मीडिया)।

2. विकास कार्य (Output Functions) — यह सरकार के स्तर पर होते हैं:

- **नियम निर्माण (Rule Making):** कानून या नीतियां बनाना (यह काम विधायिका/संसद करती है)।
- **नियम प्रयुक्ति (Rule Application):** बनाए गए कानूनों को लागू करना (यह काम कार्यपालिका/नौकरशाही करती है)।
- **नियम अधिनिर्णयन (Rule Adjudication):** कानूनों के विवादों का निपटारा करना और न्याय करना (यह काम न्यायपालिका करती है)।

आमंड और पावेल के मॉडल की 3 मुख्य विशेषताएं

- **संरचनात्मक भिन्नता (Structural Differentiation):** जैसे-जैसे कोई देश विकसित होता है, उसके काम करने की संस्थाएं अलग और विशेषज्ञ होती जाती हैं (जैसे भारत में चुनाव कराने के लिए अलग से चुनाव आयोग है, जो संरचनात्मक भिन्नता का उदाहरण है)।
- **सांस्कृतिक लौकिकीकरण (Cultural Secularization):** इसका मतलब है कि राजनीति में धर्म, जाति या पुरानी परंपराओं का प्रभाव कम होना और तर्क, कानून व समानता के आधार पर निर्णय लिया जाना।
- **उप-व्यवस्था की स्वायत्तता (Sub-system Autonomy):** व्यवस्था के अंगों (जैसे मीडिया, न्यायपालिका) को अपने काम करने की कितनी आजादी या स्वायत्तता प्राप्त है।

महत्व और मूल्यांकन (Significance)

- **विकासशील देशों के लिए वरदान:** ईस्टन का मॉडल केवल विकसित पश्चिमी देशों के लिए ठीक था, लेकिन आमंड और पावेल का मॉडल भारत जैसे विकासशील समाजों की जटिल

राजनीति (जहाँ जाति, धर्म और आधुनिक संस्थाएं सब साथ काम करती हैं) को समझने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है।

- **व्यावहारिक (Empirical):** यह केवल थ्योरी नहीं है, बल्कि यह जमीन पर जाकर विभिन्न देशों की राजनीतिक संस्थाओं के कामों की तुलना करने की आज़ादी देता है।

संक्षेप में: डेविड ईस्टन ने हमें केवल एक 'ढांचा' (फ्रेमवर्क) दिया था, लेकिन आमंड और पावेल ने उस ढांचे के अंदर की मशीनों (संरचनाओं) और उनके कामों (कार्यों) को गहराई से समझाया।

संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण (Structural-Functional Approach) समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान (Sociology and Political Science) का एक प्रमुख सिद्धांत या फ्रेमवर्क है। सरल शब्दों में, यह दृष्टिकोण समाज या राजनीतिक व्यवस्था को एक **जटिल प्रणाली (complex system)** के रूप में देखता है, जिसके विभिन्न भाग (अंग) मिलकर उसे स्थिर और संतुलित बनाए रखने के लिए काम करते हैं।

इसे समझने के लिए आप **मानव शरीर** का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे शरीर में दिल, फेफड़े और दिमाग अलग-अलग *संरचनाएं* हैं, लेकिन वे सब मिलकर शरीर को जीवित रखने का *कार्य* करती हैं। ठीक वैसे ही, समाज में भी अलग-अलग संस्थाएं मिलकर काम करती हैं।

आइए इसके मुख्य पहलुओं को विस्तार से समझते हैं:

1. मुख्य अवधारणाएँ (Core Concepts)

इस दृष्टिकोण के दो मुख्य स्तंभ हैं:

- **संरचना (Structure):** समाज या व्यवस्था के वे अंग जो अपेक्षाकृत स्थिर होते हैं। जैसे- परिवार, स्कूल, सरकार, धर्म, और आर्थिक प्रणाली।
- **प्रकार्य (Function):** इन संरचनाओं द्वारा किए जाने वाले कार्य जो पूरी व्यवस्था को जीवित, संतुलित और व्यवस्थित रखने में मदद करते हैं।

2. यह दृष्टिकोण कैसे काम करता है?

इस सिद्धांत के अनुसार, समाज में स्थिरता और व्यवस्था (Order and Stability) बनाए रखने के लिए हर अंग का अपना एक रोल होता है:

सामाजिक संरचना (Structure)	इसका प्रकार्य/कार्य (Function)
परिवार (Family)	नए बच्चों को जन्म देना और उन्हें समाज के नियम व संस्कार (Socialization) सिखाना।
शिक्षा प्रणाली (Education)	ज्ञान और कौशल देना ताकि लोग भविष्य में समाज के लिए उपयोगी काम कर सकें।
सरकार/राजनीति (Government)	नियम-कानून बनाना, न्याय करना और समाज में व्यवस्था बनाए रखना।
अर्थव्यवस्था (Economy)	समाज के लोगों के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और वितरण करना।

3. प्रमुख विचारक (Key Thinkers)

इस दृष्टिकोण को विकसित करने में कई विद्वानों का बड़ा हाथ रहा है:

- **समाजशास्त्र में:**
 - **एमिल दुर्खीम (Emile Durkheim):** इन्होंने समाज को एक जैविक जीव (biological organism) की तरह माना।
 - **टैल्कोट पार्सन्स (Talcott Parsons):** इन्होंने 'AGIL मॉडल' दिया, जो बताता है कि किसी भी व्यवस्था को बने रहने के लिए चार काम (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency) करने ही पड़ते हैं।
 - **रॉबर्ट के. मर्टन (Robert K. Merton):** इन्होंने प्रकट कार्य (Manifest functions - जो साफ़ दिखते हैं) और अंतर्निहित कार्य (Latent functions - जो छिपे होते हैं) की अवधारणा दी।
- **राजनीति विज्ञान में:**
 - **गेब्रियल आमंड (Gabriel Almond) और बिंगम पावेल:** इन्होंने राजनीतिक प्रणालियों (Political Systems) को समझने के लिए इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया।

4. इस दृष्टिकोण की मुख्य विशेषताएं

- **अंतःनिर्भरता (Interdependence):** व्यवस्था का कोई भी भाग अकेले काम नहीं कर सकता। अगर एक भाग में गड़बड़ी आती है, तो पूरा समाज प्रभावित होता है (जैसे- आर्थिक मंदी आने पर परिवारों और शिक्षा पर असर पड़ना)।
- **संतुलन की स्थिति (Equilibrium):** यह दृष्टिकोण मानता है कि समाज हमेशा संतुलन की स्थिति में रहने की कोशिश करता है। यदि कोई बदलाव आता भी है, तो समाज खुद को उसके अनुसार ढाल लेता है।
- **मूल्य आम सहमति (Value Consensus):** समाज के लोग कुछ बुनियादी मूल्यों और नियमों पर सहमत होते हैं, जिससे समाज में एकता बनी रहती है।

आलोचना (Criticism): इस दृष्टिकोण की यह कहकर आलोचना भी की जाती है कि यह **यथास्थिति (Status Quo)** का समर्थन करता है और समाज में होने वाले संघर्ष, क्रांति या बड़े बदलावों को ठीक से नहीं समझा पाता। यह सामाजिक कमियों (जैसे- असमानता या जातिवाद) को भी कभी-कभी व्यवस्था का हिस्सा मानकर नजरअंदाज कर देता है।

क्या आप इस दृष्टिकोण को **राजनीति विज्ञान** के संदर्भ में (जैसे आमंड का मॉडल) अधिक विस्तार से समझना चाहते हैं या **समाजशास्त्र** के संदर्भ में?

मूल्यांकन (Evaluation) का सरल अर्थ है — किसी वस्तु, व्यक्ति, कार्य या प्रक्रिया के मूल्य, महत्व, गुणवत्ता या योग्यता का आकलन करना।

यह केवल "अंक देना" या "जाँचना" नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसके आधार पर भविष्य के लिए सही निर्णय लिए जाते हैं।

शिक्षा (Education), प्रबंधन (Management), और सामाजिक विज्ञानों में मूल्यांकन के विभिन्न आयामों को नीचे विस्तार से समझाया गया है:

1. मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य (Objectives)

- **निर्णय लेना (Decision Making):** किसी योजना, छात्र या कर्मचारी की स्थिति को देखकर यह तय करना कि आगे क्या सुधार करने की आवश्यकता है।
- **प्रगति जानना (Tracking Progress):** यह पता लगाना कि तय किए गए लक्ष्य (Goals) किस हद तक प्राप्त हुए हैं।

- **सुधार और मार्गदर्शन (Improvement & Guidance):** कमियों को पहचानकर उन्हें दूर करने के लिए सही दिशा दिखाना।
- **जवाबदेही तय करना (Accountability):** किसी कार्य या नीति की प्रभावशीलता की जांच करना ताकि जिम्मेदारी तय की जा सके।

2. मापन और मूल्यांकन में अंतर (Measurement vs. Evaluation)

अक्सर लोग 'मापन' और 'मूल्यांकन' को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इनमें बड़ा अंतर है:

विशेषता	मापन (Measurement)	मूल्यांकन (Evaluation)
प्रकृति	यह केवल मात्रात्मक (Quantitative) होता है।	यह मात्रात्मक और गुणात्मक (Qualitative) दोनों होता है।
दायरा	इसका दायरा सीमित होता है (जैसे- अंक या संख्या देना)।	इसका दायरा बहुत व्यापक होता है (मूल्य या निर्णय देना)।
उदाहरण	छात्र को परीक्षा में 100 में से 80 अंक मिले।	छात्र शैक्षणिक रूप से उत्कृष्ट है और उसमें नेतृत्व के गुण भी हैं।

3. शिक्षा में मूल्यांकन के प्रकार (Types of Evaluation in Education)

शैक्षणिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा जाता है:

- **1. रचनात्मक मूल्यांकन (Formative Evaluation):**
 - यह शिक्षण प्रक्रिया के दौरान लगातार चलता रहता है।
 - *उदाहरण:* क्लास टेस्ट, क्विज़, या कक्षा में पूछे गए प्रश्न।
 - *उद्देश्य:* छात्रों और शिक्षकों को तुरंत फीडबैक देना ताकि सीखने-पढ़ाने के तरीके में सुधार किया जा सके।
- **2. योगात्मक मूल्यांकन (Summative Evaluation):**
 - यह किसी कोर्स या सत्र के अंत में होता है।
 - *उदाहरण:* वार्षिक परीक्षा, सेमेस्टर परीक्षा, या फाइनल प्रोजेक्ट।
 - *उद्देश्य:* छात्र की समग्र उपलब्धि को मापना और उसे ग्रेड या सर्टिफिकेट देना।

- **3. निदानात्मक मूल्यांकन (Diagnostic Evaluation):**
 - इसका उपयोग छात्रों की पढ़ाई में आ रही विशेष कठिनाइयों या समस्याओं को पहचानने के लिए किया जाता है।
 - उद्देश्य: कमजोरी के कारणों का पता लगाकर उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण (Remedial Teaching) की व्यवस्था करना।

4. एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं (Characteristics of Good Evaluation)

एक प्रभावी मूल्यांकन प्रणाली में निम्नलिखित गुण होने चाहिए:

- **वैधता (Validity):** मूल्यांकन उसी चीज का होना चाहिए जिसके लिए उसे बनाया गया है (जैसे- यदि गणित की तार्किक क्षमता जांचनी है, तो परीक्षा में भाषा का कठिन परीक्षण नहीं होना चाहिए)।
- **विश्वसनीयता (Reliability):** यदि एक ही काम को अलग-अलग समय पर या अलग-अलग लोगों द्वारा जांचा जाए, तो परिणाम लगभग समान आना चाहिए।
- **वस्तुनिष्ठता (Objectivity):** जांचने वाले व्यक्ति की अपनी पसंद-नापसंद या मूड का असर परिणाम पर नहीं पड़ना चाहिए।
- **व्यापकता (Comprehensiveness):** इसमें केवल किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि व्यक्ति के व्यवहार, कौशल और मानसिक विकास के सभी पक्षों को शामिल किया जाना चाहिए (जैसे- CCE प्रणाली)।

महत्व (Importance / Significance) का सीधा अर्थ है — किसी वस्तु, विचार, व्यक्ति, कार्य या सिद्धांत की उपयोगिता, मूल्य और समाज या जीवन में उसका क्या स्थान है।

चूंकि आपने अपने पहले के प्रश्नों में "संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण" और "मूल्यांकन" के बारे में पूछा है, इसलिए नीचे इन दोनों ही विषयों के विशेष 'महत्व' को बिंदुवार समझाया गया है, जिससे आपको अपने अध्ययन में पूरी स्पष्टता मिले:

1. संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण का महत्व (Significance of Structural-Functional Approach)

राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में इस दृष्टिकोण का बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि:

- **व्यवस्था को समग्रता में समझना (Holistic Understanding):** यह दृष्टिकोण समाज या राजनीतिक व्यवस्था को टुकड़ों में देखने के बजाय एक संपूर्ण इकाई (Whole System) के रूप में समझने में मदद करता है।
- **स्थिरता और संतुलन का अध्ययन (Study of Stability):** यह समझाता है कि कोई भी समाज या देश आंतरिक समस्याओं और बदलावों के बावजूद खुद को बिखरने से कैसे बचाता है और संतुलन (Equilibrium) कैसे बनाए रखता है।
- **संस्थाओं के कार्यों का विश्लेषण (Analysis of Functions):** यह केवल यह नहीं देखता कि कोई संस्था (जैसे- संसद, न्यायालय या परिवार) क्या है, बल्कि यह गहराई से जांचता है कि वह व्यवस्था को चलाने के लिए *क्या काम* कर रही है।
- **तुलनात्मक अध्ययन में सहायक (Helpful in Comparative Analysis):** गेब्रियल आमंड जैसे विचारकों ने इस मॉडल का उपयोग करके दुनिया की अलग-अलग राजनीतिक प्रणालियों (जैसे- विकसित और विकासशील देशों) की तुलना करना आसान बना दिया।

2. मूल्यांकन का महत्व (Significance of Evaluation)

मानव जीवन, शिक्षा, और किसी भी संगठन (Organization) के विकास में मूल्यांकन का महत्व निम्नलिखित कारणों से है:

- **सही मार्गदर्शन और सुधार (Feedback & Improvement):** मूल्यांकन के बिना हमें अपनी कमियों का पता नहीं चल सकता। यह छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को उनकी ताकत और कमजोरी बताकर सुधार का मौका देता है।
- **लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच (Achievement of Goals):** इससे यह स्पष्ट होता है कि हमने जो उद्देश्य या नीतियां तय की थीं, वे कितनी सफल रहीं (जैसे- किसी सरकारी योजना का मूल्यांकन करना कि उससे कितनों को लाभ हुआ)।
- **भविष्य के लिए सही निर्णय (Future Decision Making):** यह भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए एक ठोस आधार या डेटा प्रदान करता है कि आगे क्या बदलाव करने की जरूरत है।
- **प्रेरणा और प्रोत्साहन (Motivation):** सही और निष्पक्ष मूल्यांकन लोगों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि उन्हें अपने अच्छे काम के लिए सराहना या ग्रेड मिलते हैं।

निष्कर्ष: यदि हम संक्षेप में कहें, तो 'संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण' का महत्व व्यवस्था को *समझने और बनाए रखने* में है, जबकि 'मूल्यांकन' का महत्व उस व्यवस्था को *बेहतर और राजनीतिक विकास (Political Development)* राजनीति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। सरल शब्दों में कहें तो, इसका अर्थ किसी देश की **राजनीतिक व्यवस्था (Political System)** के मजबूत, अधिक लोकतांत्रिक, कुशल और परिपक्व होने की प्रक्रिया से है।

Study.com

जैसे-जैसे कोई समाज आगे बढ़ता है, उसकी सरकार और संस्थाएँ जनता की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खुद में जो सुधार करती हैं, वही राजनीतिक विकास है।

Study.com

राजनीतिक विद्वान **लूसियन पाई (Lucian Pye)** ने अपनी पुस्तक '*Aspects of Political Development*' में इसके तीन सबसे प्रमुख लक्षण बताए हैं, जिन्हें राजनीतिक विकास का आधार माना जाता है:

लूसियन पाई के अनुसार मुख्य 3 लक्षण

- **1. समानता (Equality):** इसका मतलब है कि देश के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव (जाति, धर्म या लिंग) के राजनीति में भाग लेने और मतदान करने का समान अधिकार हो। साथ ही, कानून की नजर में सब बराबर हों।
- **2. क्षमता (Capacity):** सरकार या राजनीतिक व्यवस्था में इतनी कार्यकुशलता और ताकत होनी चाहिए कि वह जनता की समस्याओं को समझ सके, कानून-व्यवस्था बनाए रख सके और नई चुनौतियों का डटकर सामना कर सके।
- **3. विभेदीकरण (Differentiation):** शासन के अलग-अलग अंगों (जैसे- कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका) के काम पूरी तरह स्पष्ट और बंटे होने चाहिए, ताकि कोई भी संस्था अपनी सीमा से बाहर न जाए और सब मिलकर सुचारु रूप से काम कर सकें।

राजनीतिक विकास के प्रमुख सूचक)Indicators)

यदि किसी देश में नीचे लिखी बातें दिख रही हैं, तो माना जाता है कि वहाँ राजनीतिक विकास हो रहा है:

1. **जन-सहभागिता (Public Participation):** चुनाव में भारी संख्या में लोगों का निष्पक्ष रूप से मतदान करना और राजनीतिक फैसलों में अपनी आवाज उठाना।

Study.com

2. **कानून का शासन (Rule of Law):** सत्ता में बैठे लोगों की मनमानी के बजाय देश का शासन संविधान और तय कानूनों के हिसाब से चलना।
3. **संस्थागत मजबूती (Institutionalization):** संसद, न्यायालय और चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं का स्वतंत्र और मजबूत होना।

Study.com

4. **पारदर्शिता और जवाबदेही (Transparency & Accountability):** सरकार के कामों में भ्रष्टाचार कम होना और वह जनता के प्रति जवाबदेह होना।

निष्कर्ष: राजनीतिक विकास केवल सरकार बदल जाने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो किसी भी देश को **सुशासन (Good Governance)**, **स्थिरता** और **मजबूत लोकतंत्र** की ओर ले जाती है।

लूसियन पाई (Lucian Pye) ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक '**Aspects of Political Development**' (1966) में राजनीतिक विकास की अवधारणा को बहुत गहराई से समझाया है। उन्होंने दुनिया भर की राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला कि राजनीतिक विकास केवल आर्थिक विकास या आधुनिकता का नाम नहीं है, बल्कि यह एक जटिल सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया है।

लूसियन पाई ने राजनीतिक विकास के **तीन मुख्य लक्षण या स्तंभ** बताए हैं, जिन्हें अक्सर "**विकास का लक्षण-त्रयी**" (**Development Syndrome**) कहा जाता है:

लूसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के 3 मुख्य लक्षण

पाई के अनुसार, किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था में विकास तभी माना जाएगा जब उसमें निम्नलिखित तीन बातें दिखाई दें:

1. समानता)Equality)

इसका संबंध देश के आम नागरिकों और उनकी राजनीतिक चेतना से है।

- **समान भागीदारी:** समाज के सभी वर्गों (अमीर, गरीब, किसी भी जाति, धर्म या लिंग के लोग) को राजनीति में हिस्सा लेने और अपनी आवाज उठाने का समान अवसर मिले।
- **कानून की सर्वोच्चता:** कानून की नजर में देश का आम नागरिक और बड़े से बड़ा नेता या अधिकारी बिल्कुल बराबर होने चाहिए।
- **योग्यता को महत्व:** सरकारी नौकरियों या राजनीतिक पदों पर नियुक्तियाँ किसी विशेष वर्ग या वंश के आधार पर नहीं, बल्कि योग्यता (Merit) के आधार पर होनी चाहिए।

2. क्षमता)Capacity)

इसका सीधा संबंध सरकार और उसकी कार्यप्रणाली (Outputs) से है।

- **समस्या सुलझाने की शक्ति:** राजनीतिक व्यवस्था में इतनी ताकत और कुशलता होनी चाहिए कि वह जनता की मांगों और देश की समस्याओं का सही समय पर समाधान कर सके।
- **कानून-व्यवस्था:** सरकार देश में शांति बनाए रखने और कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने में सक्षम हो।
- **संसाधनों का सही उपयोग:** देश के विकास के लिए सामाजिक और आर्थिक बदलावों को सही दिशा में मोड़ने की क्षमता सरकार के पास होनी चाहिए।

3. विभेदीकरण और विशिष्टीकरण)Differentiation and Specialization)

इसका संबंध राजनीतिक व्यवस्था के ढांचे (Structure) से है।

- **कामों का स्पष्ट बंटवारा:** जैसे-जैसे समाज आधुनिक होता है, सरकार के काम जटिल हो जाते हैं। इसलिए, प्रशासन के अलग-अलग अंगों (जैसे- कार्यपालिका, न्यायपालिका, चुनाव आयोग) के काम पूरी तरह अलग और स्पष्ट होने चाहिए।
- **विशेषज्ञता (Specialization):** हर विभाग या संस्था में अपने काम के विशेषज्ञ होने चाहिए ताकि शासन बिना किसी टकराव या उलझन के सुचारु रूप से चल सके (जैसे- आर्थिक मामलों के लिए अलग विशेषज्ञ और कानून व्यवस्था के लिए अलग)।

पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के मार्ग की चुनौतियाँ (Crises)

लूसियन पाई ने यह भी बताया कि जब कोई देश राजनीतिक विकास की ओर बढ़ता है, तो उसे 6 **प्रमुख संकटों या चुनौतियों** का सामना करना पड़ता है। यदि कोई देश इन संकटों को पार कर लेता है, तो उसका राजनीतिक विकास हो जाता है:

1. **पहचान का संकट (Identity Crisis):** जनता में यह भावना पैदा करना कि वे सब एक ही देश के नागरिक हैं (क्षेत्र या जाति से ऊपर उठकर)।
2. **वैधता का संकट (Legitimacy Crisis):** जनता द्वारा सरकार और उसके कानूनों को दिल से स्वीकार करना और उनका सम्मान करना।
3. **प्रवेश का संकट (Penetration Crisis):** सरकार की नीतियों और कानूनों का असर देश के सबसे निचले स्तर और दूर-दराज के गांवों तक पहुँचना।
4. **सहभागिता का संकट (Participation Crisis):** नए जागरूक वर्गों (जैसे युवाओं या महिलाओं) को राजनीति में हिस्सा लेने का मौका देना, ताकि वे असंतुष्ट न हों।
5. **एकीकरण का संकट (Integration Crisis):** समाज के अलग-अलग गुटों, जातियों और वर्गों को आपस में जोड़कर रखना।
6. **वितरण का संकट (Distribution Crisis):** देश के संसाधनों, सुख-सुविधाओं और अवसरों का लाभ समाज के हर नागरिक तक निष्पक्ष रूप से पहुँचाना।

संक्षेप में: लूसियन पाई का मानना है कि राजनीतिक विकास **समानता, क्षमता और विभेदीकरण** के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाने की प्रक्रिया है, जिससे गुजरकर कोई भी राजनीतिक व्यवस्था अधिक परिपक्व और मजबूत बनती है।

राजनीतिक विकास (Political Development) जहाँ एक ओर किसी देश को अधिक लोकतांत्रिक, कुशल और मजबूत बनाता है, वहीं दूसरी ओर इसके मार्ग में कई गंभीर **समस्याएँ और चुनौतियाँ (Crises and Problems)** भी आती हैं।

विशेषकर भारत जैसे विकासशील देशों (Third World Countries) में राजनीतिक विकास की गति अक्सर धीमी हो जाती है क्योंकि वहाँ पारंपरिक समाज और आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था के बीच टकराव होता है।

आइए राजनीतिक विकास के मार्ग में आने वाली प्रमुख समस्याओं को दो दृष्टिकोणों से समझते हैं: पहला, लूसियन पाई द्वारा बताए गए संकट और दूसरा, व्यावहारिक धरातल पर आने वाली सामान्य समस्याएँ।

1. लूसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के 6 संकट (Crises)

राजनीतिक विद्वान लूसियन पाई का मानना था कि हर देश को राजनीतिक विकास के दौरान इन 6 समस्याओं या संकटों से गुजरना ही पड़ता है:

- **पहचान का संकट (Identity Crisis):** जब देश के लोग खुद को एक राष्ट्र का नागरिक मानने के बजाय अपनी जाति, धर्म या क्षेत्र से जोड़कर देखने लगते हैं, तो राष्ट्रीय एकता खतरे में पड़ जाती है।
- **वैधता का संकट (Legitimacy Crisis):** जब जनता सरकार की नीतियों, संविधान या शासन करने के अधिकार को स्वीकार नहीं करती या उसे अवैध मानने लगती है (जैसे- तख्तापलट या बार-बार होने वाले हिंसक विरोध प्रदर्शन)।
- **प्रवेश का संकट (Penetration Crisis):** जब केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून और नीतियां देश के सुदूर ग्रामीण इलाकों या जमीनी स्तर तक प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पातीं।
- **सहभागिता का संकट (Participation Crisis):** जब समाज के नए जागरूक वर्ग (जैसे- युवा, महिलाएं या अल्पसंख्यक) राजनीति में हिस्सा लेना चाहते हैं, लेकिन मौजूदा व्यवस्था उन्हें मौका नहीं देती। इससे असंतोष और विद्रोह पनपता है।
- **एकीकरण का संकट (Integration Crisis):** समाज के विभिन्न गुटों, जातियों और संस्कृतियों को एक साथ जोड़कर रखने में विफलता।
- **वितरण का संकट (Distribution Crisis):** जब देश के आर्थिक संसाधनों, नौकरियों और सुख-सुविधाओं का लाभ केवल कुछ अमीर या प्रभावशाली लोगों तक सीमित रह जाता है और आम जनता तक नहीं पहुँचता।

2. व्यावहारिक धरातल पर मुख्य समस्याएँ (Practical Problems)

आज के समय में विकासशील देशों में राजनीतिक विकास के सामने निम्नलिखित व्यावहारिक चुनौतियाँ सबसे बड़ी बाधा हैं:

- **राजनीतिक अस्थिरता (Political Instability):** सरकारों का बार-बार बदलना, गठबंधन सरकारों की कमजोरी या तानाशाही प्रवृत्तियों के कारण नीतियां स्थिर नहीं रह पातीं, जिससे विकास रुक जाता है।
- **भ्रष्टाचार और लालफीताशाही (Corruption & Bureaucracy):** प्रशासनिक अधिकारियों और राजनेताओं में भ्रष्टाचार के कारण जनता का राजनीतिक व्यवस्था से भरोसा उठ जाता है। नीतियां कागजों पर ही रह जाती हैं।
- **राजनीति का अपराधीकरण (Criminalization of Politics):** चुनावों में धनबल (Money Power) और बाहुबल (Muscle Power) का अत्यधिक प्रयोग होना। अपराधियों का चुनाव जीतकर संसद या विधानसभाओं में पहुँचना राजनीतिक विकास को पीछे धकेलता है।
- **जातिवाद और सांप्रदायिकता (Casteism and Communalism):** जब विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों के बजाय चुनाव केवल जाति और धर्म के नाम पर लड़े और जीते जाते हैं, तो राजनीतिक चेतना का पतन होता है।
- **क्षेत्रीय असंतुलन (Regional Imbalance):** देश के कुछ हिस्सों का बहुत अधिक विकास हो जाना और कुछ का बिल्कुल पिछड़े रह जाना अलगाववाद (Separatism) और असंतोष को जन्म देता है।
- **राजनीतिक क्षय (Political Decay):** राजनीतिक विद्वान **सैमुअल हंटिंगटन (Samuel Huntington)** ने एक महत्वपूर्ण समस्या बताई थी। उनका कहना था कि यदि जनता की राजनीतिक भागीदारी (Participation) बहुत तेजी से बढ़े, लेकिन देश की संस्थाएँ (जैसे न्यायालय, पुलिस, संसद) उतनी तेजी से मजबूत न हों, तो व्यवस्था चरमरा जाती है। इसे वे 'राजनीतिक क्षय' या पतन कहते हैं।

निष्कर्ष: राजनीतिक विकास कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहाँ एक बार पहुँचकर काम खत्म हो जाए। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। किसी भी देश का राजनीतिक विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी सरकार और जनता मिलकर इन समस्याओं का समाधान कितनी सूझबूझ और मजबूती से करते हैं।

आमंड और पावेल (Gabriel Almond and Bingham Powell) ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक '**Comparative Politics: A Developmental Approach**' (1966) में राजनीतिक विकास (Political Development) का सिद्धांत दिया है।

लूसियन पाई की तरह, आमंड और पावेल भी मानते थे कि समाज के बदलने के साथ-साथ राजनीतिक व्यवस्था को भी बदलना पड़ता है। लेकिन उनका दृष्टिकोण "**संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक**" (Structural-Functional Approach) था। इसका मतलब है कि वे देखते थे कि

राजनीतिक व्यवस्था के ढांचे (Structures/Institutions) क्या हैं और वे क्या काम (Functions) करते हैं।

उन्होंने राजनीतिक विकास को मापने और समझने के लिए **तीन मुख्य लक्षण या कसौटियाँ** बताई हैं:

आमंड और पावेल के अनुसार राजनीतिक विकास के 3 मुख्य लक्षण

यदि किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था में निम्नलिखित तीन बदलाव आ रहे हैं, तो आमंड और पावेल के अनुसार वहाँ राजनीतिक विकास हो रहा है:

1. भूमिका) विभेदीकरण-Role Differentiation)

जैसे-जैसे कोई समाज आधुनिक होता है, उसकी राजनीतिक व्यवस्था में नई और विशिष्ट संस्थाओं (Institutions) का जन्म होता है।

- सरल समाजों में एक ही राजा या संस्था सारे काम (कानून बनाना, लागू करना और न्याय करना) करती थी।
- विकसित राजनीतिक व्यवस्था में हर काम के लिए अलग और विशेष संस्था होती है। जैसे- कानून बनाने के लिए संसद (Legislature), लागू करने के लिए कार्यपालिका व प्रशासनिक अधिकारी (Executive), और विवाद सुलझाने के लिए न्यायपालिका (Judiciary)।
- इसी को आमंड और पावेल 'भूमिका-विभेदीकरण' कहते हैं, जहाँ हर संस्था की भूमिका स्पष्ट होती है।

2. उप) व्यवस्था स्वायत्तता-Sub-system Autonomy)

इसका अर्थ है कि राजनीतिक व्यवस्था के भीतर काम करने वाले अलग-अलग अंग या संगठन कितने स्वतंत्र (Autonomous) होकर काम कर पाते हैं।

- एक विकसित या लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका, चुनाव आयोग, प्रेस/मीडिया, राजनीतिक दल और दबाव समूह (Pressure Groups) सरकार के अनुचित दबाव के बिना, स्वतंत्र रूप से अपना काम करते हैं।

- यदि किसी देश में ये सभी अंग केवल शासक या किसी एक पार्टी के इशारे पर काम करते हैं (जैसे तानाशाही में), तो वहाँ 'उप-व्यवस्था स्वायत्तता' नहीं होती और उसे राजनीतिक रूप से विकसित नहीं माना जा सकता।

3. लौकिकीकरण या धर्मनिरपेक्षीकरण)Secularization)

यहाँ 'लौकिकीकरण' का मतलब केवल धर्म से अलग होना नहीं है, बल्कि **सोच का आधुनिक और तार्किक (Rational) होना** है।

- पारंपरिक समाजों में लोग अंधविश्वास, धार्मिक कट्टरता, जाति या पुरानी परंपराओं के आधार पर वोट देते हैं या राजनीतिक फैसले लेते हैं।
- इसके विपरीत, एक विकसित राजनीतिक व्यवस्था में जनता और राजनेताओं का दृष्टिकोण 'लौकिक' (Secular/Rational) होता है। वे फैसलों को गुण-दोष, प्रदर्शन, विकास, शिक्षा और आर्थिक नीतियों के आधार पर तौलते हैं, न कि भावनाओं या कबीलाई सोच के आधार पर।

व्यवस्था की क्षमताएँ)Capabilities of the System)

आमंड और पावेल का मानना था कि राजनीतिक विकास का सीधा संबंध इस बात से भी है कि कोई राजनीतिक व्यवस्था अपने पर्यावरण (Environment) से निपटने में कितनी सक्षम है। उन्होंने व्यवस्था की 5 मुख्य क्षमताएं बताई हैं:

1. **निकासी क्षमता (Extractive Capability):** समाज से संसाधन (जैसे टैक्स या जनशक्ति) इकट्ठा करने की क्षमता।
2. **नियामक क्षमता (Regulative Capability):** नागरिकों और समूहों के व्यवहार को नियंत्रित करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की क्षमता।
3. **वितरण क्षमता (Distributive Capability):** वस्तुओं, सेवाओं, नौकरियों और अवसरों को जनता के बीच निष्पक्ष रूप से बांटने की क्षमता।
4. **प्रतीकात्मक क्षमता (Symbolic Capability):** राष्ट्रीय प्रतीकों (जैसे राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीय त्योहार) के जरिए जनता में देशभक्ति और गर्व की भावना जगाने की क्षमता।
5. **प्रतिसंवेदी क्षमता (Responsive Capability):** जनता की मांगों और जरूरतों के प्रति सरकार का संवेदनशील होना और उन पर तुरंत एक्शन लेना।

निष्कर्ष (लूसियन पाई बनाम आमंड-पावेल): जहाँ लूसियन पाई ने समानता, क्षमता और विभेदीकरण पर जोर दिया, वहीं आमंड और पावेल ने राजनीतिक विकास को भूमिका-विभेदीकरण, उप-व्यवस्था स्वायत्तता और लौकिकीकरण के चश्मे से देखा। दोनों का मानना यही था कि एक विकसित राजनीतिक व्यवस्था वही है जो समाज की बदलती मांगों को बिना टूटे या बिखरे संभाल सके।

राजनीतिक विकास (Political Development) की अवधारणा—विशेषकर लूसियन पाई, आमंड-पावेल और सैमुअल हंटिंगटन जैसे अमेरिकी विद्वानों द्वारा दिए गए सिद्धांत—राजनीति विज्ञान को समझने में बेहद महत्वपूर्ण रहे हैं। लेकिन, मुख्य रूप से 1960 और 1970 के दशक में विकसित हुए इन सिद्धांतों की तीखी आलोचना भी हुई है।

राजनीतिक विकास की अवधारणा का **आलोचनात्मक मूल्यांकन (Critical Evaluation)** इसके मजबूत पक्षों और इसकी कमियों (सीमाओं) दोनों को उजागर करता है:

1. सकारात्मक पक्ष (Merits / Strengths)

कमियों के बावजूद, इस अवधारणा ने राजनीति विज्ञान को कई महत्वपूर्ण मोर्चों पर समृद्ध किया:

- **व्यापक और तुलनात्मक दृष्टिकोण:** इस सिद्धांत ने राजनीति विज्ञान को सिर्फ 'सरकारों और संविधानों के अध्ययन' से बाहर निकाला। इसने विकासशील देशों (एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका) की राजनीतिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करना संभव बनाया।
- **अन्तर-विषयक अध्ययन (Interdisciplinary Approach):** इसने राजनीति को समाजशास्त्र (Sociology), अर्थशास्त्र (Economics) और मनोविज्ञान (Psychology) से जोड़ा, जिससे राजनीतिक घटनाओं को समझने का नजरिया गहरा हुआ।
- **व्यवस्था की कमियों को पहचानने का टूल:** लूसियन पाई के '6 संकट' और हंटिंगटन का 'राजनीतिक क्षय' का सिद्धांत आज भी यह समझने में मदद करता है कि कोई सरकार या देश आंतरिक रूप से क्यों कमजोर या असफल (Failed State) हो जाता है।

2. नकारात्मक पक्ष और आलोचनाएँ (Demerits / Criticisms)

विभिन्न समकालीन विद्वानों, विशेषकर मार्क्सवादी (Marxist) और उत्तर-औपनिवेशिक (Post-colonial) विचारकों ने इसकी निम्नलिखित आधारों पर कड़ी आलोचना की है:

- **पश्चिम-केंद्रित दृष्टिकोण (Eurocentric Bias):** आलोचकों का मानना है कि राजनीतिक विकास का यह पूरा सिद्धांत 'पश्चिमी चश्मे' से लिखा गया है। अमेरिकी और यूरोपीय विद्वानों ने मान लिया कि पश्चिमी लोकतंत्र (जैसे अमेरिका या ब्रिटेन की व्यवस्था) ही दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था है, और बाकी देशों को भी विकसित होने के लिए उसी रास्ते पर चलना होगा। यह सोच अन्य देशों की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक वास्तविकताओं की उपेक्षा करती है।
- **अत्यधिक अमूर्त और जटिल शब्दावली:** आमंड और पावेल जैसे विद्वानों ने 'भूमिका-विभेदीकरण', 'उप-व्यवस्था स्वायत्तता' और 'लौकिकीकरण' जैसे इतने जटिल और भारी-भरकम शब्दों का प्रयोग किया कि इस सिद्धांत को जमीन पर (व्यावहारिक रूप से) मापना बहुत कठिन हो गया।
- **आर्थिक और औपनिवेशिक इतिहास की अनदेखी:** यह सिद्धांत इस बात को नजरअंदाज कर देता है कि विकासशील देश (Third World) सदियों की गुलामी (Colonialism) और आर्थिक शोषण के कारण पिछड़े थे। बिना आर्थिक आत्मनिर्भरता और वैश्विक शोषणकारी ताकतों को समझे केवल 'राजनीतिक संस्थाओं को मजबूत' करने से विकास नहीं हो सकता (जैसा कि 'निर्भरता सिद्धांत' या Dependency Theory के विचारकों ने तर्क दिया)।
- **मूल्य-प्रधान अवधारणा (Value-Loaded Concept):** राजनीतिक विकास को 'लोकतंत्र और स्वतंत्रता' जैसी पश्चिमी मूल्यों से जोड़कर देखा गया। लेकिन आलोचकों का तर्क है कि कई बार गैर-लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं (जैसे चीन या सिंगापुर) ने भी राजनीतिक स्थिरता, प्रशासनिक क्षमता और जनता का कल्याण करके भारी विकास दिखाया है। तो क्या उन्हें अविकसित माना जाए?
- **राजनीतिक पतन (Political Decay) की संभावना:** सैमुअल हंटिंगटन ने खुद माना कि विकास कोई सीधा रास्ता नहीं है। कई बार आधुनिकीकरण के कारण समाजों में राजनीतिक विकास होने के बजाय हिंसा, तख्तापलट और राजनीतिक पतन (Decay) पैदा हो जाता है।

निष्कर्ष)Conclusion)

आलोचनात्मक रूप से देखें तो राजनीतिक विकास का पारंपरिक सिद्धांत एकतरफा और पश्चिमी अनुभवों पर आधारित था। यह कोई सार्वभौमिक नियम (Universal Law) नहीं बन पाया।

फिर भी, इसका महत्व इस बात में है कि इसने विकासशील देशों की राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया। आज के समय में राजनीतिक विकास को केवल

"पश्चिमीकरण" नहीं माना जाता, बल्कि इसका सही अर्थ यह माना जाता है कि कोई भी देश अपनी स्थानीय संस्कृति और परिस्थितियों के अनुसार अपनी संस्थाओं को कितना उत्तरदायी, पारदर्शी और जन-कल्याणकारी बना पाता है।

राजनीतिक संस्कृति (Political Culture) राजनीति विज्ञान की एक बेहद महत्वपूर्ण अवधारणा है। सरल शब्दों में कहें तो, किसी देश या समाज के लोगों का अपनी राजनीतिक व्यवस्था, सरकार, नेताओं और राजनीतिक प्रक्रियाओं के प्रति जो नजरिया, विश्वास, मूल्य और भावनाएं होती हैं, उसी के सामूहिक रूप को 'राजनीतिक संस्कृति' कहा जाता है।

यह अवधारणा हमें यह समझने में मदद करती है कि किसी देश का संविधान या कानून चाहे जैसा भी हो, वहाँ के लोग वास्तव में राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं। उदाहरण के लिए, भारत और ब्रिटेन दोनों में संसदीय लोकतंत्र है, लेकिन दोनों देशों के लोगों का राजनीतिक व्यवहार और संस्कृति काफी अलग है।

इस अवधारणा को लोकप्रिय बनाने का श्रेय **गैब्रिएल आमंड (Gabriel Almond)** और **सिडनी वर्बा (Sidney Verba)** को जाता है, जिन्होंने 1963 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'The Civic Culture' में इसका विस्तार से वर्णन किया था।

राजनीतिक संस्कृति के मुख्य तीन प्रकार (आमंड और वर्बा के अनुसार)

आमंड और वर्बा ने दुनिया भर की राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करके राजनीतिक संस्कृति को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा है:

- **1. संकुचित राजनीतिक संस्कृति (Parochial Political Culture):**
 - इस तरह की संस्कृति में लोग राजनीति और सरकार के प्रति पूरी तरह उदासीन या अचेत होते हैं।
 - उन्हें केंद्र सरकार या उसकी नीतियों से कोई लेना-देना नहीं होता। लोग अपनी कबीलाई, धार्मिक या स्थानीय पहचान में ही सीमित रहते हैं (जैसे- दूर-दराज के कबीलाई समाज या अत्यधिक पिछड़े क्षेत्र)।
- **2. प्रजाभावी या अधीन राजनीतिक संस्कृति (Subject Political Culture):**
 - इसमें लोग सरकार और उसके द्वारा बनाए गए कानूनों के प्रति जागरूक तो होते हैं, लेकिन वे खुद को केवल एक 'प्रजा' (Subject) मानते हैं।

- वे सरकार के फैसलों को बिना कोई सवाल उठाए स्वीकार कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि वे सरकार की नीतियों को प्रभावित नहीं कर सकते। वे केवल आदेशों का पालन करते हैं (जैसे- राजशाही या तानाशाही व्यवस्था में रहने वाले लोग)।
- **3. सहभागी राजनीतिक संस्कृति (Participant Political Culture):**
 - यह एक परिपक्व और लोकतांत्रिक संस्कृति है। इसमें नागरिक न केवल सरकार और नीतियों के प्रति पूरी तरह जागरूक होते हैं, बल्कि वे राजनीति में सक्रिय रूप से भाग (Participate) भी लेते हैं।
 - लोग मतदान करते हैं, सरकार की आलोचना करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं और नीतियों को बदलने की क्षमता रखते हैं (जैसे- आधुनिक पश्चिमी लोकतंत्र)।

नागरिक संस्कृति (The Civic Culture): आमंड और वर्बा के अनुसार, लोकतंत्र को सबसे मजबूत बनाए रखने के लिए इन संस्कृतियों का एक मिला-जुला रूप सबसे अच्छा होता है, जिसे उन्होंने 'सिविक कल्चर' (Civic Culture) कहा है। इसमें लोग सहभागी भी होते हैं और कानून का पालन भी करते हैं।

राजनीतिक संस्कृति के मुख्य अंगतत्व/

राजनीतिक संस्कृति मुख्य रूप से तीन प्रकार के अभिमुखन (Orientations) या तत्वों से मिलकर बनती है:

1. **ज्ञानात्मक अभिवृत्ति (Cognitive Orientation):** राजनीति, सरकार के अंगों, नेताओं और नीतियों के बारे में लोगों को कितनी जानकारी या ज्ञान है।
2. **भावात्मक अभिवृत्ति (Affective Orientation):** राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लोगों की भावनाएँ (प्रेम, घृणा, गर्व या गुस्सा) कैसी हैं।
3. **मूल्यांकनात्मक अभिवृत्ति (Evaluative Orientation):** लोग अपनी नैतिक कसौटियों के आधार पर सरकार के कामों का मूल्यांकन कैसे करते हैं—वे उसे सही मानते हैं या गलत।

राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक विकास का संबंध

राजनीतिक संस्कृति का राजनीतिक विकास (Political Development) से बहुत गहरा संबंध है। यदि किसी देश के नियम-कानून और संस्थाएँ (जैसे संसद, न्यायालय) बहुत आधुनिक हैं, लेकिन

वहाँ की राजनीतिक संस्कृति संकुचित या अंधविश्वासी है, तो वह देश राजनीतिक रूप से विकसित नहीं हो सकता। लोकतंत्र तभी सफल होता है जब देश की राजनीतिक संस्कृति भी लोकतांत्रिक और सहिष्णु हो।

राजनीतिक संस्कृति (Political Culture) की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं, जो इसकी प्रकृति और कार्यप्रणाली को स्पष्ट करती हैं:

1. अमूर्त धारणा)Abstract Concept)

राजनीतिक संस्कृति कोई ठोस या भौतिक वस्तु नहीं है जिसे देखा या छुआ जा सके। यह नागरिकों के मन में छिपे विचारों, विश्वासों, भावनाओं, मूल्यों और दृष्टिकोणों का एक अमूर्त समूह है, जो उनके राजनीतिक व्यवहार (जैसे वोट देना या विरोध करना) के माध्यम से प्रकट होता है।

2. गतिशीलता)Dynamism)

राजनीतिक संस्कृति कभी भी पूरी तरह जड़ या स्थिर (Static) नहीं होती; यह समय के साथ बदलती रहती है। सामाजिक-आर्थिक बदलाव, नई तकनीक, शिक्षा का प्रसार, या कोई बड़ी ऐतिहासिक घटना (जैसे कोई क्रांति या युद्ध) लोगों की राजनीतिक सोच को बदल देती है।

3. ऐतिहासिक निरंतरता)Historical Continuity)

यह किसी देश के इतिहास और सदियों पुरानी परंपराओं से गहराई से जुड़ी होती है। राजनीतिक मूल्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। उदाहरण के लिए, ब्रिटेन की राजनीतिक संस्कृति में आज भी राजशाही (Monarchy) के प्रति जो सम्मान है, वह उनके इतिहास की देन है।

4. राजनीतिक सामाजीकरण पर आधारित)Based on Political Socialization)

कोई भी व्यक्ति राजनीतिक संस्कृति को जन्म से लेकर नहीं आता, बल्कि वह इसे समाज में रहकर सीखता है। **राजनीतिक सामाजीकरण (Political Socialization)** वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से परिवार, स्कूल, मित्र, मीडिया और राजनीतिक दल व्यक्ति के भीतर राजनीतिक विचारों और मूल्यों को स्थापित करते हैं।

5. विविधता और उप) संस्कृतियाँ-Diversity and Sub-Cultures)

एक ही देश के भीतर सभी लोगों की राजनीतिक सोच एक जैसी नहीं होती। इसलिए एक व्यापक राष्ट्रीय संस्कृति के अंदर कई **उप-संस्कृतियाँ (Sub-Cultures)** भी पाई जाती हैं। यह विविधता जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा या अमीर-गरीब (वर्ग) के आधार पर हो सकती है (जैसे भारत में क्षेत्रीय राजनीति की अलग उप-संस्कृति है)।

6. नैतिक और भावनात्मक जुड़ाव)Moral and Emotional Attachment)

राजनीतिक संस्कृति केवल तार्किक या बौद्धिक नहीं होती, इसमें भावनाएँ और मूल्य भी शामिल होते हैं। लोग अपने देश के संविधान, राष्ट्रध्वज, या किसी विशेष विचारधारा (जैसे समाजवाद या पूंजीवाद) से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं और उसके लिए त्याग करने को तैयार रहते हैं।

संक्षेप में: राजनीतिक संस्कृति किसी राजनीतिक व्यवस्था की "**आत्मा**" या "**मनोवैज्ञानिक आधार**" है। यह व्यवस्था को स्थिरता प्रदान करती है और यह तय करती है कि देश की जनता अपनी सरकार को कितना सहयोग देगी।

आमंड और सिडनी वर्बा (Almond and Verba) के वर्गीकरण के अलावा, राजनीति विज्ञान के अन्य विद्वानों ने भी समाज की प्रकृति, विचारधारा और व्यवस्था के आधार पर **राजनीतिक संस्कृति के कई अन्य महत्वपूर्ण प्रकार (Types of Political Culture)** बताए हैं।

मुख्य रूप से इसे निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:

1. आमंड और वर्बा के अनुसार (पारंपरिक वर्गीकरण)

जैसा कि हमने पहले चर्चा की, नागरिकों की जागरूकता और भागीदारी के आधार पर इसके तीन मुख्य प्रकार हैं:

- **संकुचित (Parochial):** जनता पूरी तरह उदासीन और अज्ञानी होती है (जैसे कबीलाई समाज)।
- **प्रजाभावी (Subject):** जनता सरकार के नियमों को मानती है पर खुद को 'प्रजा' समझती है, सवाल नहीं उठाती।
- **सहभागी (Participant):** जनता जागरूक होती है और शासन में सक्रिय रूप से भाग लेती है (लोकतांत्रिक देश)।

2. राजनीतिक स्थिरता और व्यवस्था के आधार पर)S.E. Finer के अनुसार(

एस. ई. फाइनर ने सेना और राजनीति के संबंधों तथा नागरिकों के जुड़ाव के आधार पर इसे चार भागों में बांटा:

- **विकसित राजनीतिक संस्कृति (Developed):** यहाँ नागरिक पूरी तरह जागरूक होते हैं और संस्थाएँ मजबूत होती हैं। शासन में सेना का कोई हस्तक्षेप नहीं होता (जैसे- ब्रिटेन, अमेरिका)।
- **निम्न राजनीतिक संस्कृति (Low):** यहाँ जनता में राजनीतिक चेतना तो होती है, लेकिन संस्थाएँ कमजोर होती हैं। अक्सर सरकारें अस्थिर होती हैं और तख्तापलट का डर रहता है।
- **न्यूनतम राजनीतिक संस्कृति (Minimal):** जनता बहुत कम जागरूक होती है। सरकारें बंदूक की नोक पर चलती हैं और जनता चुपचाप सहती है।
- **अविकसित राजनीतिक संस्कृति (Underdeveloped):** यहाँ राजनीतिक संस्थाएँ न के बराबर होती हैं और सत्ता परिवर्तन अक्सर हिंसा या सैनिक विद्रोह (Coups) के जरिए होता है।

3. सामाजिक समरूपता के आधार पर (गैब्रिएल आमंड का दूसरा वर्गीकरण)

आमंड ने दुनिया की राजनीतिक व्यवस्थाओं के ताने-बाने को देखकर चार और प्रकार बताए:

- **आंग्ल-अमेरिकी राजनीतिक संस्कृति (Anglo-American):** यह अत्यधिक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और सहिष्णु होती है। यहाँ लोग व्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण बदलाव में विश्वास रखते हैं (जैसे- USA, UK)।
- **महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक संस्कृति (Continental European):** यहाँ लोकतंत्र तो है, लेकिन समाज कई अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं, उप-संस्कृतियों और गुटों में बंटा होता है (जैसे- फ्रांस, इटली)।
- **गैर-पश्चिमी या पूर्व-औद्योगिक संस्कृति (Non-Western / Pre-Industrial):** यह भारत जैसे विकासशील देशों में दिखती है। यहाँ एक तरफ आधुनिक लोकतांत्रिक ढांचा (संसद, चुनाव) होता है, तो दूसरी तरफ पुरानी पारंपरिक सोच (जातिवाद, क्षेत्रवाद) का गहरा असर होता है।

- **सर्वाधिकारवादी राजनीतिक संस्कृति (Totalitarian):** यहाँ सरकार का पूरी व्यवस्था और जनता की सोच पर कड़ा नियंत्रण होता है। कोई अन्य विचारधारा या विरोध बर्दाश्त नहीं किया जाता (जैसे- उत्तर कोरिया, चीन)।

4. समकालीन समाज के आधार पर (सामान्य प्रकार)

- **अभिजात वर्गीय संस्कृति (Elite Culture):** समाज के गिने-चुने प्रभावशाली लोग, राजनेता और बड़े नौकरशाह जो वास्तव में सत्ता चलाते हैं, उनकी सोच और मूल्य आम जनता से अलग होते हैं।
- **जन-संस्कृति (Mass Culture):** देश की आम जनता की सोच, जो अक्सर भावनाओं, स्थानीय मुद्दों और बुनियादी जरूरतों (बिजली, पानी, सड़क) पर आधारित होती है।

निष्कर्ष: किसी भी एक देश में इनमें से कोई एक शुद्ध रूप नहीं मिलता, बल्कि कई प्रकारों का मिश्रण होता है। जैसे भारत में 'सहभागी संस्कृति' (भारी मतदान) के साथ-साथ 'गैर-पश्चिमी पारंपरिक उप-संस्कृतियाँ' (जाति आधारित राजनीति) भी सह-अस्तित्व में हैं।

राजनीति विज्ञान में **राजनीतिक संस्कृति (Political Culture)** का महत्व बहुत अधिक है। 1950 और 60 के दशक में जब विद्वानों ने देखा कि कई देशों में एक जैसा संविधान और लोकतांत्रिक ढांचा होने के बावजूद (जैसे भारत और कई अफ्रीकी देश जिन्हें अंग्रेजों से आजादी मिली) वहां के राजनीतिक परिणाम बिल्कुल अलग रहे, तब यह अहसास हुआ कि सिर्फ संस्थाओं को देखना काफी नहीं है; जनता की सोच (संस्कृति) को समझना भी जरूरी है।

व्यावहारिक और सैद्धांतिक दृष्टि से राजनीतिक संस्कृति के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है:

1. राजनीतिक स्थिरता का आधार (Basis of Political Stability)

कोई भी राजनीतिक व्यवस्था तब तक लंबे समय तक टिकी नहीं रह सकती, जब तक उसे वहां की संस्कृति का समर्थन न प्राप्त हो।

- यदि देश का संविधान लोकतांत्रिक है, लेकिन जनता की सोच तानाशाही या कबीलाई है, तो वह व्यवस्था जल्द ही ढह जाएगी (जैसे कई अफ्रीकी और एशियाई देशों में लोकतंत्र के बाद सैनिक शासन आ गया)।

- इसके विपरीत, ब्रिटेन और अमेरिका में लोकतंत्र की जड़ें इसलिए मजबूत हैं क्योंकि वहां की राजनीतिक संस्कृति में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति गहरा सम्मान है।

2. राजनीतिक व्यवहार को समझने में सहायक)Helps in Understanding Political Behavior)

सिर्फ कानून की किताबें पढ़कर यह नहीं जाना जा सकता कि किसी देश की राजनीति कैसे चलती है। राजनीतिक संस्कृति हमें यह बताती है कि लोग वास्तव में:

- वोट देते समय क्या सोचते हैं (जाति, धर्म देखते हैं या विकास)।
- सरकार के फैसलों का विरोध हिंसक तरीके से करते हैं या शांतिपूर्ण ढंग से।
- राजनेताओं और सरकारी संस्थाओं पर कितना भरोसा करते हैं।

3. व्यवस्था की वैधता)Legitimacy) तय करना

राजनीतिक संस्कृति यह निर्धारित करती है कि जनता अपनी सरकार को कितनी वैध (Legitimate) या उचित मानती है। जब किसी देश की संस्कृति में व्यवस्था के प्रति गहरा विश्वास होता है, तो संकट के समय भी (जैसे आर्थिक मंदी या महामारी) जनता सरकार का साथ देती है और विद्रोह नहीं करती।

4. राजनीतिक आधुनिकीकरण और विकास का मार्गदर्शक

किसी देश का राजनीतिक विकास (Political Development) तभी संभव है जब वहां की संस्कृति भी आधुनिक हो। जब तक समाज में अंधविश्वास, कट्टरता और संकुचित सोच रहेगी, तब तक आधुनिक संस्थाएं (जैसे स्वतंत्र न्यायपालिका या निष्पक्ष चुनाव आयोग) ठीक से काम नहीं कर पाएंगी। संस्कृति ही तय करती है कि विकास की गति क्या होगी।

5. तुलनात्मक राजनीति का वैज्ञानिक अध्ययन)Scientific Study)

इस अवधारणा ने राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक और यथार्थवादी (Realistic) बनाया। इसकी मदद से विद्वान केवल कागजी कानूनों की तुलना करने के बजाय दो अलग-अलग देशों के समाजों के बीच वास्तविक और व्यावहारिक अंतरों का सटीक अध्ययन करने में सक्षम हुए।

निष्कर्ष: संक्षेप में कहें तो, यदि संविधान और सरकार की संस्थाएं किसी राजनीतिक व्यवस्था का 'शरीर' हैं, तो राजनीतिक संस्कृति उसकी 'आत्मा' है। बिना आत्मा को समझे, शरीर की कार्यप्रणाली को कभी नहीं समझा जा सकता।

UNIT-3RD

संविधान (Constitution) किसी भी देश का वह सर्वोच्च और मौलिक कानूनी दस्तावेज होता है, जिसके आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। यह सरकार के विभिन्न अंगों (विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका) की स्थापना करता है, उनकी शक्तियों को तय करता है और उनके बीच के संबंधों को नियंत्रित करता है।

साथ ही, संविधान देश के नागरिकों और सरकार के बीच के संबंधों को भी परिभाषित करता है (जैसे नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्य)।

संविधान का अर्थ)Meaning of Constitution)

- **शाब्दिक अर्थ:** 'संविधान' शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है— 'सम्' + 'विधान'। 'सम्' का अर्थ है 'बराबर या समान' और 'विधान' का अर्थ है 'कानून या नियम'। अर्थात्, ऐसा कानून जो देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है।
- **अंग्रेजी शब्द:** इसे अंग्रेजी में 'Constitution' कहते हैं, जो लैटिन शब्द 'Constituere' से बना है, जिसका अर्थ होता है 'बनावट, ढांचा या स्थापित करना'। इस प्रकार, संविधान किसी राज्य या देश के शासन का बुनियादी ढांचा तैयार करता है।

सरल शब्दों में: जैसे किसी खेल (जैसे क्रिकेट) को खेलने के लिए कुछ बुनियादी नियम होते हैं जिनके बिना खेल नहीं चल सकता, वैसे ही किसी देश को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए जिन बुनियादी नियमों और कानूनों की आवश्यकता होती है, उनके संग्रह को 'संविधान' कहते हैं। यह देश का "**सर्वोच्च कानून**" (Supreme Law of the Land) होता है।

संविधान की प्रमुख परिभाषाएँ)Definitions of Constitution)

राजनीति विज्ञान के विभिन्न विद्वानों ने संविधान को अपने-अपने दृष्टिकोण से परिभाषित किया है। कुछ प्रमुख परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं:

- **अरस्तू (Aristotle) के अनुसार:**

"संविधान राज्य के पदों का वह संगठन है, जिसके द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि सर्वोच्च सत्ता किन लोगों के हाथों में रहेगी और उस राजनीतिक समुदाय के जीवन का लक्ष्य क्या होगा।"

- **लॉर्ड ब्राइस (Lord Bryce) के अनुसार:**

"संविधान उन व्यावहारिक नियमों या कानूनों का समूह होता है जिसके द्वारा राज्य के शासन की रूपरेखा निश्चित की जाती है और जिसके अनुसार शासन चलाया जाता है।"

- **सर जेम्स स्टीफन (Sir James Stephen) के अनुसार:**

"संविधान वह कानून है जिसके द्वारा सरकार के स्वरूप का निर्धारण होता है और यह निश्चित किया जाता है कि कानून कौन बनाएगा, उन्हें कौन लागू करेगा और उनका उल्लंघन करने वालों को दंड कौन देगा।"

- **डॉ. हरमन फाइनर (Herman Finer) के अनुसार:**

"संविधान राज्य की मौलिक संस्थाओं की वह व्यवस्था है जो उनके पारस्परिक संबंधों को निश्चित करती है।"

- **गैटेल (Gettel) के अनुसार:**

"संविधान उन मौलिक सिद्धांतों का समूह है जिनके आधार पर किसी राज्य के संगठन और उसकी संप्रभुता के वितरण को निश्चित किया जाता है।"

निष्कर्ष)Conclusion)

इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि संविधान केवल एक कानूनी किताब नहीं है, बल्कि यह किसी भी राष्ट्र की आत्मा और उसके राजनीतिक जीवन का आधार होता है। यह निरंकुशता (तानाशाही) को रोकता है और "व्यक्तियों के शासन" के स्थान पर "कानून के शासन" (Rule of Law) को स्थापित करता है।

संविधानों का वर्गीकरण (Classification of Constitutions) राजनीति विज्ञान में एक महत्वपूर्ण विषय है। विद्वानों ने संविधानों को उनकी प्रकृति, निर्माण प्रक्रिया, संशोधन की विधि और शासन के स्वरूप के आधार पर कई वर्गों में बांटा है।

प्रमुख वर्गीकरण निम्नलिखित हैं:

1. उत्पत्ति और निर्माण के आधार पर

- **विकसित संविधान (Evolved Constitution):** ये संविधान किसी विशेष सभा द्वारा नहीं बनाए जाते, बल्कि ये परंपराओं, रीति-रिवाजों, न्यायिक निर्णयों और समय-समय पर पारित कानूनों का धीरे-धीरे विकास होते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण **ब्रिटेन का संविधान** है।
- **निर्मित या प्रलेखीय संविधान (Enacted/Written Constitution):** ये संविधान एक निश्चित समय पर एक विशेष संविधान सभा द्वारा विचार-विमर्श करके तैयार किए जाते हैं। जैसे- **भारत, अमेरिका और फ्रांस के संविधान**।

2. रूप के आधार पर (प्रारूप)

- **लिखित संविधान (Written Constitution):** इसमें शासन के नियम एक व्यवस्थित और कानूनी दस्तावेज के रूप में संकलित होते हैं। यह संविधान की सर्वोच्चता को स्पष्ट करता है (जैसे- भारत, अमेरिका)।
- **अलिखित संविधान (Unwritten Constitution):** इसमें नियम किसी एक पुस्तक में नहीं होते। यह परंपराओं, संसदीय कानूनों और न्यायिक फैसलों पर आधारित होता है। यह अधिक लचीला होता है (जैसे- ब्रिटेन का संविधान)।

3. संशोधन प्रक्रिया के आधार पर (लचीलेपन)

यह वर्गीकरण **लॉर्ड ब्राइस** द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था:

- **लचीला संविधान (Flexible Constitution):** वह संविधान जिसमें सामान्य कानून और संवैधानिक कानूनों में कोई अंतर नहीं होता। इसे साधारण बहुमत से बदला जा सकता है (जैसे- ब्रिटेन का संविधान)।
- **कठोर संविधान (Rigid Constitution):** वह संविधान जिसमें संशोधन करने के लिए एक कठिन और विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। इसमें सामान्य कानूनों की तुलना में संवैधानिक बदलाव अधिक जटिल होते हैं (जैसे- अमेरिका का संविधान)।
 - **नोट: भारतीय संविधान** लचीलेपन और कठोरता का एक अद्भुत मिश्रण है।

4. शासन प्रणाली के आधार पर

- **संसदात्मक संविधान (Parliamentary Constitution):** इसमें कार्यपालिका और विधायिका में घनिष्ठ संबंध होता है। सरकार संसद के प्रति जवाबदेह होती है (जैसे- भारत, ब्रिटेन)।
- **अध्यक्षात्मक संविधान (Presidential Constitution):** इसमें शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। राष्ट्रपति विधायिका से स्वतंत्र होता है और जनता द्वारा चुना जाता है (जैसे- अमेरिका)।

5. राजनैतिक ढांचे के आधार पर

- **एकात्मक संविधान (Unitary Constitution):** इसमें समस्त शक्तियाँ केंद्र सरकार में निहित होती हैं। राज्य या स्थानीय सरकारों का अस्तित्व केंद्र की इच्छा पर निर्भर करता है (जैसे- ब्रिटेन, फ्रांस)।
- **संघात्मक संविधान (Federal Constitution):** इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा संविधान द्वारा किया जाता है। दोनों अपने-अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होते हैं (जैसे- अमेरिका, भारत, कनाडा)।

संक्षेप में तालिका

आधार	प्रकार	उदाहरण
निर्माण	विकसित बनाम निर्मित	ब्रिटेन (विकसित), भारत (निर्मित)
प्रारूप	लिखित बनाम अलिखित	अमेरिका (लिखित), ब्रिटेन (अलिखित)
संशोधन	लचीला बनाम कठोर	ब्रिटेन (लचीला), अमेरिका (कठोर)
शक्तियाँ	एकात्मक बनाम संघात्मक	ब्रिटेन (एकात्मक), अमेरिका (संघात्मक)

यह वर्गीकरण हमें यह समझने में मदद करता है कि विभिन्न देशों की शासन प्रणालियाँ किस प्रकार कार्य करती हैं और उनकी लोकतांत्रिक मजबूती के पीछे कौन से संवैधानिक ढाँचे काम कर रहे हैं।

लचीला संविधान (Flexible Constitution) उस संविधान को कहा जाता है जिसमें बदलाव या संशोधन (Amendment) करना बहुत आसान होता है। इसमें संशोधन करने के लिए किसी विशेष या कठिन प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है।

लॉर्ड ब्राइस के अनुसार, लचीला संविधान वह है जिसमें संवैधानिक कानून (Constitutional Law) और साधारण कानून (Ordinary Law) के बीच कोई अंतर नहीं होता। दोनों को एक ही तरह से बदला जा सकता है।

मुख्य विशेषताएँ

- **साधारण बहुमत (Simple Majority):** इस संविधान में सरकार संसद के साधारण बहुमत से, ठीक उसी तरह बदलाव कर सकती है जैसे कोई नया आम कानून (जैसे ट्रैफिक नियम या टैक्स नियम) बनाया जाता है।
- **संसद की सर्वोच्चता (Parliamentary Supremacy):** लचीले संविधान वाले देशों में आमतौर पर संसद सबसे शक्तिशाली होती है। संसद जो भी नया कानून बनाती है, वह अपने आप संविधान का हिस्सा बन जाता है।
- **समय के साथ बदलाव:** यह संविधान देश की बदलती परिस्थितियों, क्रांतियों या आपातकाल के अनुसार खुद को तुरंत ढाल लेता है। इसमें जड़ता (Rigidity) नहीं होती।

सबसे बड़ा उदाहरण: ब्रिटेन (United Kingdom) का संविधान दुनिया का सबसे लचीला और अलिखित संविधान माना जाता है। वहाँ की संसद जब चाहे एक सामान्य कानून पास करके संविधान के किसी भी हिस्से को बदल सकती है।

लचीले संविधान के गुण (Advantages)

1. **क्रांति का कम खतरा:** चूँकि जनता की बदलती माँगों के अनुसार संविधान को आसानी से बदला जा सकता है, इसलिए लोगों में असंतोष नहीं पनपता और हिंसक क्रांतियों की नौबत नहीं आती।
2. **प्रगतिशील (Progressive):** यह पुरानी और रूढ़िवादी परंपराओं को छोड़कर नए जमाने के विचारों को जल्दी अपना लेता है।
3. **आपातकाल में सहायक:** देश पर अचानक कोई संकट या युद्ध आने पर सरकार बिना किसी कानूनी पेचीदगी या देरी के तुरंत कड़े फैसले ले सकती है।

लचीले संविधान के दोष (Disadvantages)

1. **अस्थिरता (Instability):** सरकार बदलने पर नई पार्टी अपने फायदे के लिए संविधान को बार-बार बदल सकती है। इससे देश के बुनियादी नियमों में स्थिरता नहीं रहती।
2. **राजनैतिक खिलौना:** बहुमत वाली सरकारें अपनी मनमानी कर सकती हैं और विपक्ष या नागरिकों के अधिकारों को आसानी से कम कर सकती हैं।
3. **संघीय व्यवस्था (Federalism) के लिए बेकार:** भारत या अमेरिका जैसे देशों में जहाँ राज्यों और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है, वहाँ लचीला संविधान काम नहीं कर सकता। केंद्र सरकार जब चाहे राज्यों के अधिकार छीन लेगी।

भारत की स्थिति: भारतीय संविधान न तो पूरी तरह लचीला है (जैसे ब्रिटेन का) और न ही पूरी तरह कठोर है (जैसे अमेरिका का)। यह दोनों का एक **अद्भुत मिश्रण** है। भारत में कुछ हिस्से साधारण बहुमत से बदले जा सकते हैं (लचीला), तो कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों को बदलने के लिए राज्यों की मंजूरी और विशेष बहुमत की जरूरत होती है (कठोर)।

कठोर संविधान (Rigid Constitution) उस संविधान को कहा जाता है जिसमें आसानी से बदलाव या संशोधन (Amendment) नहीं किया जा सकता। इसे बदलने के लिए एक विशेष, जटिल और कठिन कानूनी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है।

लॉर्ड ब्राइस के अनुसार, कठोर संविधान वह होता है जिसमें **संवैधानिक कानून (Constitutional Law)** और **साधारण कानून (Ordinary Law)** के बीच एक स्पष्ट अंतर होता है। सरकार साधारण कानून की तरह संसद में सामान्य बहुमत पास करके संविधान को नहीं बदल सकती।

मुख्य विशेषताएँ

- **विशेष बहुमत (Special Majority):** इस प्रकार के संविधान में संशोधन करने के लिए संसद के दो-तिहाई (2/3) या तीन-चौथाई (3/4) सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है।
- **राज्यों की सहमति:** संघीय देशों (Federal Countries) में संविधान बदलने के लिए केवल केंद्र सरकार का फैसला काफी नहीं होता, बल्कि देश के राज्यों (Provinces) की विधानसभाओं की मंजूरी भी जरूरी होती है।

- **संविधान की सर्वोच्चता (Supremacy of the Constitution):** कठोर संविधान वाले देशों में संसद या राष्ट्रपति सबसे ऊपर नहीं होते, बल्कि संविधान सर्वोच्च होता है। सरकार का कोई भी अंग संविधान के खिलाफ जाकर काम नहीं कर सकता।
- **न्यायपालिका की शक्ति:** यदि संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के खिलाफ हो, तो वहाँ का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) उस कानून को रद्द कर सकता है। इसे 'न्यायिक पुनरावलोकन' (Judicial Review) कहते हैं।

सबसे बड़ा उदाहरण: अमेरिका (USA) का संविधान दुनिया का सबसे कठोर संविधान माना जाता है। पिछले 230 से अधिक वर्षों में वहाँ के संविधान में केवल 27 संशोधन (Amendments) हो पाए हैं।

कठोर संविधान के गुण)Advantages)

1. **स्थिरता और निरंतरता (Stability):** देश के बुनियादी कानून और नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहते हैं। कोई भी सरकार राजनीतिक फायदे के लिए अपनी मर्जी से रोज-रोज संविधान नहीं बदल सकती।
2. **अल्पसंख्यकों की सुरक्षा:** यह बहुसंख्यक सरकार को मनमानी करने से रोकता है, जिससे समाज के कमजोर और अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार सुरक्षित रहते हैं।
3. **संघीय व्यवस्था के लिए जरूरी:** भारत और अमेरिका जैसे देशों में, जहाँ केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियाँ का बंटवारा होता है, कठोर संविधान यह सुनिश्चित करता है कि केंद्र सरकार अकेले राज्यों के अधिकार न छीन सके।

कठोर संविधान के दोष)Disadvantages)

1. **बदलते समय के साथ तालमेल में कमी:** समाज और दुनिया तेजी से बदलती है। कई बार पुराने कानून नए जमाने की जरूरतों (जैसे डिजिटल कानून, नए अधिकार) के आड़े आ जाते हैं, लेकिन कठोर होने के कारण उन्हें समय पर बदलना मुश्किल होता है।
2. **क्रांति का खतरा:** यदि जनता किसी पुराने कानून से बेहद परेशान है और कानूनी तरीके से उसे बदला नहीं जा पा रहा है, तो लोग कानून हाथ में ले सकते हैं, जिससे हिंसक क्रांतियों का खतरा बढ़ जाता है।
3. **न्यायपालिका का अत्यधिक हस्तक्षेप:** कानूनों की व्याख्या करने के चक्कर में कई बार अदालतें सरकार के काम में जरूरत से ज्यादा दखल देने लगती हैं, जिससे विकास कार्य धीमे हो सकते हैं।

लचीले और कठोर संविधान में मुख्य अंतर

अंतर का आधार	लचीला संविधान (ब्रिटेन -जैसे)	कठोर संविधान (अमेरिका -जैसे)
संशोधन प्रक्रिया	बहुत आसान (साधारण बहुमत)	बहुत कठिन राज्यों की + विशेष बहुमत (सहमति)
कानूनों में अंतर	सामान्य और संवैधानिक कानून एक बराबर	संवैधानिक कानून सामान्य कानून से ऊपर
सर्वोच्चता	संसद सर्वोच्च होती है	संविधान सर्वोच्च होता है
स्थिरता	कम स्थिर, बारबार बदल सकता है-	अत्यधिक स्थिर, बुनियादी ढांचा सुरक्षित रहता है

भारतीय संविधान की स्थिति: भारत ने बीच का रास्ता चुना है। हमारा संविधान न तो पूरी तरह लचीला है और न ही पूरी तरह कठोर, बल्कि यह दोनों का एक सुंदर मिश्रण है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 (Article 368) के तहत कुछ बदलाव आसानी से होते हैं, जबकि कुछ के लिए आधे राज्यों की मंजूरी और विशेष बहुमत की जरूरत होती है।

एक **अच्छे संविधान (Good Constitution)** में कुछ ऐसे गुण और विशेषताएँ होनी चाहिए जो देश में शांति, व्यवस्था, न्याय और विकास सुनिश्चित कर सकें। संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि वह राष्ट्र की आकांक्षाओं का दर्पण होता है।

लॉर्ड ब्राइस और अन्य प्रमुख राजनीतिक विद्वानों के अनुसार, एक अच्छे संविधान की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

1. स्पष्टता और निश्चितता (Clarity and Definiteness)

एक अच्छे संविधान की भाषा बिल्कुल स्पष्ट, सरल और निश्चित होनी चाहिए। यदि संविधान की धाराएँ उलझी हुई या अस्पष्ट होंगी, तो सरकार के अंगों (जैसे कार्यपालिका और न्यायपालिका) के बीच टकराव बढ़ेगा और अदालतों में मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी। हर नियम का अर्थ साफ होना चाहिए ताकि कोई शासक अपनी मर्जी से उसकी गलत व्याख्या न कर सके।

2. संक्षिप्तता)Brevity)

संविधान को बहुत अधिक लंबा या विस्तृत नहीं होना चाहिए। उसमें केवल **मौलिक सिद्धांतों, नागरिक अधिकारों और सरकार के बुनियादी ढांचे** का ही उल्लेख होना चाहिए। यदि बहुत छोटे-छोटे प्रशासनिक नियम भी संविधान में डाल दिए जाएंगे, तो वह एक साधारण कानून की किताब बनकर रह जाएगा।

- **अपवाद:** भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लेकिन ऐसा भारत की विशालता और सांस्कृतिक विविधता के कारण आवश्यक था।

3. व्यापकता)Comprehensiveness)

संक्षिप्त होने के साथ-साथ संविधान को अपने आप में पूर्ण या व्यापक होना चाहिए। इसका मतलब है कि देश को चलाने के लिए जो अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हैं (जैसे नागरिकता, चुनाव प्रणाली, न्यायपालिका की शक्तियां आदि), वे संविधान में छूटने नहीं चाहिए।

4. कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण)Mixture of Rigidity and Flexibility)

एक अच्छा संविधान न तो इतना कठोर होना चाहिए कि बदलते समय के साथ उसे बदला ही न जा सके (जिससे क्रांति का खतरा बढ़ता है), और न ही इतना लचीला होना चाहिए कि कोई भी बहुमत वाली सरकार अपने राजनीतिक फायदे के लिए रोज उसे बदल दे।

भारतीय संविधान इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है, जो जरूरत पड़ने पर लचीला भी है और देश के बुनियादी ढांचे को बचाने के लिए कठोर भी।

5. मौलिक अधिकारों का समावेश)Provision of Fundamental Rights)

एक अच्छे संविधान की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह देश के नागरिकों को **मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता** (जैसे समानता, अभिव्यक्ति की आजादी, धार्मिक स्वतंत्रता) की गारंटी देता है। साथ ही, इन अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका को मजबूत बनाता है ताकि सरकार नागरिकों का शोषण न कर सके।

6. स्वतंत्र न्यायपालिका)Independent Judiciary)

संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, यदि उसे लागू कराने वाली अदालतें कमजोर या सरकार के दबाव में होंगी, तो संविधान बेकार हो जाएगा। एक अच्छे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष रखा जाता है ताकि वह संविधान की रक्षा (Guardian of the Constitution) कर सके।

7. जन) सहमति पर आधारित-Based on Popular Consent)

संविधान किसी तानाशाह या विदेशी ताकत द्वारा थोपा हुआ नहीं होना चाहिए। उसे देश की जनता या जनता द्वारा चुनी गई एक वैध 'संविधान सभा' (Constituent Assembly) द्वारा बनाया जाना चाहिए, ताकि देश के लोग दिल से उसका सम्मान करें (जैसे भारत और अमेरिका का संविधान)।

निष्कर्ष)Conclusion)

संक्षेप में कहें तो, एक अच्छा संविधान वह है जो "व्यक्तियों के शासन" के स्थान पर "कानून के शासन" (Rule of Law) को स्थापित करता है।

संविधानवाद के तत्व (Elements of Constitutionalism) वे बुनियादी सिद्धांत, संस्थाएँ और मूल्य हैं जो किसी देश में सीमित और उत्तरदायी शासन (Limited Government) की स्थापना करते हैं। यदि किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था में ये तत्व मौजूद नहीं हैं, तो वहाँ केवल 'संविधान' (कागजी दस्तावेज) होगा, लेकिन 'संविधानवाद' (लोकतांत्रिक भावना) नहीं होगी।

विभिन्न राजनीतिक विद्वानों के अनुसार, संविधानवाद के प्रमुख और अनिवार्य तत्व निम्नलिखित हैं:

1. संविधान की सर्वोच्चता)Supremacy of the Constitution)

यह संविधानवाद का सबसे पहला और बुनियादी तत्व है। इसका अर्थ है कि देश में कोई भी राजा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या संसद संविधान से ऊपर नहीं है। सरकार के सभी अंगों को अपनी शक्ति संविधान से ही मिलती है और उन्हें इसके दायरे में रहकर ही काम करना होता है। इसे "व्यक्तियों के शासन के स्थान पर कानून का शासन" (Rule of Law) भी कहा जाता है।

2. शक्तियों का पृथक्करण और नियंत्रण)Separation of Powers & Checks and Balances)

फ्रांसीसी दार्शनिक **मॉन्टेस्क्यू** ने बताया था कि यदि कानून बनाने, उसे लागू करने और न्याय करने की सारी शक्तियाँ किसी एक ही व्यक्ति या संस्था के हाथ में आ जाएँ, तो तानाशाही का जन्म होता है। इसलिए संविधानवाद के लिए आवश्यक है कि:

- सरकार के तीनों अंग—**विधायिका (Sansaad)**, **कार्यपालिका (Government/IAS)**, और **न्यायपालिका (Courts)** अलग-अलग हों।
- ये तीनों अंग एक-दूसरे की शक्तियों को नियंत्रित और संतुलित (Checks and Balances) करते रहें ताकि कोई भी अपनी सीमा न लांघे।

3. स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका)Independent Judiciary)

संविधान चाहे कितना भी अच्छा लिखा हो, यदि देश की अदालतें सरकार के दबाव में काम करेंगी तो नागरिकों के अधिकार सुरक्षित नहीं रह सकते। संविधानवाद के लिए एक ऐसी न्यायपालिका का होना जरूरी है जो:

- सरकार के अनुचित और असंवैधानिक फैसलों को रद्द करने की शक्ति रखती हो (न्यायिक पुनरावलोकन या Judicial Review)।
- शासक वर्ग और आम नागरिक के बीच बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष न्याय करे।

4. मौलिक अधिकार और नागरिक स्वतंत्रताएँ)Fundamental Rights & Civil Liberties)

संविधानवाद का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को राज्य के अत्याचारों से बचाना है। इसलिए, इसमें नागरिकों को **मौलिक अधिकारों** (जैसे- समानता, अभिव्यक्ति की आजादी, जीवन का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता) की पक्की गारंटी दी जाती है। सरकार के पास भी यह अधिकार नहीं होता कि वह इन बुनियादी स्वतंत्रताओं को अपनी मर्जी से छीन सके।

5. लोकतंत्र और नियमित चुनाव)Democracy & Periodic Elections)

संविधानवाद केवल तानाशाही को रोकने का नाम नहीं है, बल्कि यह जनता की इच्छा का सम्मान भी करता है। इसके लिए देश में:

- जनता की संप्रभुता (Popular Sovereignty) होनी चाहिए, यानी सत्ता का अंतिम स्रोत जनता हो।
- समय-समय पर स्वतंत्र, निष्पक्ष और बहुदलीय चुनाव (Fair Elections) होने चाहिए, ताकि जनता यदि सरकार के कामकाज से खुश न हो, तो उसे शांतिपूर्ण ढंग से बदल सके।

6. शक्तियों का विकेंद्रीकरण)Decentralization of Power)

सारी शक्तियाँ केवल केंद्र सरकार (Capital) में बैठी मुट्ठी भर सरकारों के पास केंद्रित नहीं होनी चाहिए। शक्तियों को राज्यों और स्थानीय निकायों (जैसे पंचायतों और नगरपालिकाओं) के स्तर तक बांटा जाना चाहिए, ताकि आम जनता शासन में सीधे भाग ले सके।

7. राजनीतिक सामाजीकरण और जागरूक नागरिकता)Political Socialization & Vigilant Citizens)

संविधानवाद केवल संस्थाओं के मजबूत होने से नहीं चलता, बल्कि इसके लिए देश के नागरिकों का जागरूक होना भी आवश्यक है। प्रसिद्ध विद्वान जॉन फिलपोट कूरन ने कहा था—"**शाश्वत सतर्कता ही स्वतंत्रता की कीमत है**" (Eternal vigilance is the price of liberty)। जब देश की जनता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती है और सरकार की गलत नीतियों का शांतिपूर्ण विरोध करती है, तभी संविधानवाद असल मायनों में जमीन पर उतरता है।

निष्कर्ष: संक्षेप में, ये सभी तत्व मिलकर एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करते हैं जहाँ **सरकार शक्तिशाली तो होती है, लेकिन निरंकुश (Absolute) नहीं**। ये तत्व सरकार के चारों तरफ एक कानूनी लक्ष्मण-रेखा खींच देते हैं, जिसे लांघने की इजाजत किसी को नहीं होती।

संविधानवाद (Constitutionalism) की प्रमुख विशेषताएँ इसकी प्रकृति, दर्शन और लोकतांत्रिक मूल्यों को स्पष्ट करती हैं। चूँकि संविधानवाद एक गतिशील और मूल्य-प्रधान अवधारणा है, इसकी मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

1. यह एक मूल्य) प्रधान अवधारणा है-Value-Loaded Concept)

संविधानवाद केवल कुछ नियमों या कानूनों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह कुछ गहरे राजनीतिक मूल्यों, आदर्शों और दर्शन पर आधारित होता है। यह **न्याय, स्वतंत्रता, समानता, मानव गरिमा और लोकतंत्र** जैसे उच्च आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता है। बिना इन मूल्यों के संविधानवाद का कोई अस्तित्व नहीं है।

2. यह सीमित शक्तियों वाली सरकार का समर्थन करता है)Limited Government)

संविधानवाद की सबसे केंद्रीय विशेषता यह है कि यह सरकार की शक्तियों को **असीमित या निरंकुश (Absolute) होने से रोकता है**। यह सरकार के अंगों के चारों ओर कानून की एक ऐसी सीमा रेखा खींच देता है, जिसे कोई भी शासक पार नहीं कर सकता। इसका मानना है कि सरकार चाहे कितनी भी लोकप्रिय क्यों न हो, वह कानून से ऊपर नहीं हो सकती।

3. यह 'कानून के शासन' पर आधारित है)Based on Rule of Law)

संविधानवाद में "**व्यक्तियों के शासन**" के स्थान पर "**कानून के शासन**" को सर्वोच्च माना जाता है। इसका अर्थ है कि देश की शासन व्यवस्था किसी राजा, नेता या दल की मनमर्जी या सनक से नहीं, बल्कि स्थापित और तय कानूनों के अनुसार चलेगी। कानून की नजर में देश का सर्वोच्च पदाधिकारी और एक आम नागरिक बिल्कुल बराबर होते हैं।

4. यह गतिशील और परिवर्तनशील है)Dynamic Concept)

संविधानवाद कोई जड़ (Static) या अपरिवर्तनीय सिद्धांत नहीं है। जैसे-जैसे समाज बदलता है, नई चुनौतियाँ आती हैं और नागरिकों की आकांक्षाएँ बढ़ती हैं, वैसे-वैसे संविधानवाद का दायरा भी बढ़ता जाता है। उदाहरण के लिए, आधुनिक समय में **पर्यावरण संरक्षण, सूचना का अधिकार (RTI) और प्राइवेसी का अधिकार (Right to Privacy)** भी संविधानवाद के नए अंग बन चुके हैं।

5. यह साध्य नहीं, साधन है)A Means, Not an End)

संविधानवाद अपने आप में अंतिम लक्ष्य (साध्य) नहीं है, बल्कि यह एक **साधन (Means)** है। इसका मुख्य उद्देश्य एक ऐसे लोक-कल्याणकारी समाज की स्थापना करना है जहाँ नागरिकों की स्वतंत्रता सुरक्षित रहे और वे अपना सर्वांगीण विकास कर सकें। यह सरकार को जनता की सेवा करने का माध्यम बनाए रखता है।

6. यह नागरिक स्वतंत्रताओं का रक्षक है)Protector of Civil Liberties)

इसकी एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह नागरिकों के **मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं** को राज्य के हस्तक्षेप से बचाता है। यह सुनिश्चित करता है कि बहुमत की सरकार भी अल्पसंख्यकों या समाज के कमजोर वर्गों के बुनियादी अधिकारों को कुचल न सके।

7. यह संस्थागत व्यवस्थाओं की मांग करता है)Demands Institutional Framework)

संविधानवाद केवल विचारों में नहीं रह सकता; इसे जमीन पर उतारने के लिए विशेष संस्थाओं की आवश्यकता होती है। इसलिए इसकी विशेषता है कि यह **शक्तियों के पृथक्करण (Separation of Powers)**, **स्वतंत्र न्यायपालिका**, और **निष्पक्ष चुनाव प्रणाली** जैसी संस्थागत व्यवस्थाओं पर जोर देता है।

संक्षेप में: संविधानवाद की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह **राज्य की शक्ति और नागरिक की स्वतंत्रता के बीच एक बेहतरीन संतुलन** बनाता है। यह सरकार को इतनी शक्ति अवश्य देता है कि वह देश में व्यवस्था बनाए रख सके, लेकिन उसे इतना शक्तिशाली होने से रोकता है कि वह नागरिकों की आजादी को ही निगल जाए।

आधुनिक समय में **संविधानवाद (Constitutionalism)** के सामने कई गंभीर चुनौतियाँ और समस्याएँ हैं। संविधानवाद का मूल उद्देश्य "सीमित और उत्तरदायी शासन" (Limited Government) स्थापित करना है, लेकिन व्यावहारिक धरातल पर सरकारें अक्सर अपनी शक्तियों को असीमित करने का प्रयास करती हैं।

दुनिया भर की राजनीतिक व्यवस्थाओं (विशेषकर विकासशील देशों) में संविधानवाद के मार्ग में आने वाली **प्रमुख समस्याएँ और बाधाएँ** निम्नलिखित हैं:

1. कार्यपालिका की शक्तियों में अत्यधिक वृद्धि)Growth of Executive Power)

आधुनिक युग में लोक-कल्याणकारी राज्य (Welfare State) की अवधारणा के कारण सरकारों के काम बहुत बढ़ गए हैं। इसके परिणामस्वरूप शासन के तीनों अंगों में से **कार्यपालिका (Executive - प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और नौकरशाही)** अत्यधिक शक्तिशाली हो गई है।

- संसद (विधायिका) के पास जटिल कानूनों को समझने का समय या विशेषज्ञता नहीं होती, जिससे वह कार्यपालिका पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रख पाती।
- जब कार्यपालिका बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाती है, तो वह न्यायपालिका और संसद को दरकिनार कर मनमर्जी करने लगती है, जो संविधानवाद के लिए सबसे बड़ा खतरा है।

2. लोक) लुभावनवाद और अधिनायकवादी नेता-Populism & Authoritarian Tendencies)

आजकल दुनिया भर में ऐसे लोक-लुभावन (Populist) नेताओं का उभार हुआ है जो भारी जनसमर्थन या बहुमत के साथ सत्ता में आते हैं।

- ये नेता खुद को 'जनता की सीधी आवाज' बताते हैं और अपनी राह में आने वाली संवैधानिक सीमाओं, संस्थाओं (जैसे चुनाव आयोग, मीडिया या कोर्ट) को 'बाधा' मानने लगते हैं।
- बहुमत के अहंकार में आकर स्थापित संवैधानिक नियमों को बदलना या कमजोर करना संविधानवाद की आत्मा को चोट पहुँचाता है।

3. संस्थागत क्षरण)Institutional Decay)

संविधानवाद तभी जिंदा रह सकता है जब देश की जाँच एजेंसियाँ, चुनाव आयोग, सतर्कता विभाग और मीडिया जैसी संस्थाएँ पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर काम करें।

- यदि इन संस्थाओं में राजनैतिक हस्तक्षेप बढ़ जाए या इनके शीर्ष पदों पर बैठे लोग सरकार के दबाव में काम करने लगें, तो सरकार पर से 'नियंत्रण और संतुलन' (Checks and Balances) समाप्त हो जाता है।

4. राष्ट्रीय सुरक्षा और आपातकाल का बहाना)National Security & Crises)

युद्ध, आंतरिक अशांति, आतंकवाद या वैश्विक महामारियों के समय सरकारें अक्सर **आपातकालीन शक्तियों** का प्रयोग करती हैं।

- राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर नागरिकों के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं को लंबे समय के लिए सीमित या निलंबित कर दिया जाता है।
- कई बार सरकारें इस आपातकालीन स्थिति का फायदा उठाकर अपनी शक्तियों को हमेशा के लिए बढ़ा लेती हैं और असंतोष की आवाज को दबा देती हैं।

5. न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खतरा या न्यायिक अतिसक्रियता

यह समस्या दोधारी तलवार जैसी है:

- **न्यायपालिका पर दबाव:** कई बार सरकारें जजों की नियुक्ति या उनके तबादलों को प्रभावित करके न्यायपालिका को अपने वश में करने का प्रयास करती हैं।
- **न्यायिक अतिसक्रियता (Judicial Activism):** दूसरी ओर, जब अदालतें संसद और कार्यपालिका के कामों में जरूरत से ज्यादा दखल देने लगती हैं, तो शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत गड़बड़ा जाता है, जिससे संस्थाओं के बीच टकराव पैदा होता है।

6. राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार)Political Instability & Corruption)

कई विकासशील देशों में राजनीतिक दल और नेता केवल सत्ता हथियाने में लगे रहते हैं।

- भ्रष्टाचार के कारण कानून का शासन (Rule of Law) कमजोर हो जाता है—अमीर और शक्तिशाली लोग बच निकलते हैं जबकि आम नागरिक पिसता है।
- जहाँ बार-बार सरकारें बदलती हैं या तख्तापलट (Coup) होते हैं, वहाँ संविधान केवल एक कागजी किताब बनकर रह जाता है।

7. राजनीतिक सामाजीकरण और नागरिक जागरूकता की कमी

संविधानवाद के लिए नागरिकों का जागरूक होना अनिवार्य है। यदि किसी देश की जनता राजनीतिक रूप से उदासीन है, शिक्षा की कमी है, या लोग विकास और अधिकारों के बजाय केवल जाति, धर्म और क्षेत्र के नाम पर वोट देते हैं, तो वे सरकार की तानाशाही प्रवृत्तियों पर सवाल नहीं उठा पाते।

निष्कर्ष)Conclusion)

संविधानवाद के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि "संविधान को चलाना उन राजनेताओं के हाथ में होता है, जिनकी शक्तियों को सीमित करने के लिए ही संविधान बनाया गया है।" इसलिए, संविधानवाद की रक्षा केवल कागजों पर लिखे नियमों से नहीं, बल्कि एक सजग न्यायपालिका, निष्पक्ष मीडिया और अपने अधिकारों के प्रति हमेशा जागरूक रहने वाली जनता (Vigilant Public) से ही हो सकती है।

संविधानवाद (Constitutionalism) की समस्याओं और चुनौतियों को दूर करने के लिए केवल कानून बना देना काफी नहीं है, बल्कि संस्थागत, सामाजिक और व्यावहारिक स्तर पर व्यापक सुधारों की आवश्यकता होती है।

सीमित और उत्तरदायी शासन (Limited Government) को वास्तविक रूप से जमीन पर उतारने और संविधानवाद की रक्षा करने के मुख्य उपाय निम्नलिखित हैं:

1. न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना

न्यायपालिका संविधानवाद की सबसे बड़ी रक्षक है। इसे मजबूत करने के लिए:

- जजों की नियुक्ति, ट्रांसफर और सेवा शर्तों में राजनीतिक या कार्यपालिका का दखल पूरी तरह समाप्त होना चाहिए।
- अदालती प्रक्रियाओं को तेज और पारदर्शी बनाया जाना चाहिए ताकि **"कानून का शासन" (Rule of Law)** मजबूत हो और जनता का अदालतों पर भरोसा बना रहे।

2. संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता)Autonomy of Institutions)

चुनाव आयोग, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI), सतर्कता आयोग (CVC) और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) जैसी संस्थाओं को सरकार के नियंत्रण से मुक्त किया जाना चाहिए।

- इन संस्थाओं के प्रमुखों की नियुक्ति के लिए निष्पक्ष समितियों (जिसमें विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश शामिल हों) का उपयोग होना चाहिए ताकि ये संस्थाएँ बिना किसी डर या पक्षपात के सरकार की जवाबदेही तय कर सकें।

3. शक्तियों के पृथक्करण)Separation of Powers) का कड़ाई से पालन

कार्यपालिका (सरकार) को अपनी सीमाओं में रखने के लिए संसद (विधायिका) की स्थिति को मजबूत करना होगा।

- संसद में कानूनों पर जल्दबाजी में मुहर लगाने के बजाय उन पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए।
- संसदीय समितियों (Parliamentary Committees) को अधिक अधिकार दिए जाने चाहिए ताकि वे सरकार के हर फैसले और खर्च की बारीकी से जांच कर सकें।

4. नागरिक जागरूकता और राजनीतिक सामाजीकरण)Civil Vigilance)

प्रसिद्ध कथन है कि **"शाश्वत सतर्कता ही स्वतंत्रता की कीमत है।"**

- शिक्षा प्रणाली में नागरिक अधिकारों, कर्तव्यों और संवैधानिक मूल्यों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए।
- जब नागरिक जाति, धर्म या लोक-लुभावन वादों (Freebies) से ऊपर उठकर नीतियों, विकास और अधिकारों के आधार पर सवाल पूछेंगे, तो कोई भी सरकार तानाशाह बनने की हिम्मत नहीं करेगी।

5. सूचना का अधिकार (RTI) और पारदर्शिता को बढ़ावा देना

भ्रष्टाचार और गुप्त फैसले संविधानवाद को खोखला करते हैं।

- सरकार के कामकाज में अत्यधिक पारदर्शिता होनी चाहिए।
- डिजिटल तकनीक और आरटीआई (RTI) जैसे उपकरणों को और अधिक मजबूत किया जाना चाहिए ताकि जनता को पता रहे कि सरकार क्या फैसले ले रही है और टैक्स का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है।

6. स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया (Fourth Pillar of Democracy)

मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। संविधानवाद की रक्षा के लिए मीडिया का स्वतंत्र होना अनिवार्य है।

- मीडिया को कॉर्पोरेट और राजनैतिक दबाव से मुक्त होना चाहिए ताकि वह सरकार की कमियों को बिना किसी डर के सामने ला सके और जनता की आवाज बन सके।

7. शक्तियों का विकेंद्रीकरण (Decentralization of Power)

सत्ता का केंद्र किसी एक व्यक्ति या केवल राजधानी (केंद्र सरकार) तक सीमित नहीं होना चाहिए।

- स्थानीय निकायों (पंचायतों और नगरपालिकाओं) तथा राज्य सरकारों को अधिक आर्थिक और प्रशासनिक अधिकार दिए जाने चाहिए। शक्तियों का बंटवारा जितना जमीनी स्तर पर होगा, तानाशाही की संभावना उतनी ही कम होगी।

निष्कर्ष)Conclusion)

संविधानवाद की रक्षा का कोई शॉर्टकट नहीं है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसका सबसे प्रभावी उपाय यही है कि देश का संविधान केवल नेताओं के हाथ का खिलौना न रहे, बल्कि वह आम नागरिकों की जीवनशैली और संस्कृति का हिस्सा बन जाए। जब जनता अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति सजग और कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान होगी, तो संविधानवाद स्वतः सुरक्षित रहेगा।

संविधानवाद की धारणाएँ (Conceptions / Models of Constitutionalism) से तात्पर्य उन विभिन्न दृष्टिकोणों और विचारधाराओं से है जिनके आधार पर दुनिया के अलग-अलग देशों ने सीमित शासन (Limited Government) और संविधानवाद के सिद्धांत को अपनाया है।

चूँकि दुनिया भर में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं हैं, इसलिए संविधानवाद को देखने का नजरिया भी अलग-अलग रहा है। मुख्य रूप से संविधानवाद की चार प्रमुख धारणाएँ मानी जाती हैं:

1. पाश्चात्य या उदारवादी धारणा)Western / Liberal Conception)

यह संविधानवाद की सबसे पुरानी, पारंपरिक और सबसे लोकप्रिय धारणा है। इसका विकास मुख्य रूप से अमेरिका, ब्रिटेन और पश्चिमी यूरोप के देशों में हुआ।

- **मूल सिद्धांत:** यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लोकतंत्र और पूंजीवाद (Capitalism) पर आधारित है।
- **मुख्य बातें:**
 - सरकार की शक्तियों को सीमित रखना ताकि नागरिक स्वतंत्रता बनी रहे।
 - शक्तियों का पृथक्करण (Separation of Powers) और न्यायपालिका की सर्वोच्च स्वतंत्रता।
 - बहुदलीय व्यवस्था (Multiple Political Parties) और नियमित, निष्पक्ष चुनाव।
 - राजनीतिक सत्ता का आधार जनता की सहमति (Popular Consent) होती है।

2. साम्यवादी या मार्क्सवादी धारणा)Communist / Marxist Conception)

यह धारणा सोवियत संघ (पूर्व USSR), चीन, उत्तर कोरिया और क्यूबा जैसे देशों में दिखाई देती है। यह पाश्चात्य धारणा को "बुर्जुआ" (अमीरों का शासन) कहकर उसकी आलोचना करती है।

- **मूल सिद्धांत:** इसके अनुसार असली स्वतंत्रता तब तक नहीं आ सकती जब तक समाज से आर्थिक असमानता (अमीर-गरीब की खाई) खत्म न हो जाए।
- **मुख्य बातें:**
 - यहाँ संविधान का उद्देश्य व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करना नहीं, बल्कि समाजवादी व्यवस्था और आर्थिक समानता को मजबूत करना है।
 - इस धारणा में **एकदलीय व्यवस्था (Single Party System)** होती है—अर्थात् केवल कम्युनिस्ट पार्टी का शासन होता है।
 - शक्तियों के पृथक्करण के बजाय यहाँ सारी शक्तियाँ पार्टी और राज्य के पास केंद्रित होती हैं। इसे 'सर्वहारा वर्ग की तानाशाही' (Dictatorship of the Proletariat) के रूप में देखा जाता है।

3. विकासशील देशों की धारणा)Conception of Developing / Third World Countries)

यह धारणा भारत, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के उन देशों में पाई जाती है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद औपनिवेशिक गुलामी (Colonialism) से आजाद हुए थे।

- **मूल सिद्धांत:** इन देशों के सामने केवल लोकतंत्र बचाना चुनौती नहीं थी, बल्कि गरीबी, अशिक्षा, जातिवाद और सांप्रदायिकता से लड़कर देश का विकास करना भी था।
- **मुख्य बातें:**
 - यहाँ संविधानवाद "**लोक-कल्याणकारी राज्य**" (Welfare State) की धारणा पर आधारित है।
 - सरकार को केवल 'सीमित' नहीं रखा जाता, बल्कि उसे समाज सुधार, आरक्षण और आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए काफी शक्तियाँ दी जाती हैं (जैसे भारत के नीति निर्देशक तत्व)।
 - यहाँ अक्सर पारंपरिक समाज (पुरानी सोच) और आधुनिक संवैधानिक संस्थाओं के बीच टकराव देखने को मिलता है, जिसके कारण कभी-कभी राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती है।

4. इस्लामी या धार्मिक धारणा)Islamic / Religious Conception)

यह धारणा ईरान, सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे देशों में देखी जा सकती है जहाँ राज्य का अपना एक आधिकारिक धर्म होता है।

- **मूल सिद्धांत:** इस धारणा के अनुसार, सर्वोच्च संप्रभुता (Sovereignty) जनता या संविधान के पास नहीं, बल्कि ईश्वर (अल्लाह) के पास होती है।
- **मुख्य बातें:**
 - संविधान और सरकार के सभी कानून धार्मिक ग्रंथों (जैसे शरीयत या इस्लामिक कानूनों) के अधीन होते हैं।
 - कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जो धार्मिक नियमों के खिलाफ हो।
 - यहाँ न्यायपालिका और धार्मिक संस्थाओं का गहरा जुड़ाव होता है।

निष्कर्ष)Conclusion)

संक्षेप में, जहाँ **पश्चिमी धारणा** राजनीतिक स्वतंत्रता और संस्थाओं की सीमाओं पर जोर देती है, वहीं **साम्यवादी धारणा** आर्थिक समानता को प्रधानता देती है। दूसरी ओर, **विकासशील देशों की धारणा** (जैसे भारत) इन दोनों के बीच संतुलन बनाकर सामाजिक-आर्थिक न्याय और लोकतंत्र को एक साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करती है।

विकासशील देशों में संविधानवाद की धारणा (Conception of Constitutionalism in Developing / Third World Countries) उन देशों की राजनीतिक व्यवस्था को दर्शाती है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में औपनिवेशिक गुलामी (गुलामी के दौर) से आजाद हुए थे। भारत, पाकिस्तान, नाइजीरिया, केन्या और ब्राजील जैसे देश इसी श्रेणी में आते हैं।

इन देशों ने कागज़ पर तो पश्चिमी देशों की तरह उदारवादी लोकतंत्र और सुंदर संविधानों को अपनाया, लेकिन व्यावहारिक रूप से यहाँ संविधानवाद का रूप बिल्कुल अलग और चुनौतीपूर्ण रहा है।

इस धारणा की मुख्य विशेषताएँ और बारीकियाँ निम्नलिखित हैं:

1. लोक) कल्याणकारी राज्य पर जोर-Emphasis on Welfare State)

पश्चिमी देशों में संविधानवाद का मुख्य उद्देश्य सरकार की शक्तियों को "सीमित" करना था ताकि वह नागरिकों के काम में दखल न दे। लेकिन विकासशील देशों में स्थिति उल्टी थी।

- यहाँ आजादी के समय अत्यधिक गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा और सामाजिक असमानता थी।
- इसलिए, यहाँ सरकार को 'कमजोर या सीमित' करने के बजाय उसे **समाज सुधार और आर्थिक विकास करने के लिए अत्यधिक शक्तियाँ दी गईं।**

- भारतीय संविधान में शामिल 'राज्य के नीति निर्देशक तत्व' (Directive Principles) इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं, जो सरकार को जनकल्याण के काम करने का आदेश देते हैं।

2. सामाजिकआर्थिक न्याय को प-्राथमिकता

इन देशों की धारणा यह मानती है कि एक गरीब, भूखे और अशिक्षित व्यक्ति के लिए "अभिव्यक्ति की आजादी" या "वोट देने के अधिकार" का तब तक कोई मूल्य नहीं है, जब तक उसे पेट भर भोजन और सामाजिक सुरक्षा न मिले। इसलिए यहाँ राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ-साथ **सामाजिक और आर्थिक न्याय (Social and Economic Justice)** को संविधानवाद का मूल तत्व माना गया।

3. आधुनिक संस्थाएँ बनाम पारंपरिक समाज)Tradition vs. Modernity)

विकासशील देशों में सबसे बड़ा टकराव यह है कि यहाँ का संविधान तो बेहद आधुनिक और प्रगतिशील है, लेकिन समाज अभी भी पारंपरिक और रूढ़िवादी है।

- समाज में आज भी जातिवाद, संप्रदायवाद, कबीलाई सोच और क्षेत्रवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं।
- चुनाव अक्सर विकास के मुद्दों पर नहीं, बल्कि जाति और धर्म के आधार पर जीते जाते हैं। इस कारण संवैधानिक मूल्य (जैसे समानता और भाईचारा) व्यावहारिक रूप से पूरी तरह लागू नहीं हो पाते।

4. कार्यपालिका और करिश्माई नेताओं का वर्चस्व

इन देशों में अक्सर संस्थाएँ (जैसे संसद या अदालतें) उतनी मजबूत नहीं हो पाईं। इसके विपरीत, जनता किसी एक **करिश्माई नेता (Charismatic Leader)** पर आँख मूँदकर भरोसा करने लगती है (जैसे भारत में नेहरू या इंदिरा गांधी का दौर, या अफ्रीका में घाना के क्वामे न्क्रूमा)।

- ऐसे में कार्यपालिका बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाती है।
- जब एक नेता बहुत बड़ा हो जाता है, तो वह संसद और न्यायपालिका को दबाने की कोशिश करता है, जिससे 'सीमित शासन' (संविधानवाद) का सिद्धांत खतरे में पड़ जाता है।

5. राजनीतिक अस्थिरता और सैनिक हस्तक्षेप)Military Coup)

कई विकासशील देशों (विशेषकर अफ्रीका और एशिया में पाकिस्तान, म्यांमार आदि) में लोकतांत्रिक संस्थाएँ इतनी कमजोर साबित हुईं कि वे देश की समस्याओं को संभाल नहीं सकीं।

- इसके परिणामस्वरूप, जनता का लोकतंत्र से भरोसा उठ गया और सेना ने तख्तापलट (Military Coup) करके सत्ता पर कब्जा कर लिया।
- इन देशों में संविधान केवल एक कागजी किताब बनकर रह गया, जिसे तानाशाहों ने अपनी मर्जी से बदला या सस्पेंड कर दिया।

पाश्चात्य)Western) और विकासशील देशों की धारणा में अंतर

अंतर का आधार	पाश्चात्य धारणा)Western Model)	विकासशील देशों की धारणा)Third World Model)
मुख्य लक्ष्य	व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना।	राष्ट्रीय एकता, अखंडता और आर्थिक विकास।
सरकार की भूमिका	नकारात्मक सरकार को नागरिकों के जीवनमें कम दखल देना चाहिए।(	सकारात्मक सरकार को समाज सुधार और)।(गरीबी मिटाने के लिए सक्रिय होना चाहिए
चुनौती	संस्थाओं को सुचारु रूप से चलाना।	राष्ट्र) निर्माण-Nation-Building) और बुनियादी स्थिरता बनाए रखना।

निष्कर्ष)Conclusion)

विकासशील देशों में संविधानवाद आज भी एक "परिवर्तनशील और संघर्षपूर्ण अवस्था" (Dynamic and Transitional Phase) में है। भारत जैसे कुछ अपवादों को छोड़ दें (जहाँ कुछ समय के आपातकाल को छोड़कर लोकतंत्र और संविधानवाद हमेशा सुरक्षित रहा), तो अधिकांश तीसरे विश्व के देशों में संविधानवाद लगातार तानाशाही, भ्रष्टाचार और संस्थागत कमजोरी से जूझ रहा है। यहाँ संविधानवाद की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सरकारें जनता को आर्थिक रूप से कितना मजबूत और जागरूक बना पाती हैं।

UNIT-4TH

विभिन्न राजनीतिक विद्वानों और विचारकों ने **कार्यपालिका (Executive)** को शासन के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में अलग-अलग दृष्टिकोण से परिभाषित किया है।

प्रमुख परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं:

- **गार्नर (Garner) के अनुसार:**

"व्यापक अर्थ में, कार्यपालिका के अंतर्गत वे सभी अधिकारी, राज्य कर्मचारी और एजेंसियां आ जाती हैं जिनका कार्य राज्य की इच्छा को, जिसे विधायिका ने कानून के रूप में व्यक्त किया है, कार्यरूप में परिणत (लागू) करना होता है।"

- **गिलक्राइस्ट (Gilchrist) के अनुसार:**

"कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून के रूप में व्यक्त की गई जनता की इच्छा को लागू करता है।"

- **फिफ्नर (Pfiffner) के अनुसार:**

"कार्यपालिका का मुख्य कार्य मुख्य कार्यकारी (जैसे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री) द्वारा निर्धारित नीतियों और दिशा-निर्देशों के अनुसार सरकारी कार्यों का संचालन और प्रबंधन करना है।"

- **एच. जे. लास्की (H. J. Laski) के अनुसार:**

"कार्यपालिका का कार्य कानून के सामान्य नियमों को विशिष्ट परिस्थितियों (Specific Situations) में लागू करना है।"

- **मैरियट (Marriott) के अनुसार:**

"कार्यपालिका सरकार का वह धुरा (Pivot) है जिसके चारों ओर राज्य का वास्तविक प्रशासन घूमता है।"

परिभाषाओं का निचोड़)Summary of Definitions)

इन सभी परिभाषाओं को मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि कार्यपालिका सरकार का वह अनिवार्य और गतिशील (Active) अंग है जो:

1. संसद (विधायिका) द्वारा बनाए गए कानूनों को देश में लागू करता है।
2. देश के दैनिक प्रशासन (Day-to-day Administration) को संभालता है।

3. राज्य की नीतियों को व्यावहारिक रूप देकर जनता तक पहुँचाता है।

सरकार के तीन अंगों (विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका) में से **कार्यपालिका (Executive)** वह अंग है, जो विधायिका (संसद) द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों को देश में व्यावहारिक रूप से लागू करती है। सरल शब्दों में, देश का शासन चलाने और व्यवस्था बनाए रखने की सीधी जिम्मेदारी कार्यपालिका की ही होती है।

कार्यपालिका की भूमिका / कार्य (Role and Functions of Executive)

आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में कार्यपालिका की भूमिका सिर्फ कानूनों को लागू करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके कार्य अत्यधिक व्यापक हो गए हैं:

- **1. कानूनों और नीतियों को लागू करना:** कार्यपालिका का सबसे प्राथमिक कार्य संसद द्वारा पारित कानूनों को पूरे देश में लागू करना और प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है।
- **2. आंतरिक शांति और सुरक्षा बनाए रखना:** देश के भीतर कानून-व्यवस्था बनाए रखना, अपराधियों को दंडित करना और पुलिस प्रशासन का संचालन करना कार्यपालिका का ही काम है।
- **3. रक्षा और विदेशी मामले:** देश की सीमाओं की रक्षा करना, सेना का संचालन करना और दूसरे देशों के साथ संधि, समझौते या कूटनीतिक संबंध (Foreign Policy) बनाना कार्यपालिका की मुख्य भूमिका है।
- **4. विधायी कार्य (Legislative Functions):** भले ही कानून संसद बनाती है, लेकिन संसद का सत्र बुलाना, उसे स्थगित करना और संसद द्वारा पास किए गए बिलों पर हस्ताक्षर करना (जैसे राष्ट्रपति करते हैं) कार्यपालिका का काम है। आपातकाल में कार्यपालिका **अध्यादेश (Ordinance)** जारी करके सीधे कानून भी बना सकती है।
- **5. वित्तीय कार्य (Financial Functions):** देश का वार्षिक बजट तैयार करना, उसे संसद में पेश करवाना और टैक्स वसूलने व खर्च करने की व्यवस्था को देखना कार्यपालिका की देखरेख में होता है।

कार्यपालिका के प्रकार (Types of Executive)

राजनीतिक व्यवस्था, चयन की प्रक्रिया और शक्तियों के विभाजन के आधार पर कार्यपालिका को कई प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

1. वास्तविक बनाम नाममात्र की कार्यपालिका (Real vs. Nominal Executive)

यह अंतर मुख्य रूप से संसदीय व्यवस्था (जैसे भारत और ब्रिटेन) में देखने को मिलता है:

- **नाममात्र की कार्यपालिका:** इनके पास कागज़ पर तो सारी शक्तियाँ होती हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से वे केवल एक प्रतीक होते हैं। जैसे—**भारत के राष्ट्रपति** या **ब्रिटेन के राजा/रानी**।
- **वास्तविक कार्यपालिका:** यह वह अंग है जो वास्तव में शक्तियों का प्रयोग करता है और शासन चलाता है। जैसे—**भारत के प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद**।

2. एकल बनाम बहुल कार्यपालिका (Single vs. Plural Executive)

- **एकल कार्यपालिका:** जहाँ शासन की अंतिम निर्णय लेने की शक्ति केवल एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होती है। जैसे—**अमेरिका के राष्ट्रपति**। भले ही उनके पास सलाहकार होते हैं, लेकिन अंतिम फैसला उन्हीं का होता है।
- **बहुल कार्यपालिका:** जहाँ कार्यपालिका की शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति के पास न होकर कुछ व्यक्तियों की एक परिषद या समिति के पास होती हैं और सभी के अधिकार बराबर होते हैं। इसका सबसे अनूठा उदाहरण **स्विट्ज़रलैंड की संघीय परिषद (Federal Council)** है, जिसमें 7 सदस्य होते हैं और सभी समान रूप से शक्तिशाली होते हैं।

3. संसदीय, अध्यक्षात्मक और अर्धअध्यक्ष-ात्मक कार्यपालिका

- **संसदीय कार्यपालिका (Parliamentary):** इसमें कार्यपालिका (प्रधानमंत्री और मंत्री) संसद का हिस्सा होते हैं और अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं। (जैसे—भारत, ब्रिटेन, जर्मनी)।
- **अध्यक्षात्मक कार्यपालिका (Presidential):** इसमें राष्ट्रपति देश और सरकार दोनों का प्रमुख होता है। वह संसद (विधायिका) का सदस्य नहीं होता और न ही उसके प्रति जवाबदेह होता है। शक्तियों का कड़ा पृथक्करण होता है। (जैसे—अमेरिका, ब्राजील)।
- **अर्ध-अध्यक्षात्मक कार्यपालिका (Semi-Presidential):** इसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं, लेकिन संसदीय व्यवस्था के विपरीत राष्ट्रपति के पास बहुत अधिक वास्तविक शक्तियाँ होती हैं। (जैसे—फ्रांस, श्रीलंका, रूस)।

4. वंशानुगत बनाम निर्वाचित कार्यपालिका)Hereditary vs. Elected)

- **वंशानुगत कार्यपालिका:** जहाँ राज्य का प्रमुख राजा या रानी होता है और यह पद पीढ़ी-दर-पीढ़ी परिवार में ही चलता है। (जैसे—ब्रिटेन, जापान)।
- **निर्वाचित कार्यपालिका (गणराज्य):** जहाँ कार्यपालिका का प्रमुख जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। (जैसे—भारत के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति)।

5. राजनैतिक बनाम स्थायी कार्यपालिका)Political vs. Permanent Executive)

किसी भी लोकतांत्रिक देश के प्रशासन के भीतर यह दोधारी ढांचा काम करता है:

- **राजनैतिक कार्यपालिका:** इसमें देश के राजनेता (प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री) आते हैं। ये जनता द्वारा एक निश्चित समय (जैसे 5 वर्ष) के लिए चुने जाते हैं और सरकार बदलने पर बदल जाते हैं। ये नीतियां बनाते हैं।
- **स्थायी कार्यपालिका (नौकरशाही/Bureaucracy):** इसमें प्रशासनिक अधिकारी (जैसे IAS, IPS और अन्य सरकारी कर्मचारी) आते हैं। ये अपनी योग्यता और परीक्षा पास करके आते हैं और एक निश्चित सेवानिवृत्ति आयु (जैसे 60 वर्ष) तक पद पर बने रहते हैं। सरकार बदलने पर ये नहीं बदलते और राजनैतिक कार्यपालिका द्वारा बनाई गई नीतियों को जमीन पर लागू करते हैं।

निष्कर्ष: आधुनिक लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्यों में कार्यपालिका का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। नीतियों के निर्माण से लेकर उन्हें देश के आखिरी व्यक्ति तक पहुँचाने तक, कार्यपालिका ही शासन की असली धुरी है। हालांकि, इसकी बढ़ती शक्तियों पर न्यायपालिका और संसद का नियंत्रण होना 'संविधानवाद' के लिए बेहद जरूरी है।

विधायिका (Legislature) सरकार का वह अंग (Branch) होता है, जिसका मुख्य काम **कानून बनाना, उनमें बदलाव करना या पुराने कानूनों को हटाना** है।

विकिपीडिया

लोकतंत्र (Democracy) को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार को तीन मुख्य स्तंभों में बांटा गया है, जिसमें से विधायिका सबसे पहला और बेहद महत्वपूर्ण अंग है:

1. **विधायिका (Legislature):** कानून बनाना।

विकिपीडिया

2. **कार्यपालिका (Executive):** विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को देश में लागू करना (जैसे- प्रधानमंत्री, मंत्री, आईएएस अधिकारी आदि)।

Testbook

3. **न्यायपालिका (Judiciary):** कानूनों की व्याख्या करना और उनका उल्लंघन करने वालों को दंड देना (जैसे- कोर्ट/न्यायालय)।

भारत में विधायिका का ढांचा

भारत में विधायिका दो स्तरों पर काम करती है:

स्तर	नाम	इसके सदन	सदस्यों को क्या कहते हैं?
केंद्र स्तर (National Level)	संसद)Parliament)	लोकसभा और (निचला सदन) (उच्च सदन) राज्यसभा	सांसद)MP - Member of Parliament)
राज्य स्तर (State Level)	विधानमंडल)State Legislature)	विधानसभा और (सभी राज्यों में) (केवल कुछ राज्यों में) विधान परिषद	विधायक)MLA / MLC)

विधायिका के मुख्य कार्य

- **कानून निर्माण:** देश या राज्य की जरूरतों के हिसाब से नए बिल (विधेयक) पेश करना और उन्हें पास करके कानून बनाना।

Testbook

- **बजट पर नियंत्रण:** देश के पैसे (टैक्स) का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, इसके लिए बजट को पास करना और सरकार के खर्चों पर नज़र रखना।
- **बहस और विचार-विमर्श:** जनता की समस्याओं, नीतियों और राष्ट्रीय मुद्दों पर खुलकर चर्चा करना।

- **कार्यपालिका पर अंकुश:** मंत्रियों और सरकार से सवाल पूछकर उन्हें जनता के प्रति जवाबदेह (Accountable) बनाना।

द्विसदनीय विधानमंडल (Bicameral Legislature) का मतलब होता है जहाँ कानून बनाने के लिए दो सदन (Houses) होते हैं। भारत के केंद्र स्तर पर संसद (लोकसभा और राज्यसभा) द्विसदनीय है, और भारत के कुछ राज्यों (जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना) में भी दो सदन हैं—**विधानसभा (Legislative Assembly)** और **विधान परिषद (Legislative Council)**।

एक द्विसदनीय विधानमंडल मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य करता है:

1. कानून बनाना)Legislative Functions)

यह विधानमंडल का सबसे मुख्य काम है। राज्य सूची (State List) और समवर्ती सूची (Concurrent List) के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार इसे होता है।

- कोई भी साधारण विधेयक (Ordinary Bill) तब तक कानून नहीं बन सकता, जब तक वह दोनों सदनों (विधानसभा और विधान परिषद) द्वारा पास न कर दिया जाए।
- हालांकि, कानून बनाने के मामले में विधानसभा (निचला सदन) हमेशा विधान परिषद (उच्च सदन) से ज़्यादा शक्तिशाली होती है।

2. वित्तीय कार्य)Financial Functions)

राज्य के पैसे और बजट पर विधानमंडल का पूरा नियंत्रण होता है।

- हर साल राज्य का **बजट** विधानमंडल के सामने पेश और पास किया जाता है।
- **धन विधेयक (Money Bill):** पैसे से जुड़ा कोई भी बिल केवल विधानसभा में ही पहले पेश किया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं। विधान परिषद इसे सिर्फ 14 दिनों के लिए रोक सकती है, लेकिन इसे खारिज नहीं कर सकती।

3. कार्यपालिका पर नियंत्रण)Control over Executive)

विधानमंडल मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद (Cabinet) को जवाबदेह बनाए रखता है।

- दोनों सदनों के सदस्य मंत्रियों से सवाल (Questions) और पूरक सवाल (Supplementary Questions) पूछ सकते हैं।
- सरकार की नीतियों पर बहस और आलोचना की जा सकती है।
- **विशेष शक्ति:** सरकार को गिराने का अधिकार (अविश्वास प्रस्ताव या No-Confidence Motion) केवल विधानसभा के पास होता है, विधान परिषद के पास नहीं।

4. विचार) विमर्श और बहस-Deliberative Functions)

यह सदन राज्य की जनता की समस्याओं, विकास कार्यों, और सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा करने का सबसे बड़ा मंच है। द्विसदनीय होने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि पहले सदन (विधानसभा) द्वारा जल्दबाजी या भावना में आकर लिए गए किसी भी फैसले पर दूसरा सदन (विधान परिषद) ठंडे दिमाग से पुनर्विचार करता है।

5. निर्वाचन संबंधी कार्य)Elective Functions)

विधानमंडल के सदस्य कुछ महत्वपूर्ण चुनावों में हिस्सा लेते हैं:

- **विधानसभा के निर्वाचित सदस्य (MLAs)** देश के राष्ट्रपति और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में वोट डालते हैं।
- दोनों सदन अपने-अपने अध्यक्ष (Speaker/Chairman) और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं।

संक्षेप में कहें तो: द्विसदनीय विधानमंडल का मुख्य कार्य कानून को अधिक विचार-विमर्श के बाद लोकतांत्रिक तरीके से बनाना है, ताकि जल्दबाजी में कोई गलत कानून पास न हो जाए।

द्विसदनीय विधानमंडल (Bicameral State Legislature) यानी राज्य में **विधानसभा** के साथ-साथ **विधान परिषद** का होना, भारतीय राजनीति में हमेशा से बहस का विषय रहा है। संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत राज्यों को इसे रखने या हटाने का अधिकार है।

इस व्यवस्था के पक्ष (फायदे) और विपक्ष (नुकसान) में मुख्य तर्क निम्नलिखित हैं:

1. पक्ष में तर्क)Arguments in Favor)

- **जल्दबाजी के फैसलों पर रोक:** विधानसभा (पहला सदन) कई बार राजनीतिक दबाव या चुनावी फायदों के चक्कर में जल्दबाजी में कानून पास कर देती है। विधान परिषद (दूसरा

सदन) उस कानून पर ठंडे दिमाग से पुनर्विचार करता है और कमियों को सुधारने का मौका देता है।

- **विशेषज्ञों और बुद्धिजीवियों का प्रतिनिधित्व:** चुनाव जीतना हर किसी के बस की बात नहीं होती। विधान परिषद में कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता आंदोलन से जुड़े विशेषज्ञों को सीधे (मनोनयन या अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा) एंट्री मिलती है, जिससे कानून निर्माण में उनकी विशेषज्ञता का लाभ मिलता है।
- **निचले सदन के कार्यभार में कमी:** राज्य के कई साधारण विधेयकों को पहले विधान परिषद में पेश करके वहां बहस कराई जा सकती है, जिससे विधानसभा का कीमती समय बचता है।
- **निरंकुशता पर लगाम:** यदि सत्ताधारी दल को विधानसभा में भारी बहुमत प्राप्त है, तो वह मनमर्जी कर सकता है। दूसरा सदन सरकार की इस निरंकुशता पर कुछ हद तक अंकुश लगाने का काम करता है।

2. विपक्ष में तर्क (Arguments Against)

- **जनता के पैसे की बर्बादी (खर्चीली व्यवस्था):** विधान परिषद को बनाए रखने के लिए करोड़ों रुपये का अतिरिक्त खर्च आता है। सदस्यों (MLCs) के वेतन, भत्ते, पेंशन और नए सचिवालय के रखरखाव का बोझ अंततः जनता के टैक्स पर पड़ता है।
- **अनावश्यक देरी:** विधान परिषद के पास कानून को पूरी तरह रोकने की शक्ति तो नहीं होती, लेकिन वह साधारण विधेयकों को अधिकतम 4 महीने तक लटका सकती है। इससे महत्वपूर्ण और आपातकालीन कानूनों को लागू करने में देरी होती है।
- **हारे हुए नेताओं का 'बैकडोर' एंट्री:** आलोचकों का मानना है कि विधान परिषद का इस्तेमाल मुख्य रूप से उन राजनेताओं को एडजस्ट करने के लिए किया जाता है जो सीधे जनता का चुनाव (विधानसभा चुनाव) हार जाते हैं।
- **कमजोर सदन (शक्तिहीन):** विधानसभा की तुलना में विधान परिषद बेहद कमजोर होती है। धन विधेयक (Money Bill) के मामले में इसके पास कोई शक्ति नहीं है, और साधारण विधेयक को भी यह सिर्फ कुछ समय के लिए टाल सकती है, रद्द नहीं कर सकती। इसलिए इसे कई बार "सजावटी सदन" या "रबर स्टैंप" कहा जाता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

द्विसदनीय व्यवस्था उन बड़े राज्यों (जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार) के लिए तो ठीक मानी जा सकती है जहाँ जनसंख्या अधिक है और विविधता बड़ी है, ताकि हर वर्ग को प्रतिनिधित्व

मिले। लेकिन छोटे राज्यों के लिए यह अक्सर वित्तीय बोझ और प्रशासनिक देरी का कारण बनती है। यही वजह है कि भारत के केवल 6 राज्यों में ही यह व्यवस्था लागू है।

न्यायपालिका (Judiciary) सरकार का तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य काम कानूनों की व्याख्या करना, संविधान की रक्षा करना और समाज में न्याय सुनिश्चित करना है।

लोकतंत्र में न्यायपालिका को कार्यपालिका (Executive) और विधायिका (Legislative) से पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है, ताकि बिना किसी राजनीतिक दबाव या भेदभाव के निष्पक्ष न्याय किया जा सके।

भारत में न्यायपालिका का ढांचा (एकीकृत व्यवस्था)

भारत में एक 'एकीकृत न्यायपालिका' (Integrated Judiciary) है, जिसका मतलब है कि शीर्ष अदालत का फैसला नीचे की सभी अदालतों पर लागू होता है। इसका ढांचा एक पिरामिड की तरह है:

1. **सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court):** यह देश की सबसे बड़ी अदालत है जो नई दिल्ली में स्थित है। इसके मुख्य न्यायाधीश (CJI) और अन्य जज पूरे देश की न्याय व्यवस्था को संभालते हैं।
2. **उच्च न्यायालय (High Court):** यह राज्य स्तर पर सबसे बड़ी अदालत होती है (जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट)। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं।
3. **अधीनस्थ न्यायालय (Subordinate/District Courts):** यह जिला और तहसील स्तर पर होती हैं, जहाँ आम नागरिक अपने दीवानी (Civil) या आपराधिक (Criminal) मामलों को लेकर सबसे पहले जाते हैं।

न्यायपालिका के मुख्य कार्य

- **विवादों का निपटारा:** नागरिकों के बीच, नागरिकों और सरकार के बीच, या केंद्र और राज्य सरकारों के बीच होने वाले विवादों को सुलझाना।
- **मौलिक अधिकारों की रक्षा:** यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) का हनन होता है, तो वह अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट या अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकता है। अदालतें इसके लिए 'रिट' (Writs) जारी करती हैं।
- **संविधान का रक्षक (Custodian of Constitution):** न्यायपालिका यह देखती है कि संसद कोई ऐसा कानून न बनाए जो संविधान के खिलाफ हो।

- **न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review):** यदि विधायिका (संसद/विधानमंडल) कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, तो न्यायपालिका उस कानून को अमान्य (Cancel) घोषित कर सकती है।
- **परामर्श देना:** राष्ट्रपति किसी कानूनी या सार्वजनिक महत्व के विषय पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं (अनुच्छेद 143)।

संक्षेप में: न्यायपालिका देश में "कानून के शासन" (Rule of Law) को बनाए रखती है। यह सुनिश्चित करती है कि देश शक्तिशाली लोगों की मर्जी से नहीं, बल्कि संविधान के नियमों से चले।

यपालिका का महत्व (Importance of Judiciary) किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह होता है। यदि न्यायपालिका न हो, तो लोकतंत्र तानाशाही में बदल जाएगा।

न्यायपालिका के महत्व को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं:

1. नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा

लोकतंत्र में आम नागरिकों को जो मौलिक अधिकार (जैसे- समानता, अभिव्यक्ति की आज़ादी, जीने का अधिकार) मिले हैं, उनकी सुरक्षा की गारंटी न्यायपालिका ही देती है। यदि कोई शक्तिशाली व्यक्ति या खुद सरकार भी इन अधिकारों को छीनने की कोशिश करे, तो नागरिक कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

2. संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखना

भारत में सबसे बड़ा देश का संविधान है। संसद या सरकार संविधान से ऊपर नहीं है। न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि देश का शासन संविधान के दायरे में रहकर ही चलाया जाए। वह संविधान की अंतिम व्याख्याकार (Interpreter) है।

3. निरंकुशता और तानाशाही पर रोक (चेक्स एंड बैलेंसेज)

यदि विधायिका (संसद) कोई ऐसा कानून बना दे जो जनता के हित में न हो या संविधान के खिलाफ हो, तो न्यायपालिका '**न्यायिक पुनरावलोकन**' (Judicial Review) की शक्ति का इस्तेमाल करके उस कानून को रद्द कर सकती है। यह सरकार को अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने से रोकती है।

4. शांति और व्यवस्था की स्थापना (कानून का शासन)

समाज में अपराधों को रोकने और अपराधियों को सजा देने का काम अदालतें करती हैं। जब लोगों को पता होता है कि गलत करने पर न्यायपालिका सजा देगी, तो समाज में कानून का शासन (Rule of Law) और शांति बनी रहती है।

5. विवादों का निष्पक्ष निपटारा

एक बड़े और विविधता वाले देश में विवाद होना स्वाभाविक है। न्यायपालिका बिना किसी राजनीतिक दबाव के निम्नलिखित विवादों को सुलझाती है:

- दो नागरिकों के बीच का विवाद।
- नागरिक और सरकार के बीच का विवाद।
- दो राज्यों के बीच का विवाद (जैसे पानी या सीमा विवाद)।
- केंद्र और राज्य सरकार के बीच का विवाद।

6. समाज सुधार और जनहित (PIL)

जनहित याचिका (Public Interest Litigation - PIL) के माध्यम से न्यायपालिका ने समाज के गरीब, कमजोर और शोषित वर्गों को न्याय दिलाया है। प्रदूषण नियंत्रण, बंधुआ मजदूरी पर रोक, और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर कोर्ट ने खुद संज्ञान लेकर बड़े और ऐतिहासिक फैसले दिए हैं।

निष्कर्ष: संक्षेप में कहें तो न्यायपालिका वह सुरक्षा कवच है जो कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति या सरकार के सामने बराबरी से खड़े होने और न्याय पाने की ताकत देता है। इसके बिना एक निष्पक्ष और भयमुक्त समाज की कल्पना असंभव है।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता (Independence of Judiciary) का अर्थ है कि न्यायाधीश (Judges) बिना किसी बाहरी दबाव, राजनीतिक हस्तक्षेप, या सरकार (कार्यपालिका और विधायिका) के डर के, पूरी तरह निष्पक्ष और स्वतंत्र होकर संविधान के अनुसार न्याय कर सकें।

यदि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी, तो शक्तिशाली लोग और सरकार हमेशा अदालतों के फैसलों को प्रभावित करेंगे, जिससे आम नागरिक को कभी न्याय नहीं मिल पाएगा।

भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए कई **संवैधानिक प्रावधान** किए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं:

1. न्यायाधीशों की नियुक्ति में निष्पक्षता

जजों की नियुक्ति में राजनीतिक दलों या मंत्रियों की मनमर्जी नहीं चलती। भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति **कोलेजियम प्रणाली (Collegium System)** के तहत होती है, जिसमें वरिष्ठ जज ही जजों के नाम की सिफारिश करते हैं। राष्ट्रपति केवल इस पर अपनी अंतिम मुहर लगाते हैं।

2. कार्यकाल की सुरक्षा (Security of Tenure)

जजों को अपनी नौकरी खोने का डर नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के जज **65 वर्ष** की उम्र तक और हाई कोर्ट के जज **62 वर्ष** की उम्र तक अपने पद पर बने रहते हैं। सरकार उन्हें अपनी मर्जी से समय से पहले पद से नहीं हटा सकती।

3. हटाने की बेहद कठिन प्रक्रिया (Impeachment)

किसी जज को उसके पद से हटाना लगभग असंभव जैसा है। उन्हें केवल '**महाभियोग (Impeachment)**' जैसी कठिन प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है, जिसके लिए संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई (2/3) बहुमत की आवश्यकता होती है। भारत के इतिहास में आज तक किसी भी जज को इस प्रक्रिया से हटाया नहीं जा सका है।

4. संचित निधि से वेतन (Financial Independence)

जजों के वेतन, भत्ते और पेंशन के लिए संसद में हर साल वोटिंग नहीं होती। इनका भुगतान '**भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India)**' से किया जाता है। सरकार वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency) को छोड़कर किसी भी परिस्थिति में जजों के वेतन में कटौती नहीं कर सकती।

5. संसद में जजों के आचरण पर बहस पर रोक

संविधान के अनुसार, संसद या किसी राज्य की विधानसभा में किसी भी जज के काम करने के तरीके या उनके द्वारा दिए गए फैसलों पर कोई चर्चा या आलोचना नहीं की जा सकती (जब तक कि उन्हें हटाने का प्रस्ताव न चल रहा हो)।

6. अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति)Contempt of Court)

यदि कोई व्यक्ति, मीडिया या खुद सरकार कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करती या न्यायपालिका की छवि खराब करने की कोशिश करती है, तो कोर्ट के पास उसे '**न्यायालय की अवमानना**' के तहत जेल भेजने या जुर्माना लगाने की शक्ति होती है।

7. रिटायरमेंट के बाद वकालत पर रोक

सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर होने के बाद भारत के किसी भी कोर्ट में वकालत (Practice) नहीं कर सकते। यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि जजों को अपने भविष्य के लिए किसी का पक्ष लेने का लालच न रहे।

निष्कर्ष: इन सभी कड़े नियमों के कारण ही भारतीय न्यायपालिका दुनिया की सबसे स्वतंत्र और शक्तिशाली न्याय प्रणालियों में से एक है, जो देश के प्रधानमंत्री से लेकर एक गरीब मजदूर तक, सबके लिए कानून को बराबर रखती है।

राजनीतिक दल (Political Party) ऐसे नागरिकों का एक संगठित समूह होता है, जिनके राजनीतिक विचार एक जैसे होते हैं, जो एक समान विचारधारा (Ideology) पर काम करते हैं, और जिनका मुख्य उद्देश्य **चुनाव लड़कर सरकार की सत्ता (Power) हासिल करना** होता है।

लोकतंत्र में राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच एक सेतु (Bridge) का काम करते हैं।

राजनीतिक दल की परिभाषाएँ)Definitions)

विभिन्न राजनीतिक विद्वानों ने राजनीतिक दल को अपने शब्दों में इस प्रकार परिभाषित किया है:

1. **एडमंड बर्क (Edmund Burke) के अनुसार:** "राजनीतिक दल कुछ लोगों का एक ऐसा समूह है, जो किसी ऐसे सिद्धांत (Principle) पर सहमत होकर अपने संयुक्त प्रयासों द्वारा राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने के लिए एकजुट होते हैं, जिस पर वे सभी एकमत हों।"

2. **लीकॉक (Leacock) के अनुसार:** "राजनीतिक दल नागरिकों का एक ऐसा संगठित समूह है, जो एक राजनीतिक इकाई (Political Unit) के रूप में कार्य करता है और जो अपनी मतदान की शक्ति का उपयोग करके सरकार पर नियंत्रण करना और अपनी सामान्य नीति को लागू करना चाहता है।"

3. **गिल्क्राइस्ट (Gilchrist) के अनुसार:** "राजनीतिक दल नागरिकों के उस संगठित समूह को कहते हैं, जिनके राजनीतिक विचार एक जैसे होते हैं और जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हुए सरकार पर नियंत्रण पाने की कोशिश करते हैं।"

राजनीतिक दल के 3 मुख्य हिस्से (Components)

किसी भी राजनीतिक दल को बनने और चलने के लिए तीन तत्वों का होना जरूरी है:

1. **नेता (Leaders):** जो दल की नीतियां तय करते हैं और चुनाव में मुख्य चेहरा होते हैं।
2. **सक्रिय सदस्य (Active Members):** जो पार्टी की विचारधारा को जमीन पर लागू करते हैं, रैलियां और प्रचार संभालते हैं।
3. **अनुयायी या समर्थक (Followers/Supporters):** आम जनता जो उस पार्टी की विचारधारा को पसंद करती है और चुनाव में उसे वोट देती है।

राजनीतिक दलों के मुख्य कार्य

- **चुनाव लड़ना:** अपने उम्मीदवारों को चुनाव में उतारना।
- **नीतियां और कार्यक्रम बनाना:** जनता के सामने अपनी नीतियां (Manifesto) रखना कि वे सत्ता में आए तो क्या करेंगे।
- **सरकार बनाना और चलाना:** चुनाव जीतने पर सरकार का गठन करना।
- **विपक्ष की भूमिका:** चुनाव हारने पर सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करना और जनता की आवाज उठाना।
- **राजनीतिक दल की मुख्य विशेषताएँ (Characteristics of Political Parties)** निम्नलिखित हैं, जो उन्हें नागरिकों के किसी भी आम समूह या संगठन से अलग बनाती हैं:

- 1. समान विचारधारा)Common Ideology)
- किसी भी राजनीतिक दल का सबसे महत्वपूर्ण आधार उसकी विचारधारा होती है। दल के सभी सदस्य देश की आर्थिक, सामाजिक और विदेशी नीतियों को लेकर एक जैसी सोच रखते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ दल समाजवादी (Socialist) सोच के होते हैं, तो कुछ पूंजीवादी (Capitalist) या राष्ट्रवादी सोच के।
- 2. संगठित समूह)Organized Body)
- राजनीतिक दल कोई अनियंत्रित भीड़ नहीं होते, बल्कि उनका एक निश्चित और व्यवस्थित सांगठनिक ढांचा होता है। इसमें शीर्ष स्तर पर अध्यक्ष और पदाधिकारी होते हैं, स्थानीय स्तर पर समितियां होती हैं, और निचले स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ता होते हैं। हर सदस्य के अधिकार और कर्तव्य तय होते हैं।
- 3. संवैधानिक साधनों में विश्वास)Faith in Constitutional Means)
- एक वैध राजनीतिक दल कभी भी सत्ता हासिल करने के लिए हिंसा, दंगों या गैर-कानूनी तरीकों का सहारा नहीं लेता। उनका पूरा विश्वास शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीकों जैसे— चुनाव, मतदान, शांतिपूर्ण रैलियों और जन-आंदोलनों में होता है।
- 4. सत्ता प्राप्त करने का उद्देश्य)Aim to Attain Power)
- किसी भी राजनीतिक दल का अंतिम और मुख्य उद्देश्य चुनाव जीतकर राजनीतिक सत्ता (Government Power) हासिल करना होता है। यदि कोई संगठन केवल समाज सेवा करता है और चुनाव नहीं लड़ता (जैसे- NGO), तो उसे राजनीतिक दल नहीं कहा जा सकता।
- 5. राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता)Focus on National Interest)
- यद्यपि विभिन्न दलों के रास्ते अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका अंतिम लक्ष्य देश और समाज का विकास (National Welfare) करना ही होता है। वे अपनी नीतियों को इस तरह तैयार करते हैं जिससे देश का हित हो (या कम से कम वे ऐसा दावा करते हैं)।
- 6. लिखित संविधान और नियम)Written Constitution/Rules)
- हर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का अपना एक लिखित संविधान, नियम-कायदे और एक चुनाव घोषणा-पत्र (Manifesto) होता है। इसमें यह साफ लिखा होता है कि पार्टी के क्या सिद्धांत हैं और सत्ता में आने पर वे जनता के लिए क्या काम करेंगे।
- 7. जनता और सरकार के बीच की कड़ी)Link between Public & Government)
- राजनीतिक दल आम जनता की समस्याओं और इच्छाओं को सरकार तक पहुँचाते हैं, और सरकार की योजनाओं व नीतियों को जनता के बीच लेकर जाते हैं। यह लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने का काम करते हैं।

- **संक्षेप में:** एक राजनीतिक दल समान सोच वाले लोगों का वह अनुशासित और कानून को मानने वाला संगठन है, जो देश की भलाई के वादे के साथ चुनाव के जरिए सरकार बनाना चाहता है।

राजनीतिक दलों के मुख्य कार्य (Functions of Political Parties) लोकतंत्र को चलाने के लिए सबसे जरूरी माने जाते हैं। एक लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दल मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य करते हैं:

1. चुनाव लड़ना)Contesting Elections)

लोकतंत्र में सत्ता तक पहुँचने का रास्ता चुनावों से होकर गुजरता है। राजनीतिक दल अपने सबसे योग्य और लोकप्रिय कार्यकर्ताओं को चुनाव में उम्मीदवार (Candidates) के रूप में उतारते हैं और उनके लिए चुनाव प्रचार करते हैं।

2. नीतियां और कार्यक्रम बनाना)Formulating Policies)

हर राजनीतिक दल देश की समस्याओं (जैसे- बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, विदेश नीति) को सुलझाने के लिए अपनी योजनाएं तैयार करता है। चुनाव से पहले दल अपना 'चुनाव घोषणा-पत्र' (Manifesto) जारी करते हैं, जिसमें जनता को बताया जाता है कि सत्ता में आने पर वे क्या-क्या काम करेंगे।

3. सरकार बनाना और चलाना)Forming and Running the Government)

जो राजनीतिक दल चुनाव में बहुमत (Majority) हासिल करता है, वह सरकार का गठन करता है। पार्टी के प्रमुख नेता मंत्री और प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री बनते हैं और पार्टी की नीतियों के अनुसार देश या राज्य का शासन चलाते हैं।

4. विपक्ष की भूमिका निभाना)Role of Opposition)

जो दल चुनाव हार जाते हैं और बहुमत पाने में असफल रहते हैं, वे **विपक्ष (Opposition)** की भूमिका निभाते हैं। विपक्ष का काम बहुत महत्वपूर्ण होता है:

- यह सरकार की गलत नीतियों और फैसलों की आलोचना करता है।
- संसद या विधानसभा में जनता की समस्याओं को उठाकर सरकार को घेरता है।

- सरकार को निरंकुश या तानाशाह बनने से रोकता है।

5. कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका)Making Laws)

देश के कानून संसद और राज्यों की विधानसभाओं में बनते हैं, जहाँ राजनीतिक दलों के सदस्य (MP और MLA) ही बैठते हैं। कोई भी कानून बिना राजनीतिक दलों के समर्थन और बहस के पास नहीं हो सकता। दल के नेता अपने 'व्हिप' (Whip/निर्देश) के जरिए तय करते हैं कि उनके सदस्य किसी कानून के पक्ष में वोट देंगे या विरोध में।

6. जनमत का निर्माण करना)Shaping Public Opinion)

राजनीतिक दल देश के बड़े मुद्दों पर रैलियां, सभाएं, सेमिनार और सोशल मीडिया के जरिए आम जनता को जागरूक करते हैं। इससे जनता को विभिन्न मुद्दों के फायदे और नुकसान समझ आते हैं, जिससे एक मजबूत जनमत (Public Opinion) तैयार होता है।

7. जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम)Link between People and Government)

एक आम नागरिक के लिए किसी बड़े सरकारी अधिकारी या मंत्री से सीधे मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वह अपने स्थानीय पार्टी कार्यकर्ता या नेता के पास आसानी से जा सकता है। राजनीतिक दल जनता की शिकायतों को सरकार तक पहुँचाते हैं और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं (Welfare Schemes) को जनता तक पहुँचाने में मदद करते हैं।

निष्कर्ष: बिना राजनीतिक दलों के लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यदि दल न हों, तो हर उम्मीदवार निर्दलीय (Independent) चुनाव लड़ेगा, जिससे कोई भी स्थिर सरकार नहीं बन पाएगी और न ही कोई देशव्यापी नीति लागू हो सकेगी।

राजनीतिक दलों के **गुण या लाभ (Merits/Advantages of Political Parties)** लोकतंत्र को मजबूत और व्यवस्थित बनाने में मदद करते हैं। बिना दलों के लोकतांत्रिक व्यवस्था बिखर जाएगी।

राजनीतिक दलों के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं:

1. स्थिर सरकार का निर्माण)Formation of Stable Government)

दलों के कारण चुनाव के बाद स्पष्ट होता है कि किस समूह के पास बहुमत है। समान विचारधारा के लोग एक साथ मिलकर सरकार बनाते हैं, जिससे सरकार में स्थिरता (Stability)

आती है। यदि राजनीतिक दल न हों, तो सभी नेता अकेले (निर्दलीय) होंगे और वे कभी भी एक स्थिर सरकार नहीं चला पाएंगे।

2. शासन को उत्तरदायी और जवाबदेह बनाना)Ensuring Accountability)

जब कोई पार्टी सरकार चलाती है, तो जनता को पता होता है कि देश की स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है। यदि सरकार अच्छा काम नहीं करती, तो विपक्ष और जनता अगले चुनाव में उस दल को सत्ता से बेदखल कर देते हैं। यह डर सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाए रखता है।

3. मतदाताओं के लिए चयन आसान बनाना)Simplifying Choice for Voters)

एक देश में हजारों उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं। आम नागरिक के लिए हर एक उम्मीदवार के बारे में जानना असंभव है। राजनीतिक दल अपनी विचारधारा (जैसे- समाजवाद, राष्ट्रवाद आदि) और 'चुनाव चिन्ह' (सिंबल) के जरिए मतदाताओं का काम आसान कर देते हैं। लोग दल की नीतियों को देखकर आसानी से अपना वोट तय कर लेते हैं।

4. नागरिकों में राजनीतिक जागरूकता)Political Awareness)

राजनीतिक दल चुनाव प्रचार, रैलियों, भाषणों और बहसों के माध्यम से देश की बड़ी समस्याओं (जैसे- आर्थिक नीतियां, शिक्षा, सुरक्षा) को जनता के सामने लाते हैं। इससे आम नागरिकों में राजनीतिक समझ और जागरूकता बढ़ती है, जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है।

5. शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन)Peaceful Transfer of Power)

राजनीतिक दलों के कारण ही सत्ता का परिवर्तन बिना किसी खून-खराबे या क्रांति के, बेहद शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से (चुनाव के जरिए) हो जाता है। हारने वाला दल अपनी हार स्वीकार करता है और जीतने वाला दल सम्मानपूर्वक शासन संभालता है।

6. विविध हितों में तालमेल)Harmonizing Diverse Interests)

भारत जैसे विविधता वाले देश में अलग-अलग जातियों, धर्मों और क्षेत्रों के लोगों की मांगें अलग होती हैं। राजनीतिक दल इन सभी अलग-अलग विचारों और मांगों को एक मंच पर लाकर उनके

बीच तालमेल (Compromise/Negotiation) बिठाने का काम करते हैं, जिससे देश की एकता बनी रहती है।

संक्षेप में: राजनीतिक दल लोकतंत्र के उस इंजन की तरह हैं जो सरकार को अनुशासन, दिशा और जनता की आवाज प्रदान करते हैं।

राजनीतिक दलों के जहाँ अनेक गुण हैं, वहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनके कुछ **दोष या कमियाँ (Demerits/Disadvantages)** भी हैं। महान विद्वान लॉर्ड ब्राइस (Lord Bryce) और जॉर्ज वॉशिंगटन जैसे विचारकों ने भी राजनीतिक दलों के अति-प्रभाव के खतरों के प्रति आगाह किया था।

राजनीतिक दलों के मुख्य दोष निम्नलिखित हैं:

1. गुटबाजी और समाज में फूट)Factionalism and Social Division)

राजनीतिक दल अक्सर चुनाव जीतने के लिए समाज को जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र के आधार पर बांटने की कोशिश करते हैं। इससे जनता के बीच आपसी भाईचारा कम होता है और समाज में कटुता तथा नफरत फैलती है।

2. दलगत निष्ठा राष्ट्रहित से ऊपर)Party Interest Over National Interest)

कई बार राजनीतिक दल और उनके नेता देश के हित (National Interest) को भूलकर अपनी पार्टी के फायदे (Party Benefit) को प्राथमिकता देने लगते हैं। विपक्ष में बैठे दल कई बार सरकार की अच्छी और देशहित की योजनाओं का भी सिर्फ इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि वे विरोधी दल की योजनाएं होती हैं।

3. आंतरिक लोकतंत्र की कमी)Lack of Internal Democracy)

ज्यादातर राजनीतिक दलों में फैसले लोकतांत्रिक तरीके से नहीं लिए जाते। पार्टी की पूरी कमान कुछ गिने-चुने शीर्ष नेताओं या एक ही परिवार के हाथ में होती है। इसे 'वंशवाद' (Nepotism/Dynasty Politics) कहा जाता है, जहाँ योग्यता के बजाय वफादारी या पारिवारिक संबंधों के आधार पर टिकट और पद दिए जाते हैं।

4. भ्रष्टाचार और धन) बल को बढ़ावा-Promotion of Corruption and Money Power)

चुनाव लड़ने और रैलियां करने में भारी खर्च आता है। इस खर्च को पूरा करने के लिए राजनीतिक दल बड़े-बड़े पूंजीपतियों और उद्योगपतियों से चंदा (Donations) लेते हैं। सत्ता में आने के बाद सरकारें इन पूंजीपतियों को फायदा पहुँचाने के लिए नीतियां बनाती हैं, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ता है और आम जनता के हितों की अनदेखी होती है।

5. राजनीति का अपराधीकरण)Criminalization of Politics)

चुनाव जीतने (Winability) के चक्कर में राजनीतिक दल अक्सर साफ-सुथरी छवि वाले लोगों के बजाय बाहुबलियों, धनवानों और ऐसे लोगों को टिकट दे देते हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले चल रहे होते हैं। इससे देश की कानून व्यवस्था और संसद की गरिमा को ठेस पहुँचती है।

6. व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन)Suppression of Individual Freedom)

पार्टी में शामिल होने के बाद सांसदों और विधायकों की अपनी व्यक्तिगत राय या स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। उन्हें पार्टी के आदेश या 'व्हिप' (Whip) के अनुसार ही वोट देना पड़ता है, भले ही उनका अपना विवेक उस फैसले के खिलाफ हो। इससे जनप्रतिनिधि अपनी क्षेत्र की जनता की आवाज सही से नहीं उठा पाते।

निष्कर्ष: प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक एम.एन. रॉय (M.N. Roy) ने तो 'दलरहित लोकतंत्र' (Partyless Democracy) की वकालत की थी। हालांकि, आधुनिक बड़े देशों में राजनीतिक दलों को पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं है, लेकिन चुनावी सुधारों, पारदर्शी चंदा और दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करके इन दोषों को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दलों की संख्या और उनके प्रभाव के आधार पर **दल प्रणाली (Party System)** को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है।

हर देश अपनी ऐतिहासिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार इनमें से किसी एक प्रणाली को अपनाता है:

1. एक) दलीय प्रणाली-One-Party System)

इस व्यवस्था में देश के भीतर केवल **एक ही राजनीतिक दल** को सरकार बनाने और चुनाव लड़ने की कानूनी अनुमति होती है। यहाँ विपक्ष का कोई अस्तित्व नहीं होता।

- **विशेषता:** निर्णय बहुत तेजी से लिए जाते हैं और सरकार पूरी तरह स्थिर होती है क्योंकि उसे किसी विरोध का सामना नहीं करना पड़ता।
- **दोष:** यह व्यवस्था धीरे-धीरे तानाशाही (Dictatorship) में बदल जाती है। जनता के पास चुनाव में कोई दूसरा विकल्प (Choice) नहीं होता और नागरिकों की स्वतंत्रता छीन ली जाती है।
- **उदाहरण:** चीन (कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना), उत्तर कोरिया, क्यूबा।

2. द्वि) दलीय प्रणाली-Two-Party System)

इस व्यवस्था में देश में छोटे-मोटे कई दल हो सकते हैं, लेकिन सत्ता की मुख्य दौड़ केवल **दो बड़े राजनीतिक दलों** के बीच ही होती है। चुनाव के बाद एक दल सरकार बनाता है और दूसरा मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाता है।

- **विशेषता:** सरकार बहुत स्थिर होती है क्योंकि किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत आसानी से मिल जाता है। नीतियां भी स्पष्ट होती हैं और मतदाताओं के सामने चयन करना बहुत आसान होता है।
- **दोष:** मतदाताओं के पास केवल दो ही विकल्प होते हैं। यदि जनता दोनों दलों से नाराज हो, तो भी उसे किसी एक को चुनना ही पड़ता है। इसमें समाज के सभी छोटे वर्गों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता।
- **उदाहरण:** अमेरिका (डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी), ब्रिटेन (कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी)।

3. बहु) दलीय प्रणाली-Multi-Party System)

इस व्यवस्था में **दो से अधिक (कई बार दर्जनों) राजनीतिक दल** सत्ता हासिल करने के लिए चुनाव लड़ते हैं। यहाँ किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत मिलना कठिन होता है, इसलिए अक्सर कई दल मिलकर **गठबंधन सरकार (Coalition Government)** बनाते हैं।

- **विशेषता:** यह सबसे अधिक लोकतांत्रिक प्रणाली मानी जाती है क्योंकि इसमें समाज के हर वर्ग, जाति, धर्म और क्षेत्र (क्षेत्रीय दलों के माध्यम से) को प्रतिनिधित्व मिलता है। जनता के पास चुनने के लिए विकल्पों की भरमार होती है।
- **दोष:** गठबंधन सरकारों के कारण राजनीतिक अस्थिरता का खतरा हमेशा बना रहता है। दल आपसी मतभेदों के कारण बार-बार सरकार गिरा देते हैं, जिससे देश के विकास कार्यों और नीतियों में रुकावट आती है।
- **उदाहरण:** भारत, फ्रांस, इटली, जर्मनी।

तुलनात्मक चार्ट (Quick Reference)

दल प्रणाली निर्णय की गति सरकार की स्थिरता लोकतांत्रिक स्वतंत्रता देश का उदाहरण

एकदलीय- सबसे तेज़ अत्यधिक स्थिर बहुत कम (तानाशाही) चीन

द्विदलीय- सामान्य स्थिर अच्छी अमेरिका, ब्रिटेन

बहुदलीय- धीमी कम स्थिर (गठबंधन) अत्यधिक (विविधतापूर्ण) भारत

द्वि-दलीय प्रणाली (Two-Party System) उस राजनीतिक व्यवस्था को कहते हैं जहाँ देश में छोटे-मोटे कई दल हो सकते हैं, लेकिन सत्ता की मुख्य दौड़ और नियंत्रण केवल **दो बड़े राजनीतिक दलों** के बीच ही होता है (जैसे अमेरिका में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी, या ब्रिटेन में लेबर और कंजर्वेटिव पार्टी)।

इस प्रणाली के मुख्य गुण (लाभ) और अवगुण (दोष) निम्नलिखित हैं:

द्वि) दलीय प्रणाली के गुण-Merits / Advantages)

- **स्थिर सरकार (Stable Government):** इस व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह है कि चुनाव के बाद किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत आसानी से मिल जाता है। सरकार को सहयोगियों के रूठने या गठबंधन टूटने का डर नहीं होता, जिससे वह पूरे 5 साल मजबूती से काम करती है।
- **स्पष्ट और दीर्घकालिक नीतियां:** सरकार स्थिर होने के कारण देश के विकास, अर्थव्यवस्था और विदेश नीति के लिए लंबी अवधि (Long-term) की योजनाएं बना सकती है और उन्हें बिना किसी राजनीतिक दबाव के लागू कर सकती है।

- **मजबूत और जिम्मेदार विपक्ष:** जो दल चुनाव हारता है, वह संसद में एक शक्तिशाली और संगठित विपक्ष की भूमिका निभाता है। वह सरकार की कमियों को उजागर करता है और जनता के सामने हमेशा एक वैकल्पिक सरकार के रूप में तैयार रहता है।
- **मतदाताओं के लिए आसान चयन:** चुनाव के समय आम जनता के सामने कोई भ्रम (Confusion) नहीं होता। उन्हें केवल दो दलों की विचारधारा और काम के बीच चुनाव करना होता है, जिससे मतदान करना बेहद सरल हो जाता है।
- **राजनीतिक निरंतरता:** यदि सत्ता बदलती भी है, तो नीतियों में अचानक कोई बहुत बड़ा विनाशकारी बदलाव नहीं आता, क्योंकि दोनों ही बड़े दल मुख्य राष्ट्रीय मुद्दों पर लगभग एक जैसी परिपक्व सोच रखते हैं।

द्वि) दलीय प्रणाली के अवगुण-Demerits / Disadvantages)

- **सीमित विकल्प (Limited Choice):** मतदाताओं के पास केवल दो ही विकल्प होते हैं। यदि कोई नागरिक दोनों दलों की नीतियों से नाखुश है, तो भी उसे 'कम खराब' विकल्प को चुनने पर मजबूर होना पड़ता है। यह लोकतंत्र की आत्मा (ज्यादा विकल्पों की आज़ादी) के खिलाफ माना जाता है।
- **सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व नहीं:** भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देशों के लिए यह प्रणाली उपयुक्त नहीं है। द्वि-दलीय व्यवस्था में छोटे सामाजिक समूहों, अल्पसंख्यकों, जनजातियों या क्षेत्रीय समस्याओं को मुख्यधारा की राजनीति में आवाज नहीं मिल पाती।
- **तानाशाही का खतरा (Cabinet Dictatorship):** जब एक दल को संसद में भारी और स्पष्ट बहुमत मिल जाता है, तो प्रधानमंत्री या कैबिनेट कई बार निरंकुश (Arbitrary) हो जाते हैं। वे विपक्ष की परवाह किए बिना अपनी मर्जी के कानून पास करा लेते हैं।
- **राष्ट्र का दो गुटों में बंट जाना:** पूरी जनता और राजनीतिक विचारक स्पष्ट रूप से दो विरोधी खेमों में बंट जाते हैं। इससे समाज में वैचारिक कट्टरता बढ़ती है और बीच का रास्ता या लचीलापन (Flexibility) खत्म हो जाता है।
- **सदन में नए विचारों पर रोक:** नए, प्रगतिशील और छोटे राजनीतिक दल कभी आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि दोनों बड़े दल मिलकर चुनावी राजनीति पर अपना एकाधिकार (Monopoly) जमा लेते हैं।

निष्कर्ष: द्वि-दलीय प्रणाली उन देशों के लिए बहुत बेहतरीन है जहाँ समाज में बहुत अधिक सांस्कृतिक या क्षेत्रीय विविधता नहीं है और जनता राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व है (जैसे

अमेरिका या ब्रिटेन)। लेकिन भारत जैसे बहु-सांस्कृतिक देश के लिए **बहु-दलीय प्रणाली** ही सबसे उपयुक्त है, भले ही उसमें स्थिरता थोड़ी कम हो।

बहु-दलीय प्रणाली (Multi-Party System) उस राजनीतिक व्यवस्था को कहते हैं जहाँ दो से अधिक (दर्जनों या सैकड़ों) राजनीतिक दल सत्ता हासिल करने के लिए चुनाव लड़ते हैं। भारत, फ्रांस, जर्मनी और इटली इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इस व्यवस्था में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत मिलना कठिन होता है, इसलिए अक्सर कई दल मिलकर **गठबंधन सरकार (Coalition Government)** बनाते हैं।

इस प्रणाली के मुख्य गुण (लाभ) और अवगुण (दोष) निम्नलिखित हैं:

बहु) दलीय प्रणाली के गुण-Merits / Advantages)

- **सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व:** भारत जैसे विशाल और विविधता (जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र) वाले देश के लिए यह प्रणाली सबसे श्रेष्ठ है। इसमें छोटे से छोटे सामाजिक समूह और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को अपनी बात रखने के लिए एक राजनीतिक मंच (क्षेत्रीय दलों के माध्यम से) मिल जाता है।
- **मतदाताओं के पास व्यापक विकल्प:** मतदाताओं के सामने विकल्पों की कोई कमी नहीं होती। यदि वे बड़े राष्ट्रीय दलों से खुश नहीं हैं, तो वे अपनी पसंद की विचारधारा वाले किसी भी छोटे या नए दल को वोट दे सकते हैं।
- **तानाशाही की कोई गुंजाइश नहीं:** इस व्यवस्था में किसी एक नेता या दल का निरंकुश (Dictator) होना लगभग असंभव होता है। सरकार को हमेशा अपने सहयोगी दलों और विपक्ष की बात सुननी पड़ती है, जिससे फैसले लोकतांत्रिक और सर्वसम्मति से लिए जाते हैं।
- **राष्ट्र निर्माण में लचीलापन:** सरकारें हठधर्मी नहीं हो पातीं। यदि देश की जनता या कोई बड़ा वर्ग किसी नीति का विरोध करता है, तो गठबंधन के सहयोगी दल सरकार पर दबाव बनाकर उस नीति को बदलवा देते हैं।
- **मंत्रिमंडल की शक्तियों पर अंकुश:** संसद केवल एक दल की रबर स्टैम्प नहीं बनती। हर कानून पर गहन चर्चा और सौदेबाजी होती है, जिससे कानून अधिक परिपक्व बनता है।

बहु) दलीय प्रणाली के अवगुण-Demerits / Disadvantages)

- **राजनीतिक अस्थिरता (Political Instability):** यह इस प्रणाली का सबसे बड़ा दोष है। जब कई दल मिलकर गठबंधन सरकार बनाते हैं, तो उनके बीच आपसी खींचतान चलती रहती है। यदि किसी एक दल की मांग पूरी न हो, तो वह समर्थन वापस ले लेता है और सरकार गिर जाती है (जैसे भारत में 1990 के दशक में हुआ था)।
- **कमजोर और दुलमुल नीतियां:** गठबंधन सरकार में शामिल हर दल अपनी विचारधारा और वोट बैंक को खुश रखना चाहता है। इस वजह से प्रधानमंत्री देशहित में कड़े और साहसिक फैसले (जैसे आर्थिक सुधार या कड़े कानून) लेने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें सरकार गिरने का डर होता है।
- **अवसरवाद और दलबदल (Opportunism):** सत्ता के लालच में नेता और छोटे दल बार-बार अपनी निष्ठा बदलते हैं। विचारधारा को ताक पर रखकर सरकार बनाने के लिए बेमेल गठबंधन कर लिए जाते हैं, जिससे राजनीति का स्तर गिरता है।
- **खर्चीली और समय बर्बाद करने वाली व्यवस्था:** बार-बार सरकारें गिरने के कारण देश को असमय मध्यावधि चुनाव (Mid-term Elections) का सामना करना पड़ता है, जिसका भारी आर्थिक बोझ देश की जनता पर पड़ता है।
- **उत्तरदायित्व (Accountability) का अभाव:** जब सरकार अच्छा काम नहीं करती या विफल हो जाती है, तो गठबंधन के दल एक-दूसरे पर दोष मढ़ने लगते हैं। जनता के लिए यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि नीतियों की नाकामी के लिए असल में कौन सा दल जिम्मेदार है।

निष्कर्ष: बहु-दलीय प्रणाली लोकतंत्र की भावना के सबसे करीब है क्योंकि यह सबको साथ लेकर चलती है। हालांकि, भारत के संदर्भ में समय के साथ हमारी बहु-दलीय व्यवस्था परिपक्व हुई है, जहाँ अब दल चुनाव से पहले ही मजबूत गठबंधन (जैसे NDA या INDIA ब्लॉक) बना लेते हैं, जिससे देश को विविधता के साथ-साथ स्थिरता भी मिल रही है।

विरोधी दल (Opposition Party) को लोकतंत्र (प्रजातंत्रीय व्यवस्था) का 'दूसरा स्तंभ' या 'सुरक्षा कवच' माना जाता है। महान राजनीतिशास्त्री लॉवेल (Lowell) के अनुसार, "एक आदर्श प्रजातंत्र की पहचान केवल इस बात से नहीं होती कि वहां सरकार कितनी मजबूत है, बल्कि इस बात से होती है कि वहां विपक्ष कितना संगठित है।"

प्रजातंत्रीय व्यवस्था में विरोधी दल की भूमिका और उसके महत्व को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं:

प्रजातंत्र में विरोधी दल का महत्व और कार्य)Role of Opposition in Democracy)

- **तानाशाही पर रोक (Prevention of Dictatorship):** जब किसी एक दल को भारी बहुमत मिल जाता है, तो उसके निरंकुश या तानाशाह बनने का खतरा बढ़ जाता है। विरोधी दल संसद और सड़कों पर सरकार की गलत नीतियों का कड़ा विरोध करके उसे अपनी सीमाओं में रहने पर मजबूर करता है।
- **जनता की आवाज (Voice of the People):** जो लोग सरकार की नीतियों से असहमत होते हैं या समाज के जो वर्ग हाशिए पर होते हैं, विरोधी दल उनकी समस्याओं, मांगों और शिकायतों को संसद के सामने प्रमुखता से उठाता है।
- **वैकल्पिक सरकार की तैयारी (Alternative Government):** प्रजातंत्र में सरकारें स्थायी नहीं होतीं। विरोधी दल हमेशा जनता के सामने एक 'वैकल्पिक सरकार' के रूप में तैयार रहता है। ब्रिटेन में तो बकायदा 'शैडो कैबिनेट' (Shadow Cabinet) की व्यवस्था होती है, जहाँ विपक्ष का हर बड़ा नेता सरकार के मंत्रियों के कामकाज पर नजर रखता है ताकि सत्ता मिलने पर वे तुरंत काम संभाल सकें।
- **कानून निर्माण में सुधार (Constructive Criticism):** जब सरकार संसद में कोई नया कानून या बिल पेश करती है, तो विरोधी दल उसकी कमियों और खामियों को उजागर करता है। संसदीय समितियों (Parliamentary Committees) में विपक्ष के सदस्य कानूनों को अधिक जनहितैषी और परिपक्व बनाने में मदद करते हैं।
- **भ्रष्टाचार और घोटालों को उजागर करना:** विरोधी दल सरकार के खर्चों, बजटीय आवंटन और प्रशासनिक फैसलों पर पैनी नजर रखता है। जनहित याचिकाओं, सूचना के अधिकार (RTI) और संसदीय बहसों के जरिए वह सरकारी विभागों में होने वाले भ्रष्टाचार को जनता के सामने लाता है।
- **जनमत का निर्माण (Shaping Public Opinion):** चुनाव न होने के दिनों में भी विरोधी दल रैलियों, धरनों, और सोशल मीडिया के माध्यम से देश के ज्वलंत मुद्दों (जैसे महंगाई, बेरोजगारी) पर जनता को जागरूक करता है, जिससे एक जागरूक जनमत तैयार होता है।

एक अच्छे विरोधी दल के गुण)Healthy Opposition)

प्रजातंत्र तभी मजबूत होता है जब विपक्ष का रवैया सकारात्मक हो:

1. **रचनात्मक विरोध (Constructive Opposition):** विरोध केवल विरोध के लिए नहीं होना चाहिए। देशहित के मुद्दों (जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा या प्राकृतिक आपदा) पर विपक्ष को सरकार का साथ देना चाहिए।

2. **संसद की गरिमा का सम्मान:** केवल हंगामा करना, संसद की कार्यवाही को ठप करना या अशोभनीय व्यवहार करना एक स्वस्थ विपक्ष की पहचान नहीं है।

निष्कर्ष: संक्षेप में कहें तो, बिना विरोधी दल के प्रजातंत्र ठीक वैसा ही है जैसे बिना ब्रेक के कोई गाड़ी। गाड़ी चलाने के लिए जितना जरूरी एक्सीलेटर (정부/सरकार) है, उसे सुरक्षित रखने के लिए उतना ही जरूरी ब्रेक (विपक्ष) भी है।

प्रजातंत्रीय व्यवस्था (Democracy) में **विरोधी दल (Opposition Party)** की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी कि सत्ताधारी दल (Ruling Party) की। विपक्ष के बिना लोकतंत्र बेपटरी हो सकता है।

एक जीवंत लोकतंत्र में विरोधी दल मुख्य रूप से निम्नलिखित भूमिकाएँ निभाता है:

1. सरकार की निरंकुशता पर अंकुश लगाना

जब किसी दल को चुनाव में भारी बहुमत मिलता है, तो उसके मनमर्जी करने या तानाशाह बनने की संभावना बढ़ जाती है। विरोधी दल संसद और विधानसभाओं में सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना करके उसे अपनी संवैधानिक सीमाओं में रहने पर मजबूर करता है।

2. वैकल्पिक नीतियां और सरकार पेश करना

विपक्ष केवल आलोचना नहीं करता, बल्कि जनता के सामने यह विकल्प भी रखता है कि यदि वह सत्ता में होता, तो देश की समस्याओं को कैसे सुलझाता। यह जनता के सामने हमेशा एक **"वैकल्पिक सरकार" (Alternative Government)** के रूप में तैयार रहता है ताकि सत्ता परिवर्तन होने पर देश में कोई राजनीतिक शून्य (Vacuum) पैदा न हो।

3. कानून निर्माण में सुधार और सुधारक की भूमिका

संसद में जब सरकार कोई नया बिल या कानून लाती है, तो विरोधी दल उसके हर पहलू, उसके दूरगामी परिणामों और उसकी कमियों पर बारीकी से चर्चा करता है। संसदीय समितियों (Committees) में बैठकर विपक्ष के नेता कानूनों को अधिक जनहितैषी बनाने के लिए संशोधनों का सुझाव देते हैं।

4. जनता की समस्याओं को आवाज देना

जो नागरिक सरकार की नीतियों से पीड़ित या असहमत होते हैं, विरोधी दल उनकी आवाज बनता है। बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याएं या कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों को संसद में प्रश्नकाल (Question Hour) और ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के माध्यम से उठाकर विपक्ष सरकार को घेरता है।

5. वित्तीय नियंत्रण और घोटालों को उजागर करना

देश की जनता के टैक्स के पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, इस पर विपक्ष पैनी नजर रखता है। संसद की सबसे महत्वपूर्ण समिति 'लोक लेखा समिति' (Public Accounts Committee - PAC) का अध्यक्ष हमेशा विपक्ष का ही कोई वरिष्ठ नेता होता है, जो सरकारी खर्चों की सीएजी (CAG) रिपोर्ट की जांच करता है और घोटालों को सामने लाता है।

6. जागरूक जनमत (Public Opinion) का निर्माण

चुनावों के अलावा भी आम दिनों में विपक्ष रैलियों, आंदोलनों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया के जरिए देश के बड़े मुद्दों पर जनता को जागरूक करता है। यह स्वस्थ और सजग जनमत तैयार करने में मदद करता है।

रचनात्मक विपक्ष (Constructive Opposition) की आवश्यकता

एक आदर्श लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका हमेशा सकारात्मक और रचनात्मक होनी चाहिए। इसका मतलब है:

- केवल विरोध के लिए विरोध न किया जाए।
- जब मुद्दा राष्ट्रहित, देश की सुरक्षा या किसी बड़ी आपदा (जैसे महामारी) का हो, तो विपक्ष को राजनीति से ऊपर उठकर सरकार का साथ देना चाहिए।
- संसद की कार्यवाही को केवल हंगामे से ठप करने के बजाय तर्कों के साथ अपनी बात रखनी चाहिए।

संक्षेप में: विरोधी दल लोकतंत्र का वह सजग प्रहरी है जो सरकार को हमेशा अलर्ट रखता है और देश के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है।

दबाव समूह (Pressure Groups) लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये ऐसे लोगों के संगठित समूह होते हैं जो समान हितों या उद्देश्यों के लिए एक साथ आते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों की तरह **ये न तो चुनाव लड़ते हैं और न ही सीधे तौर पर सरकार की सत्ता हासिल करना चाहते हैं।**

इनका मुख्य काम सरकार की नीतियों, निर्णयों और कानूनों को अपने पक्ष में प्रभावित करने के लिए सरकार पर "दबाव" डालना होता है। (जैसे- किसान संगठन, मजदूर संघ, व्यापारिक संगठन आदि)।

दबाव समूह की परिभाषाएँ (Definitions)

विभिन्न राजनीतिक विद्वानों ने दबाव समूहों को इस प्रकार परिभाषित किया है:

- 1. वी. ओ. की जूनियर (V. O. Key Jr.) के अनुसार:** "दबाव समूह वे निजी संगठन हैं जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने के लिए बनाए जाते हैं, ताकि वे अपने सदस्यों के हितों की रक्षा और बढ़ावा दे सकें।"
- 2. ऑडेगार्ड (Odegard) के अनुसार:** "दबाव समूह ऐसे लोगों का औपचारिक संगठन है जिसके एक या अधिक सामान्य उद्देश्य होते हैं और जो कानून निर्माण या प्रशासनिक कार्यों को प्रभावित करके अपने हितों को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है।"
- 3. हैरी एकस्टीन (Harry Eckstein) के अनुसार:** "दबाव समूह सरकार के ढांचे से बाहर रहकर उसके निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयास करने वाले समूह हैं।"

दबाव समूह की भूमिका और कार्य (Role of Pressure Groups)

लोकतंत्र में दबाव समूह अदृश्य लेकिन बेहद शक्तिशाली भूमिका निभाते हैं। इनके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:

- **हितों की अभिव्यक्ति (Interest Articulation):** समाज के विभिन्न वर्गों (जैसे- डॉक्टर, शिक्षक, मजदूर, छात्र, व्यापारी) की विशिष्ट समस्याओं और मांगों को सरकार के सामने मजबूती से रखना।

- **नीति निर्माण को प्रभावित करना:** जब संसद या सरकार कोई कानून या नीति बनाती है, तो ये समूह लॉबिंग (Lobbying), प्रदर्शन या ज्ञापनों के जरिए यह सुनिश्चित करते हैं कि उस कानून से उनके सदस्यों को कोई नुकसान न हो।
- **जनमत का निर्माण (Shaping Public Opinion):** ये समूह मीडिया, सोशल मीडिया, सेमिनार और विज्ञापनों के जरिए अपनी मांगों के पक्ष में आम जनता का समर्थन जुटाते हैं, जिससे सरकार पर नैतिक दबाव बनता है।
- **सरकार को विशेषज्ञ सलाह देना:** कई बार दबाव समूहों (जैसे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री - FICCI या डॉक्टरों के संघ) के पास अपने क्षेत्र की गहरी तकनीकी जानकारी होती है। सरकार नीतियां बनाते समय अक्सर इनसे सलाह लेती है।
- **लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ाना:** चुनाव तो 5 साल में एक बार होते हैं, लेकिन दबाव समूह आम नागरिकों को साल के 365 दिन राजनीतिक रूप से सक्रिय रखने और सरकार से अपनी मांगें मनवाने का जरिया देते हैं।
- **न्यायालयों की शरण लेना:** यदि सरकार उनकी मांगों को नहीं सुनती, तो कई बार ये समूह जनहित याचिका (PIL) या कानूनी रास्तों के जरिए अदालतों से अपने हक में फैसले करवाते हैं।

भारत में दबाव समूहों के प्रमुख उदाहरण

1. **व्यापारिक समूह:** FICCI, ASSOCHAM (पूंजीपतियों और व्यापारियों के संगठन)।
2. **किसान संगठन:** भारतीय किसान यूनियन (BKU)।
3. **श्रमिक संगठन (Trade Unions):** INTUC, AITUC, BMS (मजदूरों के संगठन)।
4. **छात्र संगठन:** ABVP, NSUI, AISF।

संक्षेप में: राजनीतिक दल जहाँ सरकार चलाने का काम करते हैं, वहीं दबाव समूह सरकार को नियंत्रित करने और उसे जनता (विशेषकर विशिष्ट वर्गों) के प्रति सचेत रखने का काम करते हैं। इन्हें राजनीति का "अनाम साम्राज्य" (Anonymous Empire) भी कहा जाता है।

दबाव समूहों की मुख्य विशेषताएँ (Characteristics of Pressure Groups) उन्हें राजनीतिक दलों और समाज के अन्य सामान्य संगठनों से अलग बनाती हैं। दबाव समूहों के स्वरूप को समझने के लिए निम्नलिखित विशेषताओं को देखा जा सकता है:

1. सत्ता से दूरी)No Aim to Capture Power)

राजनीतिक दलों के विपरीत, दबाव समूहों का उद्देश्य कभी भी चुनाव लड़ना या सरकारी सत्ता पर कब्जा करना नहीं होता। वे सरकार के ढांचे से बाहर रहकर काम करते हैं और उनका ध्यान केवल सरकार की नीतियों को प्रभावित करने पर होता है।

2. विशिष्ट या सीमित हित)Specific Interests)

ये समूह समाज के किसी खास वर्ग, पेशे या मुद्दे पर आधारित होते हैं। इनके हित बहुत स्पष्ट और सीमित होते हैं। उदाहरण के लिए, एक मजदूर संघ केवल मजदूरों की मजदूरी और काम के घंटों के लिए लड़ेगा, जबकि एक शिक्षक संघ केवल शिक्षकों की समस्याओं पर ध्यान देगा।

3. स्वैच्छिक सदस्यता)Voluntary Membership)

दबाव समूहों की सदस्यता पूरी तरह स्वैच्छिक होती है। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा, पेशे या हितों के अनुसार इनका सदस्य बनता है। जैसे, एक डॉक्टर 'इंडियन मेडिकल एसोसिएशन' (IMA) का सदस्य बन सकता है, लेकिन किसी इंजीनियर के लिए ऐसा करना जरूरी नहीं है।

4. गैरराजनीतिक प्रकृति)Non-Political Nature)

ये समूह सीधे तौर पर किसी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं होते (हालांकि कुछ समूहों के वैचारिक संबंध किसी दल से हो सकते हैं)। इनका मुख्य चरित्र गैर-राजनीतिक होता है और इनका झुकाव हमेशा उस सरकार की तरफ होता है जो इनकी मांगें पूरी करने के लिए तैयार हो।

5. प्रभावकारी साधनों का प्रयोग)Use of Influential Techniques)

अपनी मांगें मनवाने के लिए दबाव समूह विभिन्न प्रकार के संवैधानिक और अनौपचारिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे:

- **लॉबिंग (Lobbying):** सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों से मिलकर उन्हें अपने पक्ष में करना।
- **प्रदर्शन और हड़ताल:** रैलियां निकालना, धरना देना या काम बंद करना (जैसे किसान आंदोलन या हड़तालें)।
- **प्रचार:** मीडिया और विज्ञापनों के जरिए अपनी मांगों के पक्ष में माहौल बनाना।

- **मुकदमेबाजी:** अदालतों में केस या जनहित याचिका (PIL) दाखिल करना।

6. अनिश्चित कार्यकाल और लचीलापन)Flexible Structure)

दबाव समूहों का अस्तित्व उनके हितों और मुद्दों पर निर्भर करता है। कई बार कोई विशेष उद्देश्य पूरा हो जाने पर (जैसे किसी विवादित कानून के वापस होने पर) वह समूह निष्क्रिय हो जाता है, या फिर नए मुद्दों के आने पर नया स्वरूप ले लेता है। इनका सांगठनिक ढांचा राजनीतिक दलों जितना कठोर नहीं होता।

7. आधुनिक लोकतंत्र का पूरक)Complementary to Democracy)

ये समूह क्षेत्रीय या जातीय सीमाओं से ऊपर उठकर पेशेवर और वैचारिक आधार पर लोगों को एकजुट करते हैं। यह विधायिका (संसद) के बाहर जनता की इच्छाओं को सरकार तक पहुँचाने का एक निरंतर माध्यम प्रदान करते हैं, इसलिए इन्हें "**अदृश्य सरकार**" भी कहा जाता है।

संक्षेप में: दबाव समूह समान हितों वाले लोगों का वह गैर-राजनीतिक और लचीला संगठन है, जो बिना सरकार में शामिल हुए केवल अपने अधिकारों और मांगों के लिए सरकार पर दबाव बनाने का काम करता है।

राजनीतिक व्यवस्था और समाज में काम करने के तौर-तरीकों के आधार पर **दबाव समूहों के रूप या प्रकार (Types/Forms of Pressure Groups)** को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है।

प्रसिद्ध राजनीतिशास्त्री **गैब्रियल आमंड (Gabriel Almond)** ने दबाव समूहों को मुख्य रूप से चार रूपों में वर्गीकृत किया है, जो सबसे मान्य वर्गीकरण है:

1. संस्थागत दबाव समूह)Institutional Pressure Groups)

ये समूह सरकार या राज्य के आंतरिक ढांचे के भीतर ही पहले से स्थापित संस्थाओं का हिस्सा होते हैं। ये बहुत ही अनुशासित और शक्तिशाली होते हैं क्योंकि इनके पास प्रशासनिक ताकत होती है।

- **कार्य:** ये सरकारी नीतियों को अंदर से प्रभावित करते हैं।
- **उदाहरण:** आईएएस/आईपीएस एसोसिएशन, सेना के अधिकारियों के समूह, रेलवे बोर्ड संघ, या राज्य सचिवालय कर्मचारी संघ।

2. समुदायात्मक दबाव समूह)Associational Pressure Groups)

ये विशेष रूप से किसी एक निश्चित पेशे, व्यवसाय या वर्ग के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए औपचारिक और पंजीकृत (Registered) संगठन होते हैं। इनका सांगठनिक ढांचा बहुत मजबूत होता है।

- **कार्य:** अपने वर्ग (जैसे व्यापारी, मजदूर, डॉक्टर) के अधिकारों के लिए सरकार से मोलभाव (Negotiation) करना।
- **उदाहरण:**
 - **व्यापारिक संगठन:** FICCI, ASSOCHAM
 - **श्रमिक संगठन:** भारतीय मजदूर संघ (BMS), AITUC
 - **पेशेवर संगठन:** इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA), बार काउंसिल ऑफ इंडिया (वकीलों का समूह)।

3. गैरसमुदाय-ात्मक दबाव समूह)Non-Associational Pressure Groups)

ये समूह किसी औपचारिक नियम या संगठन के तहत नहीं बनते, बल्कि जाति, धर्म, भाषा, वंश या संप्रदाय जैसे पारंपरिक संबंधों के आधार पर स्वतः (Naturally) तैयार हो जाते हैं। इनका कोई लिखित संविधान नहीं होता, लेकिन भावनात्मक रूप से ये बहुत शक्तिशाली होते हैं।

- **कार्य:** अपने विशेष समुदाय या संस्कृति के हितों को बढ़ावा देना।
- **उदाहरण:** जातिगत संगठन (जैसे जाट महासभा, करणी सेना), धार्मिक संगठन (जैसे विश्व हिंदू परिषद, जमात-ए-इस्लामी), या भाषाई समूह।

4. प्रदर्शात्मक या अनौपचारिक दबाव समूह)Anomic Pressure Groups)

ये समूह तब अस्तित्व में आते हैं जब समाज में किसी बात को लेकर बहुत गुस्सा होता है और स्थापित माध्यम (जैसे कोर्ट या बातचीत) काम नहीं आते। ये अचानक बनते हैं और इनका तरीका अक्सर असंवैधानिक या आक्रामक होता है।

- **कार्य:** दंगों, चक्का जाम, सविनय अवज्ञा, या उग्र प्रदर्शनों के जरिए सरकार का ध्यान खींचना।
- **उदाहरण:** अचानक भड़के छात्र आंदोलन, किसी घटना के विरोध में होने वाले हिंसक प्रदर्शन, या हाल के वर्षों में फ्रांस या दुनिया के अन्य हिस्सों में हुए बड़े नागरिक दंगे।

अन्य महत्वपूर्ण रूप:(संरचना के आधार पर)

- **एक-मुद्दे वाले समूह (Single-Issue Groups):** जो केवल किसी एक विशेष कानून या समस्या को हल करने के लिए बनते हैं और काम पूरा होते ही समाप्त हो जाते हैं (जैसे किसी खास बांध विरोधी आंदोलन या पर्यावरण संरक्षण के लिए 'चिपको आंदोलन')।
- **दीर्घकालिक समूह (Perpetual Groups):** जो समाज में लगातार बने रहते हैं और समय-समय पर अपने वर्ग के विभिन्न मुद्दों को उठाते रहते हैं (जैसे छात्र संगठन - ABVP, NSUI)।

निष्कर्ष: आधुनिक लोकतंत्र में जहाँ 'संस्थागत' और 'समुदायात्मक' समूह बातचीत और लॉबिंग के जरिए शांतिपूर्ण काम करते हैं, वहीं 'प्रदर्शात्मक' समूह सरकार की किसी बड़ी विफलता या जनता के तात्कालिक असंतोष को दर्शाते हैं।

दबाव समूहों के मुख्य कार्य और भूमिका (Functions and Role of Pressure Groups) लोकतांत्रिक व्यवस्था को जीवंत और उत्तरदायी बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये समूह सरकार के बाहर रहकर सरकार की नीतियों को प्रभावित करने के लिए निम्नलिखित कार्य करते हैं:

1. हितों की अभिव्यक्ति)Interest Articulation)

समाज में अलग-अलग पेशों और वर्गों (जैसे किसान, मजदूर, डॉक्टर, शिक्षक, व्यापारी) की अपनी विशेष समस्याएं होती हैं। दबाव समूह इन विशिष्ट समस्याओं और मांगों को व्यवस्थित रूप देते हैं और उन्हें स्पष्ट शब्दों में सरकार के सामने पेश करते हैं।

2. नीति निर्माण को प्रभावित करना)Influencing Legislation)

जब संसद या राज्य की विधानसभाएं कोई नया कानून या बजट बनाती हैं, तो दबाव समूह सक्रिय हो जाते हैं। वे मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर, बैठकें करके या 'लॉबिंग' (Lobbying) के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि बनने वाला कानून उनके सदस्यों के हितों के खिलाफ न हो।

3. जनमत का निर्माण करना)Shaping Public Opinion)

अपनी मांगों के पक्ष में देश की जनता का समर्थन हासिल करने के लिए ये समूह मीडिया, सोशल मीडिया, विज्ञापनों, पर्चों और सेमिनारों का सहारा लेते हैं। जब आम जनता उनकी मांगों को सही मानने लगती है, तो सरकार पर नैतिक और चुनावी दबाव बढ़ जाता है।

4. सरकार को विशेषज्ञ सलाह देना)Providing Expert Advice)

आजकल कानून और नीतियां बहुत जटिल और तकनीकी होती हैं। दबाव समूहों (जैसे चिकित्सा संघ, चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन या उद्योगपतियों के संगठन - FICCI) के पास अपने क्षेत्र का गहरा अनुभव और आंकड़े होते हैं। सरकार अक्सर बजट या नई नीतियां बनाते समय इन समूहों को चर्चा के लिए बुलाती है और उनकी विशेषज्ञ सलाह का लाभ लेती है।

5. चुनाव में राजनीतिक दलों की मदद करना)Role in Elections)

यद्यपि दबाव समूह खुद चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन वे चुनाव के समय उन राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों का खुलकर समर्थन या विरोध करते हैं जो उनके हितों की रक्षा का वादा करते हैं। वे अपने सदस्यों से उस विशेष दल को वोट देने की अपील करते हैं और कभी-कभी परोक्ष रूप से आर्थिक मदद (चंदा) भी पहुँचाते हैं।

6. जनता को राजनीतिक रूप से सक्रिय रखना)Political Participation)

चुनाव तो 5 साल में एक बार होते हैं, लेकिन दबाव समूह आम नागरिकों को साल के 365 दिन देश की राजनीति और प्रशासनिक निर्णयों से जोड़े रखते हैं। यह नागरिकों को अपनी मांगों के लिए शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से संघर्ष करने का मंच प्रदान करते हैं।

7. न्यायालयों की शरण लेना)Litigation / Legal Recourse)

यदि सरकार या प्रशासन दबाव समूहों की न्यायसंगत मांगों को अनसुना कर देता है, तो ये समूह अदालतों का दरवाजा खटखटाते हैं। वे **जनहित याचिका (PIL)** या रिट याचिकाओं के माध्यम से सरकार के गलत फैसलों पर स्टे (रोक) लगवाते हैं या अपने पक्ष में आदेश जारी करवाते हैं।

संक्षेप में: दबाव समूह सरकार के लिए एक 'फीडबैक सिस्टम' की तरह काम करते हैं। वे सरकार को बताते रहते हैं कि समाज के किस वर्ग में क्या असंतोष है, जिससे सरकार को अपनी नीतियां सुधारने का मौका मिलता है।

दबाव समूहों की कार्यविधि के ढंग (Techniques/Methods of Pressure Groups) से तात्पर्य उन तरीकों और साधनों से है, जिनका उपयोग ये समूह सरकार पर दबाव बनाने और अपनी मांगें मनवाने के लिए करते हैं।

दबाव समूह अपनी प्रकृति और आवश्यकता के अनुसार **संवैधानिक (शांतिपूर्ण)** और **असाधारण (आक्रामक)** दोनों प्रकार के ढंग अपनाते हैं। इन्हें मुख्य रूप से निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है:

1. लॉबिंग (Lobbying)

यह दबाव समूहों का सबसे महत्वपूर्ण और आधुनिक तरीका है। इसके अंतर्गत समूह के पदाधिकारी या विशेषज्ञ मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और नीति-निर्माताओं (Bureaucrats) से व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं। वे उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराते हैं, आंकड़े पेश करते हैं और उन्हें इस बात के लिए राजी करते हैं कि बनने वाला कानून उनके पक्ष में हो।

2. प्रचार और जनमत निर्माण (Publicity and Public Opinion)

सरकार को प्रभावित करने का एक बड़ा रास्ता जनता से होकर जाता है। दबाव समूह समाचार पत्रों, टीवी चैनलों, सोशल मीडिया (जैसे X, YouTube), पोस्टरों और विज्ञापनों के जरिए अपनी मांगों के पक्ष में देश का माहौल बनाते हैं। जब जनता उनके समर्थन में आ जाती है, तो सरकार को झुकना ही पड़ता है।

3. प्रदर्शन और सामूहिक कार्यवाही (Demonstrations and Strikes)

जब शांतिपूर्ण बातचीत से काम नहीं बनता, तो ये समूह सड़कों पर उतर आते हैं। इसके तहत निम्नलिखित तरीके अपनाए जाते हैं:

- **धरना और रैलियां:** शांतिपूर्ण ढंग से अपनी ताकत दिखाना।
- **हड़ताल (Strikes):** जैसे मजदूर संघों या डॉक्टरों द्वारा काम बंद कर देना, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था ठप हो जाए।

- **चक्का जाम और घेराव:** मंत्रियों या सरकारी दफ्तरों का घेराव करना ताकि सरकार तुरंत फैसला लेने पर मजबूर हो।

4. कानूनी और न्यायिक रास्ते (Judicial Recourse)

यदि कार्यपालिका (Government) या विधायिका (Parliament) उनकी बात नहीं सुनती, तो दबाव समूह न्यायपालिका की शरण लेते हैं। वे शीर्ष वकीलों के माध्यम से अदालतों में **जनहित याचिका (PIL)** दाखिल करते हैं या सरकार के किसी फैसले को चुनौती देते हैं। (जैसे पर्यावरण संबंधी समूह अक्सर अदालतों के जरिए निर्माण कार्यों पर रोक लगवाते हैं)।

5. चुनाव में भूमिका (Role in Elections)

दबाव समूह खुद चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन वे परोक्ष (Indirect) रूप से चुनावों को प्रभावित करते हैं। वे अपने सदस्यों के बड़े 'वोट बैंक' का इस्तेमाल सौदेबाजी के लिए करते हैं। वे उसी राजनीतिक दल को समर्थन देने की घोषणा करते हैं जो उनके हितों को अपने 'चुनाव घोषणा-पत्र' (Manifesto) में शामिल करने का वादा करता है। इसके अलावा, बड़े व्यापारिक समूह दलों को भारी **चुनावी चंदा (Funds)** भी देते हैं।

6. रिश्वत, अनुग्रह और प्रभाव (Grafts/Bribery - अनौपचारिक ढंग)

कुछ अमीर और शक्तिशाली दबाव समूह (विशेषकर बड़े पूंजीपति और उद्योगपति) भ्रष्टाचार या अनैतिक तरीकों का भी सहारा लेते हैं। वे चुनाव जीतने के बाद नेताओं को महंगे उपहार, वित्तीय लाभ या उनके रिश्तेदारों को नौकरियों का लालच देकर पर्दे के पीछे से सरकारी नीतियों को अपने पक्ष में करवा लेते हैं। इसे **क्रॉनी कैपिटलिज्म (Crony Capitalism)** भी कहा जाता है।

7. सविनय अवज्ञा और असहयोग (Civil Disobedience)

कई बार समूह सरकार के किसी कानून को मानने से साफ इनकार कर देते हैं या टैक्स देने से मना कर देते हैं (जैसे ऐतिहासिक रूप से महात्मा गांधी के आंदोलन थे या हाल के वर्षों में बड़े किसान आंदोलनों में देखा गया है)।

निष्कर्ष: एक मजबूत लोकतंत्र में दबाव समूह ज्यादातर लॉबिंग, प्रचार और कानूनी रास्तों (संवैधानिक ढंग) का उपयोग करते हैं, जबकि कमजोर या असंवेदनशील राजनीतिक व्यवस्था में उन्हें हड़ताल और चक्का जाम (आक्रामक ढंग) का सहारा लेना पड़ता है।

दबाव समूह (Pressure Groups) और राजनीतिक दल (Political Parties) दोनों ही लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने वाले महत्वपूर्ण अंग हैं, लेकिन दोनों की प्रकृति, उद्देश्य और कार्य करने के तरीकों में बहुत बड़ा अंतर होता है।

इन दोनों के बीच के मुख्य अंतरों को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है:

1. सत्ता प्राप्त करने का उद्देश्य)Aim of Capturing Power)

- **राजनीतिक दल:** इनका मुख्य और अंतिम उद्देश्य चुनाव लड़ना और **सरकारी सत्ता (Government Power) हासिल करना** होता है।
- **दबाव समूह:** ये कभी चुनाव नहीं लड़ते और न ही सत्ता हासिल करना चाहते हैं। इनका उद्देश्य केवल सरकार के बाहर रहकर अपने हितों के लिए नीतियां बनवाना होता है।

2. चुनाव और उम्मीदवारी)Elections and Candidacy)

- **राजनीतिक दल:** ये प्रत्यक्ष रूप से चुनावों में भाग लेते हैं और अपने उम्मीदवारों (Candidates) को चुनाव मैदान में उतारते हैं।
- **दबाव समूह:** ये खुद चुनाव नहीं लड़ते, बल्कि पर्दे के पीछे से उन उम्मीदवारों या दलों का समर्थन करते हैं जो इनकी मांगें पूरी करने का वादा करते हैं।

3. विचारधारा का दायरा)Scope of Ideology)

- **राजनीतिक दल:** इनकी विचारधारा बहुत व्यापक (Broad) होती है। इन्हें देश की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, शिक्षा, विदेश नीति जैसे सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपना स्टैंड रखना पड़ता है।
- **दबाव समूह:** इनका एजेंडा बहुत सीमित और विशिष्ट (Specific) होता है। ये केवल अपने वर्ग के हितों (जैसे- केवल किसानों की समस्या, केवल डॉक्टरों की फीस, या मजदूरों की मजदूरी) पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं।

4. सदस्यता)Membership)

- **राजनीतिक दल:** इनकी सदस्यता बहुत बड़ी और खुली होती है। समाज के किसी भी वर्ग, जाति या पेशे का व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य बन सकता है। एक व्यक्ति एक समय में केवल एक ही दल का सदस्य हो सकता है।

- **दबाव समूह:** इनकी सदस्यता आमतौर पर किसी खास पेशे या वर्ग तक सीमित होती है (जैसे- केवल शिक्षक ही शिक्षक संघ के सदस्य होंगे)। हालांकि, एक व्यक्ति एक ही समय में कई अलग-अलग दबाव समूहों का सदस्य हो सकता है (जैसे- एक डॉक्टर मेडिकल एसोसिएशन का सदस्य भी हो सकता है और किसी पर्यावरण क्लब का भी)।

5. सांगठनिक ढांचा और स्थायित्व)Structure and Stability)

- **राजनीतिक दल:** इनका सांगठनिक ढांचा बहुत मजबूत, औपचारिक और लिखित नियमों (संविधान) पर आधारित होता है। ये लंबे समय तक स्थायी रूप से चलते रहते हैं।
- **दबाव समूह:** इनका ढांचा थोड़ा लचीला होता है। कई बार ये किसी एक तात्कालिक समस्या को हल करने के लिए बनते हैं और मांग पूरी होते ही समाप्त या निष्क्रिय हो जाते हैं।

6. कार्यविधि के ढंग)Techniques Used)

- **राजनीतिक दल:** ये मुख्य रूप से पूरी तरह संवैधानिक और चुनावी तरीकों (जैसे रैलियां, मतदान, संसद में बहस) का उपयोग करते हैं।
- **दबाव समूह:** ये अपनी मांगें मनवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के विविध तरीके अपनाते हैं, जैसे—लॉबिंग (Lobbying), हड़ताल, धरना, चक्का जाम, या अदालतों में जनहित याचिका (PIL) दाखिल करना।

संक्षिप्त तुलनात्मक तालिका)Quick Reference Table)

अंतर का आधार	राजनीतिक दल)Political Party)	दबाव समूह)Pressure Group)
मुख्य उद्देश्य	चुनाव जीतकर सरकार बनाना।	सरकार पर दबाव बनाकर अपनी मांगें मनवाना।
चुनावी भूमिका	सीधे चुनाव लड़ते हैं।	चुनाव नहीं लड़ते, केवल परोक्ष मदद करते हैं।
विचारधारालक्ष्य/ राष्ट्रीय और व्यापक)।(सभी मुद्दों पर)		सीमित और विशिष्ट केवल वर्ग विशेष के)।(हितों पर

अंतर का आधार	राजनीतिक दल)Political Party)	दबाव समूह)Pressure Group)
सदस्यता	बहुत बड़ी और समाज के सभी वर्गों के लिए खुली।	सीमित आमतौर पर एक ही पेशे या वर्ग) ।(के लोग
जवाबदेही	ये सीधे जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं।	ये केवल अपने सदस्यों के प्रति जवाबदेह होते हैं।
उदाहरण	बीजेपी)BJP), कांग्रेस)INC), आम आदमी पार्टी)AAP)।	भारतीय किसान यूनियन)BKU), FICCI, ABVP।

निष्कर्ष: संक्षेप में, राजनीतिक दल लोकतंत्र के प्रत्यक्ष खिलाड़ी हैं जो शासन चलाते हैं, जबकि दबाव समूह वे सजग पहरेदार हैं जो शासन चलाने वालों को मनमर्जी करने से रोकते हैं और आम जनता के अलग-अलग वर्गों के हितों की रक्षा करते हैं।